राष्ट्रीय आवास बैंक

आवास भारती

वर्ष 11, अंक 40, जुलाई-सितम्बर 2011

पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपा चित्र राजस्थान के एक गांव (ढांडी) का है। राष्ट्रीय आवास बैंक जल्द ही राजस्थान सरकार के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय समूह के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास शील है।

हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक ने राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवास तथा स्थानीय स्वाशासन विभाग मंत्रालय और इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन (आईएफसी) के बीच एक विपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, जिसका उद्देश्य समाज के असेवित एवं अल्पसेवित तथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न तथा मध्य आयवर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय आवास बैंक, राजस्थान राज्य के विभिन्न स्थानीय वित्त संस्थानों के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता/ऋण उपलब्ध कराएगा।

संपादकीय

इस जगत में जितने भी प्राणी हैं उन्हें भारतीय दर्शन में जीव और आधुनिक विज्ञान में पशु (एनीमल) की संज्ञा दी गई है। चूंकि मानव सबसे बुद्धिमान एवं शारीरिक रुप से सक्षम है, अतः उसे सामाजिक पशु (सोशल एनीमल) कहते हैं। यदि हम ईमानदारी से देखें तो सच में मानव अभी भी पशुता के गुण को त्याग नहीं पाया है। इसी कारण कुछ लोग है जो ज्यादा खाकर बीमार होते हैं; कुछ भोजन की कमी की वजह से बीमार होते हैं। यानि कि सारी दुनिया किसी ना किसी रुप में बीमार है। कुछ इसलिए बीमार हैं कि सत्ता के नशे में चूर है तो कुछ के पास इतना ज्यादा है कि समृद्धि के मद में वे भूखे,नंगे,कमजोर व गरीब को देख ही नहीं पाते हैं। एक तरह से मानसिक बीमार हैं, पर जगत इसे सभ्यता कहता है। आचार्य श्री ओशो ने इन बीमारियों को सभ्यता से जोड़ दिया क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें किन मूल चीजों की आवश्यकता है। गैर–जरूरी चीजों का संग्रह क्यों? तभी ओशो कहते हैं आज और अभी जी लो और इतने आनंद से जीओ, ऐसे भरपूर जीओ कि जो तुम्हारे गर्भ में सृजित हो रहा है वह भी रूपांतरित होकर तुम्हारे आनंद को पकड़ ले। सत्य का यही क्षण होगा बाकी सब झूठ।

आज सारा संसार विकास की सीढ़ियां तीव्र गति से चढ़ रहा है। रहन–सहन व जीवन का स्तर सुधर रहा है। मानव की आयू भी लंबी हो रही है। वह समृद्ध भी हुआ है। पर यह कैसी समृद्धि है जिसमें सुख नहीं है; यदि भौतिक सुख है तो मानसिक सुख बिलकुल भी नहीं है, और मानसिक शांति तो दूर–दूर तक नहीं है। मानव धन के लिए जीवन कुर्बान कर रहा है लेकिन वह धन आत्मिक विकास की ओर नहीं ले जाता है। मानसिक एवं आत्मिक शांति की खोज में महलों का वैभव व सुख भोगने के बाद राजकुमार गौतम इन सबसे ऊपर उठे और एक दिन गौतम बुद्ध बन गए । मानव को एक नई राह दिखा गए। आज दुनिया भर में राजकुमार गौतम से कहीं अधिक ऐशो आराम की सुविधाएं भोग रहे हैं लेकिन बुद्ध की भांति आम आदमी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये हर तिकड़म से अपना स्वार्थ पूरा करने में जुटे हुए हैं।

आज हमारे देश में लगभग दो प्रतिशत तथाकथित अंग्रेजीदां लोगों ने आम जनता की सत्ता को अपने हाथों में रखकर उनका जीना मुश्किल कर दिया है। आज भी दिल्ली के उच्च सरकारी तंत्र तथा देश के सभी उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। यह तथाकथित उच्च एवं बौद्धिक वर्ग नहीं चाहता कि आत जनता उनसे जुड़ पाए। लेकिन यह सब हो रहा है अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति नागरिकों की उपेक्षा व लापरवाही के कारण नहीं तो क्या मजाल कि मुट्ठीभर अंग्रेजीदां लोग 98 प्रतिशत जनता को विदेशी भाषा का गुलाम बनाकर रखें। आज हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन उसी हिन्दी को अपने देश में राजभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया।

गांधीजी का मोह सभी भारतीय भाषाओं के प्रति भी था। उनकी मातृभाषा गुजराती थी परंतु वे देवनागरी लिपि की हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। गांधीजी का एक राष्ट्रभाषा और एक राष्ट्रलिपि का मंत्र आज भी सार्थक है। आज विश्व के सभी देशों में भारतीय भाषाओं, विशेष रुप से हिंदी को जानने व समझने वाले हैं। जबकि भारत में अंग्रेजी सिर पर बैठी है। अंग्रेजी जानना ठीक है पर उसे ताज बनाना ठीक नहीं। भारत को ताज तो हिंदी को ही बनाना चाहिए। मेरी मातृभाषा मराठी है, मुझे अंग्रेजी भी आती है, फिर भी मैं आप सब का आह्वान करता हूँ कि आइए हम इस संकल्प को दोहराएं और निजभाषा हिंदी को अपनाएं। भारतेन्दु जी ने ठीक ही कहा है– ''निज भाषा उन्नत अहे, सब भाषा को मूल''

(जी.एन. सोमदेवे)
संपादक व सहायक महाप्रबंधक
मो. 9560900451

आपकी पाती

12 सितम्बर 2011

महोदय,
आपके बैंक की पत्रिका "आवास भारती" का अप्रैल–जून 2011 अंक प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम आवास भारती के 11वें वर्ष में प्रवेश करने और राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करने पर शुभकामनाएं।
पत्रिका की साज–सज्जा आकर्षक तथा लेखों का संकलन उत्कृष्ट है। लेख "संपत्ति कारोबार संपत्ति के लेन–देन पर मुद्रांक शुल्क' तथा 'हरित भवन आज की प्राथमिकता' अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका के कुशल संपादन के लिए संपादक मंडल को बधाई।

आपका हितैषी
परमजीत सिंह घावरी
मुख्य महाप्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
नई दिल्ली

22 सितम्बर 2011

महोदय,
राष्ट्रीय आवास बैंक की पत्रिका आवास भारती का अप्रैल–जून 2011 अंक मिला। अंक का मुख पृष्ठ बहुत ही मनमोहक है। पत्रिका की रचनाओं का चयन विविधतापूर्ण है। "हरित भवन आज की प्राथमिकता" और "अंतर्राष्ट्रीय आवास समस्या" जैसे समसामयिक लेख पाठकों को आवास संबंधी नई–नई जानकारियां देते हैं। वहीं "आवास ऋण के लिए सामान्य बातें" एवं "किफायती आवास परिदृश्य" से बेहद महत्वपूर्ण बातें पता चलती है। डा. सचान की कविता "पक्का प्रगतिशील" मानवीय संवेदनशीलता और लोकतंत्र पर कटाक्ष करती है। साथ ही श्री जी.एन.सोमदेवे जी की कविता "एक भ्रमर की व्यथा" में भ्रमर के माध्यम से मानव जीवन के सत्य को उकेरा गया है।
इस अंक से जुड़े सभी सदस्यों और संपादक मंडल को हार्दिक बधाई।

भवदीय
संतोष कुमार पाणिग्राही
भारतीय रिजर्व बैंक (कानपुर)

23 सितम्बर 2011

महोदय,
आपकी राजभाषा पत्रिका 'आवास भारती' का अप्रैल–जून, 2011 अंक प्राप्त हुआ। कार्यकलाप को प्रतिबिम्बित करता हुआ पत्रिका का मुख पृष्ठ आकर्षक लगा। पत्रिका में प्रकाशन हेतु चयनित लेख एवं कविताएं अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका में चित्रों का प्रस्तुतीकरण अच्छा लगा। संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं।
आशा है आप हमें भविष्य में इसी प्रकार के प्रकाशन भेजते रहेंगे।
सधन्यवाद,

भवदीय
वरि. निजी सचिव एवं प्रभारी राजभाषा
नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
नई दिल्ली

04 अक्टूबर 2011

महोदय,
राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका "आवास भारती" अप्रैल–जून,2011 का 39 वां अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। पत्रिका के इस अंक में भी आवास, वाणिज्य, विकास, पर्यावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जैसे तकनीकी विषयों के लेखों का संकलन बहुत ही उपयोगी है, साथ ही समसामयिक घटनाओं एवं राजनैतिक मूल्यों के क्षरण पर लेख एवं कहानी तथा बैंक के नियमित कार्यक्रमों एवं स्तंभों का प्रस्तुतीकरण सराहनीय है।
आशा है कि यह पत्रिका भविष्य में भी इसी प्रकार प्राप्त होती रहेगी।

भवदीय,
विजय पटनी, सहायक प्रबंधक
दि हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स
एक्सपोर्टस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नोएडा, यू.पी

19 अक्टूबर 2011

महोदय,
आपके पत्र संख्या ईपीडी.राज.आभा/01/12002/2011/नदि दिनांक 05.09.2011 के साथ आपके द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका " आवास भारती" का अप्रैल–जून,2011 का अंक सधन्यवाद प्राप्त हुआ। आशा है यह पत्रिका हमें अनवरत रूप से प्राप्त होती रहेगी।
धन्यवाद,

भवदीय
राकेश कुमार सुंदरियाल
हिंदी अधिकारी
सैन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली

20 अक्टूबर 2011

महोदय,
हमें आपकी पत्रिका "आवास भारती" पढ़ने का अवसर मिला। आपकी पत्रिका की साज–सज्जा और लेखों का प्रस्तुतीकरण मुझे बहुत अच्छा लगा। संपादक जी के बातों से मैं शत–प्रतिशत सहमत हूँ कि हम आजादी के बाद रोटी, कपड़ा और मकान तक ही संकुचित रह गए हैं और जिस भाषा ने हमारी स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई और जिसने आज हमें एक अलग पहचान दी है उसे ही हम उसका हक देने में कोताही कर रहे हैं। पत्रिका में प्रकाशित विविधतापूर्ण लेख इसे रुचिकर और पठनीय बनाते हैं। 'हरित भवन' और 'अंतर्राष्ट्रीय आवास' जैसे लेख ज्ञानवर्धक हैं। 'युवराज की व्यथा' देश के बदतर राजनैतिक माहौल और एक युवा राजनेता की टीस को बयां करती है। "20 साल बाद का गांव" के माध्यम से लेखक ने सांकेतिक तौर पर आधुनिकीकरण के नाम पर उजड़ते गांव की जो दशा प्रस्तुत की है वह प्रशंसनीय है।
आपकी पत्रिका हेतु मेरी शुभकामनाएं।

शीना पॉल
कन्टेंट राइटर, सबीर बायोटेक

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)
पंजी. संख्या : दिल्ली इन/2001/6138
वर्ष 11, अंक 40, जुलाई–सितम्बर, 2011

प्रधान संरक्षक
राज विकास वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संयुक्त संरक्षक
अर्णव रॉय, कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
एन. उदय कुमार, उप महाप्रबंधक

संपादक
जी.एन. सोमदेवे, सहायक महाप्रबंधक

सहायक संपादक
अमर सिंह सचान, राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
रंजन कुमार बरुन, क्षेत्रीय प्रबंधक
किशोर कुंभारे, क्षेत्रीय प्रबंधक
मोहित कौल, प्रबंधक
के.जगन मोहन राव, प्रबंधक
राधिका राठी, उप प्रबंधक
रुचि वशिष्ठ, सहायक प्रबंधक
प्रभात रंजन, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर 5–ए, 3–5 तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

विषय-सूची

	विषय	पृष्ठ सं.
1.	संपादकीय	1
2.	आपकी पाती	2
3.	विषय–सूची	3
4.	राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	4
5.	किफायती आवास परिदृश्य	8
6.	भू–संपदा बाजार में मंदी के प्रमुख घटक	11
7.	भारत में आवास की स्थिति	13
8.	वरिष्ठ नागरिकों हेतु रिवर्स मॉर्टगेज ऋण	15
9.	प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय	16
10.	गरीबों को आवास उपलब्ध कराना देश की प्राथमिकता	19
11.	रा.आ.बै. के कार्यनिष्पादन के मुख्य विशेषताएं	20
12.	भूकंप	22
13.	गरीबों को आवास उपलब्ध कराने वाली आवास नीति के जरूरी घटक	24
14.	युवा लोग मुख्य संसाधन	25
15.	कंबोडिया के शिव मंदिर पर लटकता खतरा	27
16.	स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी	29
17.	मंहगाई की दिभीषिका	30
18.	महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर कानून और कानूनी कार्रवाई	32
19.	एक गुमनाम हीरो	33
20.	धैर्य व संयम का महत्व	35
21.	जीवन चलने का नाम	37
22.	लक्ष्य	38
23.	गरीबी की रेखा	39
24.	आशियां	39
25.	ईमानदारी का मूल्य	40

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

29 जुलाई, 2011 को बहरामपुर, (पश्चिम बंगाल) में आरएमएल पर संगोष्ठी

राष्ट्रीय आवास बैंक ने हैल्पेज इंडिया की साझेदारी में 29 जुलाई, 2011 को बहरामपुर प्रा.लि., कोलकाता में रिवर्स मॉर्टगेज (विपरीत बंधक) ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी उत्पाद पर एक संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी में बहरामपुर और उसके आस–पास के क्षेत्रों से 120 वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हुए थे। पदाधिकारियों में बहरामपुर नगर निगम के सभापति श्री नील रतन अध्या, बहरामपुर प्रवीन सभा के अध्यक्ष डॉ. अली हसन, हैल्पेज इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक (वकालत) डॉ. हरविन्द्र सिंह बक्शी, राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के सहायक प्रबंधक श्री रवि शास्त्री, तथा प्रबंधक श्री के.के. राजा मोहन, हैल्पेज इंडिया; कोलकाता की उप निदेशक सुश्री अनुराधा सेन, और हैल्पेज इंडिया, कोलकाता की आरएमएमल परामर्शदाता सुश्री सुदीपा चैटर्जी शामिल थीं। राष्ट्रीय आवास बैंक, कोलकाता के क्षेत्रीय स्थानिक प्रतिनिधि श्री एम.बी. रॉय, ने रिवर्स मॉर्टगेज (विपरीत बंधक) ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी उत्पाद पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

18 अगस्त, 2011 को चंडीगढ़ में वरिष्ठ नागरिक के लिए आरएमएल पर संगोष्ठी

राष्ट्रीय आवास बैंक ने हैल्पेज इंडिया की साझेदारी में 18 अगस्त, 2011 को चंडीगढ़ वरिष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम, सेक्टर 43–ए, चंडीगढ़ में रिवर्स मॉर्टगेज (विपरीत बंधक) ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी उत्पाद पर एक संगोष्ठी आयोजित की। इसमें विभिन्न आवासीय कल्याण संघों से लगभग 50 वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हुए थे।

संगोष्ठी में हैल्पेज इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक विधि, एवं वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष मेजर जनरल एम.एल. कंडल (सेवानिवृत्त), और हैल्पेज इंडिया के (चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू एवं कश्मीर के लिये) (राज्य प्रमुख) श्री भावेश शर्मा। श्री रवि शास्त्री, सहायक प्रबंधक, एवं प्रबंधक के.के. राजामोहन राष्ट्रीय आवास बैंक, ने रिवर्स मॉर्टगेज ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

आवास वित्त से संबंधित कानूनी पहलुओं पर ऊटी, तमिलनाडु में दो दिवसीय प्रशिक्षण

दिनांक 14 एवं 15 जुलाई, 2011 को राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा तमिलनाडु के ऊटी (उदगमंडलम्) में आवास वित्त से संबंधित कानूनी पहलुओं एवं मुद्दों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन भारतीय रिजर्व बैंक के प्रधान सलाहकार, श्री जी.एस.हेगड़े ने किया एवं भा.रि.बैंक विधि अधिकारी श्री अभिलाष अंकथिख तथा हडको के कार्यपालक निदेशक (विधि), श्री एस.एस. गौर; इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर के उप महाप्रबंधक, श्री एस.डी. नंदा; राष्ट्रीय आवास बैंक के पूर्व महाप्रबंधक, श्री बी. सी. वासुमतारी; महाप्रबंधक श्री आर.एस.गर्ग एवं सहायक प्रबंधक, दीपाली नंदन प्रसाद तथा एसआईयू इंडिया के अतिरिक्त निदेशक, श्री राजेन्द्र सिंह, उच्च न्यायालय मदुरई शाखा के वकील श्री पल्ला रामासामी ने संबोधित किया। इस प्रशिक्षण में कुल 44 अधिकारियों ने भाग लिया।

दिनांक 27 जुलाई, 2011 को कोलकाता में प्रशिक्षण

राष्ट्रीय आवास बैंक ने दिनांक 27 जुलाई, 2011 को पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक के लिए कोलकाता में "ग्रामीण आवास वित्त" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक के चेयर मैन श्री सव्यसाची दास ने किया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण आवास में उपलब्ध सुअवसरों के साथ-साथ ग्रामीण आवास एवं उससे जुड़ी चुनौतियों, वित्तीय सहायता एवं ग्रामीण वित्त के संवितरण और उससे जुड़े जोखिम एवं वसूली आदि के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में 28 अधिकारियों ने भाग लिया।

कर्नाटक राज्य में "ग्रामीण आवास वित्त" पर प्रशिक्षण

राष्ट्रीय आवास बैंक ने कृष्णा ग्रामीण बैंक तथा कावेरी कल्प तरू ग्रामीण बैंक के लिए क्रमशः दिनांक 26 अगस्त, 2011 को गुलबर्गा एवं दिनांक 29 अगस्त, 2011 को मैसूर में ग्रामीण आवास वित्त पर एक प्रशिक्षण में आयोजित किया। यहां ग्रामीण आवास वित्त के बारे में रा.आ. बैंक द्वारा किये जानेवाले प्रयासों, योजनाओं तथा ग्रामीण आवास एवं किफायती आवास के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण आवास वित्त की संभावनाओं एवं लाभ के बारे में भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में रा.आ. बैंक की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आत्माराम मुदियम, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सुनील रसानिया एवं भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री एस.आर. नागराज ने संकाय सदस्यों की भूमिका निभाई। दोनों कार्यक्रमों में लगभग 65 लोगों ने भाग लिया।

चेन्नई में जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण

राष्ट्रीय आवास बैंक ने दिनांक 2 एवं 3 सितंबर, 2011 को चेन्नई में जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आवास बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आत्माराम मुदियम के साथ आरबीआई स्टाफ ट्रेनिंग कालेज के महाप्रबंधक एवं संकाय वरिष्ठ श्री आर.रवि कुमार तथा एसबीआई स्टाफ कालेज के उप महाप्रबंधक एवं संकाय, श्री आर.गणेश तथा यही से सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री एस शंकरनारायणन ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में कुल 27 प्रतिभागियों ने भाग लेकर लाभ उठाया।

हिंदी दिवस के अवसर पर बैंक में हिंदी चेतना मास-2011 का आयोजन

बैंक में दिनांक 15 अगस्त से 14 सितंबर, 2011 तक हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी चेतना मास-2011 मनाया गया। इस आयोजन के दौरान सात प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा पुक हिंदी वृत्त चित्र दिखाया गया और हिंदी दिवस 14 सितंबर, 2011 को मुख्य समारोह आयोजित कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता 27 अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। इस समारोह में बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अर्णव राय की उपस्थिति में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.वी. वर्मा ने अध्यक्षता की, और प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए।

हिंदी चेतना मास 2011 के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह की कुछ झलकियां

राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों का पदोन्नयन

बैंक के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 6 सितंबर, 2011 के प्रभाव से निम्नानुसार पदोन्नत किया गया।

सहायक महाप्रबंधक से उपमहाप्रबंधक के रूप में

श्री के चक्रवर्ती

क्षेत्रीय प्रबंधक से सहायक महाप्रबंधक के रूप में

श्री एल.के. चड्ढा

श्री सौरभ शील

श्री वी सांबामूर्ति

श्री सुशांत कुमार पाढ़ी

श्री डी.एन. सोमवंशे

सुश्री रीता भट्टाचार्य

उप प्रबंधक से प्रबंधक के रूप में 21 अक्टूबर, 2011 से प्रभावी पदोन्नयन

श्री विजय कुमार

श्री के जगनमोहन राव

श्री डब्लू क्रिस्टोफर रॉबिन

सुश्री रेखा मुरली

सहायक प्रबंधक से उप प्रबंधक के रूप मे

सुश्री राधिका राठी

किफायती आवास परिदृश्य

-वी सांबामूर्ति, सहा. महाप्रबंधक

विकीपेडिया की परिभाषा के अनुसार, "किफायती आवास" (एफोर्डेबल हाउस) शब्द का प्रयोग उन लोगों, जिन्हें मध्यम आय प्राप्त होती है; के लिए ऐसी आवास इकाईयों का विवरण देने के लिए होता है, जिनकी कुल आवास लागत "किफायती" मानी जाती है। यद्यपि यह शब्द प्राय: उस किराये के आवास हेतु प्रयोग किया जाता है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के निम्न आय श्रेणी के लोगों के वित्तीय साधनों के अंतर्गत है, अवधारणा सभी आय श्रेणियों में मकान के स्वामियों एवं क्रेताओं, दोनों के लिए लागू होती है।

भारत में किफायती आवास उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए नया मंत्र है जो देश में भूसंपत्ति (रीयल ऐस्टेट) क्षेत्र से संबंधित है यथा क्रेता, विक्रेता, भूसंपत्ति दलाल एवं निवेशक, नीति निर्माता, आ.वि.क. आदि भारत में हर कोई किफायती किस्म के आवास के लिए प्रयासरत है। भारत में किफायती आवास के लिए विशाल मांग है जिसकी आपूर्ति में भारी कमी के बोध के कारण तमाम तरह के लोग इस क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए कूद पड़े हैं।

चालू परियोजनाओं के लिए, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलुरु, कोलकाता, चेन्नै, पूणे, गुडगांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आदि प्रमुख महानगरों में पहले से ही लगभग 15% तक मूल्यों में गिरावट आई है। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के संबंध में नगरों के प्रमुख संपत्ति बाजारों में 43% से अधिक मूल्यों में कमी आई है। क्योंकि आर्थिक मंदी के परिणामस्वरुप उपयोगी वस्तुओं यथा सीमेंट व स्टील के मूल्यों में कमी आई है, निर्माण लागत भी कम हुई है। सीमेंट की कीमतों में 40% तक गिरावट और स्टील की कीमतों में लगभग 20% गिरावट ने, जो कि निर्माण लागत का मुख्य खंड निर्मित करते हैं; विकासकों को अंतिम क्रेता तक लाभ पहुंचाने के लिए बाध्य किया है। अतः भारत में रु. 15–30 लाख की मूल्य श्रेणी के अंतर्गत किफायती प्रकार के आवासों की मांग एक यथार्थ बन कर उभर रही है।

विश्व में एक अरब से ज्यादा लोग दयनीय परिस्थितियों में रहते हैं। केवल भारत में, आधारभूत सुविधाओं के बिना लगभग 10 करोड़ लोग गंदी बस्ती और गंदी बस्ती जैसी स्थितियों में रहते हैं। यह संख्या 2020 तक 20 करोड़ हो जाने की संभावना है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति बनी रही, तो 2030 तक शहरी निवासियों की संख्या लगभग 5 अरब तक पहुंच जाएगी। भारत में, वर्ष 2030 में शहरी जनसंख्या वर्तमान 32.8 करोड़ से 57.8 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इस तीव्र शहरीकरण के साथ, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक शहरी निवासियों, विशेष रुप से गरीबों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना होगा।

यदि भारत के नगर अपने वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ तथा विकास को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो गरीबों के लिए विशाल स्तर पर आवासों का निर्माण करने की दृष्टि से घनी आबादी वाले नगरों के बाहरी इलाकों में भूमि जुटाना आज समय की मांग है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित लोगों को आवास उपलब्ध करा सकते हैं, हमें निश्चित रूप से ही प्रति व्यक्ति आय की लगभग पांच गुना लागत पर आवास उपलब्ध कराने चाहिए।

दो लाख रुपये वार्षिक से अधिक कमाने वाले परिवारों की संख्या अगले दो वर्षों में दुगनी होकर लगभग 2 करोड़ हो जाने पर, छोटे और साधारण मकानों की मांग बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। यदि विकासक या भवन निर्माता पर्याप्त खरीददार पाने में सफलता पाना चाहते हैं तो मूल्य और अधिक वास्तविक होने चाहिए। शहरों में उच्च मूल्य होने के कारण, उपनगरीय क्षेत्रों में अधिकतर किफायती आवास परियोजनाएं अवश्य निर्मित की जानी चाहिए। किफायती आवास परियोजना के लिए भूमि का मूल्य अपेक्षाकृत कम होना चाहिए। यह भी अत्यावश्यक है कि आवास की गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्माण लागत को कम करने के लिए नवीन तरीकों का विकास किया जाए। यह भी अत्यावश्यक है कि नवाचारी, ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण हितैषी सामग्री और नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचार किया जाए जो कुशल निवेश को न्यूनतम करे और किफायती मूल्य हेतु शीघ्र परिणाम दे।

देश में आयोजित किए गए विविध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान, भारत में भूसंपत्ति बाजारों में बढ़ी हुई एफडीआई के बारे में संकेत, उपलब्ध भूसंपदा निधियों की संख्या में वृद्धि और आवास ऋणों पर कम की गई ब्याज दरें दृष्टिगोचर हुई हैं। भारत में किफायती आवास परियोजनाओं के लिए भूसंपदा विकासकों को ऋणों के लिए कम की गई दरें, विविध बैंकों ने भी घोषित की हैं। भारत में निम्न बजट के आवासों की बहुत भारी मांग को पूरा करने के लिए, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और विविध वित्तीय संस्थान, भूसंपत्ति दलालों को पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि वे संयुक्त रुप से भारत में किफायती आवासों के लिए उपायों की कड़ी प्रारंभ कर सकें।

नीतिगत हस्तक्षेप

सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराने के विविध पक्षों की जांच के लिए एचडीएफसी के अध्यक्ष श्री दीपक पारीख की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कार्यदल स्थापित किया है। जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.वी. वर्मा, डिवलेपमेंट क्रेडिट बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन (गैर कार्यवाहक अध्यक्ष) नासिर मुजी, ऐसोसियेशन ऑफ वॉलंटरी ऐक्शन एंड सर्विसिज की कार्यपालक न्यासी अनिता रेड्डी, सेवा (एसईडब्ल्यूए) बैंक के अध्यक्ष रेनाना झबवाला, डीएलएफ उपाध्यक्ष राजीव सिंह और नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर ओम प्रकाश माथुर कार्यदल के सदस्य हैं।

विकसित भूमि की आपूर्ति को बढ़ाने की दृष्टि से मास्टर योजना एवं क्षेत्रीय योजना के ढांचे की जांच के अतिरिक्त, कार्यदल ने उपयुक्त सरकारी सहायता सहित आवास के लिए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों की पहुंच में वृद्धि हेतु अर्थोपायों की सिफारिश की।

शहरी गरीबों के लिए आवास इकाईयों की आपूर्ति में तीव्रता लाने के लिए विधायी उपायों की सिफारिश तथा किराये के आवासों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने के अतिरिक्त, इसने कम लागत भवन तकनीकों के समर्थन के लिए उपायों की भी सिफारिश की। निम्न आय परिवारों एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को आवासों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विविध राजकोषीय एवं स्थान–प्रोत्साहनों की जांच के अलावा, कार्यदल शहरी गरीबों को कार्य एवं बिक्री के लिए स्थल उपलब्ध कराने के साथ–साथ पर्यावास की गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से स्वस्थाने गंदी बस्ती उन्नयन

विकीपेडिया की परिभाषा के अनुसार, "किफायती आवास" (एफोर्डेबल हाउस) शब्द का प्रयोग उन लोगों, जिन्हें मध्यम आय प्राप्त होती है; के लिए ऐसी आवास इकाईयों का विवरण देने के लिए होता है, जिनकी कुल आवास लागत "किफायती" मानी जाती है। यद्यपि यह शब्द प्रायः उस किराये के आवास हेतु प्रयोग किया जाता है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के निम्न आय श्रेणी के लोगों के वित्तीय साधनों के अंतर्गत है, अवधारणा सभी आय श्रेणियों में मकान के स्वामियों एवं क्रेताओं, दोनों के लिए लागू होती है।

भारत में किफायती आवास उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए नया मंत्र है जो देश में भूसंपत्ति (रीयल ऐस्टेट) क्षेत्र से संबंधित है यथा क्रेता, विक्रेता, भूसंपत्ति दलाल एवं निवेशक, नीति निर्माता, आ.वि.क. आदि भारत में हर कोई किफायती किस्म के आवास के लिए प्रयासरत है। भारत में किफायती आवास के लिए विशाल मांग है जिसकी आपूर्ति में भारी कमी के बोध के कारण तमाम तरह के लोग इस क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए कूद पड़े है।

चालू परियोजनाओं के लिए, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलुरु, कोलकाता, चेन्नै, पूणे, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आदि प्रमुख महानगरों में पहले से ही लगभग 15% तक मूल्यों में गिरावट आई है। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के संबंध में नगरों के प्रमुख संपत्ति बाजारों में 43% से अधिक मूल्यों में कमी आई है। क्योंकि आर्थिक मंदी के परिणामस्वरुप उपयोगी वस्तुओं यथा सीमेंट व स्टील के मूल्यों में कमी आई है, निर्माण लागत भी कम हुई है। सीमेंट की कीमतों में 40% तक गिरावट और स्टील की कीमतों में लगभग 20% गिरावट ने, जो कि निर्माण लागत का मुख्य खंड निर्मित करते हैं; विकासकों को अंतिम क्रेता तक लाभ पहुंचाने के लिए बाध्य किया है। अतः भारत में रु. 15-30 लाख की मूल्य श्रेणी के अंतर्गत किफायती प्रकार के आवासों की मांग एक यथार्थ बन कर उभर रही है।

विश्व में एक अरब से ज्यादा लोग दयनीय परिस्थितियों में रहते हैं। केवल भारत में, आधारभूत सुविधाओं के बिना लगभग 10 करोड़ लोग गंदी बस्ती

और गंदी बस्ती जैसी स्थितियों में रहते हैं। यह संख्या 2020 तक 20 करोड़ हो जाने की संभावना है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति बनी रही, तो 2030 तक शहरी निवासियों की संख्या लगभग 5 अरब तक पहुंच जाएगी। भारत में, वर्ष 2030 में शहरी जनसंख्या वर्तमान 32.8 करोड से 57.8 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इस तीव्र शहरीकरण के साथ, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक शहरी निवासियों, विशेष रुप से गरीबों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना होगा।

यदि भारत के नगर अपने वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ तथा विकास को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो गरीबों के लिए विशाल स्तर पर आवासों का निर्माण करने की दृष्टि से घनी आबादी वाले नगरों के बाहरी इलाकों में भूमि जुटाना आज समय की मांग है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित लोगों को आवास उपलब्ध करा सकते हैं, हमें निश्चित रूप से ही प्रति व्यक्ति आय की लगभग पांच गुना लागत पर आवास उपलब्ध कराने चाहिए।

दो लाख रुपये वार्षिक से अधिक कमाने वाले परिवारों की संख्या अगले दो वर्षों में दुगनी होकर लगभग 2 करोड़ हो जाने पर, छोटे और साधारण मकानों की मांग बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। यदि विकासक या भवन निर्माता पर्याप्त खरीददार पाने में सफलता पाना चाहते हैं तो मूल्य और अधिक वास्तविक होने चाहिए। शहरों में उच्च मूल्य होने के कारण, उपनगरीय क्षेत्रों में अधिकतर किफायती आवास परियोजनाएं अवश्य निर्मित की जानी चाहिए। किफायती आवास परियोजना के लिए भूमि का मूल्य अपेक्षाकृत कम होना चाहिए। यह भी अत्यावश्यक है कि आवास की गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्माण लागत को कम करने के लिए नवीन तरीकों का विकास किया जाए। यह भी अत्यावश्यक है कि नवाचारी, ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण हितैषी सामग्री और नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचार किया जाए जो कुशल निवेश को न्यूनतम करे और किफायती मूल्य हेतु शीघ्र परिणाम दे।

देश में आयोजित किए गए विविध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान, भारत में भूसंपत्ति बाजारों में बढ़ी हुई एफडीआई के बारे में संकेत, उपलब्ध भूसंपदा निधियों की संख्या में वृद्धि और आवास ऋणों पर कम की गई ब्याज दरें दृष्टिगोचर हुई हैं। भारत में किफायती आवास परियोजनाओं के लिए भूसंपदा विकासकों को ऋणों के लिए कम की गई दरें, विविध बैंकों ने भी घोषित की हैं। भारत में निम्न बजट के आवासों की बहुत भारी मांग को पूरा करने के लिए, योजना आयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय और विविध वित्तीय संस्थान, भूसंपत्ति दलालों को पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि वे संयुक्त रुप से भारत में किफायती आवासों के लिए उपायों की कड़ी प्रारंभ कर सकें।

नीतिगत हस्तक्षेप

सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराने के विविध पक्षों की जांच के लिए एचडीएफसी के अध्यक्ष श्री दीपक पारीख की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कार्यदल स्थापित किया है। जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.वी. वर्मा, डिवलेपमेंट क्रेडिट बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन (गैर कार्यवाहक अध्यक्ष) नासिर मुंजी, ऐसोसियेशन ऑफ वॉलंटरी ऐक्शन एंड सर्विसिज की कार्यपालक न्यासी अनिता रेड्डी, सेवा (एसईडब्ल्यूए) बैंक के अध्यक्ष रेनाना झबवाला, डीएलएफ उपाध्यक्ष राजीव सिंह और नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर ओम प्रकाश माथुर कार्यदल के सदस्य है।

विकसित भूमि की आपूर्ति को बढ़ाने की दृष्टि से मास्टर योजना एवं क्षेत्रीय योजना के ढांचे की जांच के अतिरिक्त, कार्यदल ने उपयुक्त सरकारी सहायता सहित आवास के लिए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों की पहुंच में वृद्धि हेतु अर्थोपायों की सिफारिश की।

शहरी गरीबों के लिए आवास इकाईयों की आपूर्ति में तीव्रता लाने के लिए

विकीपेडिया की परिभाषा के अनुसार, "किफायती आवास" (एफोर्डेबल हाउस) शब्द का प्रयोग उन लोगों, जिन्हें मध्यम आय प्राप्त होती है, के लिए ऐसी आवास इकाईयों का विवरण देने के लिए होता है, जिनकी कुल आवास लागत "किफायती" मानी जाती है। यद्यपि यह शब्द प्रायः उस किराये के आवास हेतु प्रयोग किया जाता है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के निम्न आय श्रेणी के लोगों के वित्तीय साधनों के अंतर्गत है, अवधारणा सभी आय श्रेणियों में मकान के स्वामियों एवं क्रेताओं, दोनों के लिए लागू होती है।

भारत में किफायती आवास उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए नया मंत्र है जो देश में भूसंपत्ति (रीयल ऐस्टेट) क्षेत्र से संबंधित है यथा क्रेता, विक्रेता, भूसंपत्ति दलाल एवं निवेशक, नीति निर्माता, आ.वि.क. आदि भारत में हर कोई किफायती किस्म के आवास के लिए प्रयासरत है। भारत में किफायती आवास के लिए विशाल मांग है जिसकी आपूर्ति में भारी कमी के बोध के कारण तमाम तरह के लोग इस क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए कूद पड़े हैं।

चालू परियोजनाओं के लिए, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलुरु, कोलकाता, चेन्नै, पूणे, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आदि प्रमुख महानगरों में पहले से ही लगभग 15% तक मूल्यों में गिरावट आई है। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के संबंध में नगरों के प्रमुख संपत्ति बाजारों में 43% से अधिक मूल्यों में कमी आई है। क्योंकि आर्थिक मंदी के परिणामस्वरुप उपयोगी वस्तुओं यथा सीमेंट व स्टील के मूल्यों में कमी आई है, निर्माण लागत भी कम हुई है। सीमेंट की कीमतों में 40% तक गिरावट और स्टील की कीमतों में लगभग 20% गिरावट ने, जो कि निर्माण लागत का मुख्य खंड निर्मित करते है, विकासकों को अंतिम क्रेता तक लाभ पहुंचाने के लिए बाध्य किया है। अतः भारत में रु. 15–30 लाख की मूल्य श्रेणी के अंतर्गत किफायती प्रकार के आवासों की मांग एक यथार्थ बन कर उभर रही है।

विश्व में एक अरब से ज्यादा लोग दयनीय परिस्थितियों में रहते हैं। केवल भारत में, आधारभूत सुविधाओं के बिना लगभग 10 करोड़ लोग गंदी बस्ती और गंदी बस्ती जैसी स्थितियों में रहते हैं। यह संख्या 2020 तक 20 करोड़ हो जाने की संभावना है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति बनी रही, तो 2030 तक शहरी निवासियों की संख्या लगभग 5 अरब तक पहुंच जाएगी। भारत में, वर्ष 2030 में शहरी जनसंख्या वर्तमान 32.8 करोड़ से 57.8 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इस तीव्र शहरीकरण के साथ, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक शहरी निवासियों, विशेष रुप से गरीबों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना होगा।

यदि भारत के नगर अपने वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ तथा विकास को निरंतर बनाए रखना चाहते है तो गरीबों के लिए विशाल स्तर पर आवासों का निर्माण करने की दृष्टि से घनी आबादी वाले नगरों के बाहरी इलाकों में भूमि जुटाना आज समय की मांग है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित लोगों को आवास उपलब्ध करा सकते है, हमें निश्चित रूप से ही प्रति व्यक्ति आय की लगभग पांच गुना लागत पर आवास उपलब्ध कराने चाहिएं।

दो लाख रुपये वार्षिक से अधिक कमाने वाले परिवारों की संख्या अगले दो वर्षों में दुगनी होकर लगभग 2 करोड़ हो जाने पर, छोटे और साधारण मकानों की मांग बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। यदि विकासक या भवन निर्माता पर्याप्त खरीददार पाने में सफलता पाना चाहते हैं तो मूल्य और अधिक वास्तविक होने चाहिए। शहरों में उच्च मूल्य होने के कारण, उपनगरीय क्षेत्रों में अधिकतर किफायती आवास परियोजनाएं अवश्य निर्मित की जानी चाहिए। किफायती आवास परियोजना के लिए भूमि का मूल्य अपेक्षाकृत कम होना चाहिए। यह भी अत्यावश्यक है कि आवास की गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्माण लागत को कम करने के लिए नवीन तरीकों का विकास किया जाए। यह भी अत्यावश्यक है कि नवाचारी, ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण हितैषी सामग्री और नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने

जनसंख्या घटाने का एक अभिनव प्रयोग

-अमर सिंह रत्नान,

पूरे विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और हम सात अरब का आकड़ा पार करने के बिल्कुल निकट है। अतः इसके लिए तुरन्त नवीन उपायों को अपनाने की जरूरत है। हम भारत में अपनाए गए ऐसे ही एक उपाय की चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में उन नव विवाहित दंपतियों के लिए 5000/- रू0 का हनीमून पैकेज प्रस्तावित किया जाता है जो शिशु जन्म में देरी करते हैं। सतारा की यह प्रायोगिक परियोजना एक ऐसे सर्वेक्षण के बाद प्रारंभ की गई जो बताती थी कि सतारा की लगभग एक चौथाई लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है और उनके 45 प्रतिशत बच्चे कुपोषित पैदा हुए।

बाल विवाह को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया और 27000 अभिभावकों ने एक शपथ पत्र हस्ताक्षरित किया कि वे अपनी लड़कियों का विवाह 18 साल की होने से पहले नहीं करेंगे। एक प्रेरक के रूप में हनीमून पैकेज की शुरूआत वर्ष 2009 के मध्य में की गई जो शिशु जन्म में देरी और लड़कियों का अपनी स्कूली शिक्षा या कौशल को पूरा करने के लिए लक्षित था। एएनएम प्रत्येक घर-घर जाकर दंपति को शिशु जन्म मे देरी के लिए अभिप्रेरित करती है। फिलहाल अब तक 2366 दंपतियों ने नामांकन कराया है और प्रति परिवार शिशु जन्म दर गिरकर 1.9 बच्चे प्रति परिवार तक आ गया है।

अन्य राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारी इस प्रायोगिक परियोजना के अध्ययन के लिए दौरा कर रहे हैं जो कि सहजता से लागई ग्रामीण रिवाजों की चुनौतियों के समक्ष जनसंख्या वृद्धि हेतु एक सहज उपागम का इस्तेमाल कर रही है। ■

भू-संपदा बाजार में मंदी के प्रमुख घटक

– अशोक कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक

पिछले कई दिनों से आवास एवं भू संपदा के क्षेत्र में लगातार मंदी आ रही है। संपदा विशेषज्ञों के अनुसार कुछ शहरों में आवास एवं संपदा बाजार की कीमतों में 15 से 20 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। इस गिरावट के कई घटक हैं, जैसेकि

1) भारतीय रिजर्व बैंक व सरकार का उदासीन होना

भू– संपदा के मूल्य में गिरावट आने का यह सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। रिजर्व बैंक ने तो डेढ़ महीने में दो बार रेपो रेट में बढ़ोत्तरी कर यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से रियल एस्टेट को बख्शने के मूड में नहीं है। यह हाल सरकार का भी रहा है और यह भी भवन निर्माताओं के प्रति अब उतनी दरिया दिल नही दिख रही है। कुछ राज्यों में एफएसआई से मुक्त रहने वाले क्षेत्र को एफएसआई में शामिल कर लिया है और इसके बदले में 100 प्रतिशत प्रीमियम चार्ज करने का कानून रातों–रात बना दिया है। इसके साथ ही रेपोरेट बढ़ने के संकेत भी आ रहे हैं तथा बचत खातों पर दिए जाने वाले ब्याज की सीमा को भी समाप्त करने का विचार है।

2) बैंक–फाइनैंस कंपनियों का भी अनुदार होना

भारतीय रिजर्व बैंक के बढ़ाए रेपो रेट को निष्प्रभावी बनाया जा सकता है, अगर बैंक और दूसरी प्राइवेट हाउसिंग कंपनियां इसका बोझ खुद वहन कर लें। मगर अतीत में चूंकि किसी भी भवन निर्माता ने ग्राहकों को कभी नहीं बख्शा है, अतः इसकी संभावना कम ही है कि बैंक और वित्त कंपनियां भवन निर्माताओं की बात मानेंगी और अपनी ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगी। दरअसल यह घटक ऐसा है कि ग्राहकों को स्वच्छंद बनने से रोकेगा और भवन निर्माताओं को अपनी दरें ढीली करने पर मजबूर कर सकता है। नकदी जुटाने के लिए यूनिट के दामों में कमी आना स्वाभाविक परिणिति हो सकती है।

3) बाजार में कृत्रिम उछाल

यदि ईमानदारी से देखा जाए तो प्रॉपर्टी बाजार में आधी से ज्यादा तेजी भवन निर्माताओं ने स्वयं पैदा की हुई है। ये भवन निर्माताओं द्वारा मनमाने तरीके से प्रॉपर्टी रेट बढ़ा दिये जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर किसी तरह का रेगुलेटर नहीं है। जिन भवन निर्माताओं की होल्डिंग कैपेसिटी है उन्हें माल बेचने या न बेचने से कोई लेना–देना नहीं है। जब किसी भी बिल्डर को सेल बढ़ानी होती है, वह रेट में डिस्काउंट का ऐलान कर देता है, मगर साथ में उसके "हिडन चार्जेस" (गुप्त प्रभार) इतने हो जाते हैं कि उस ऑफर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कई बार भवन निर्माता एक फ्लैट का बेस प्राइस (आधार मूल्य) काफी कम रखते हैं लेकिन पार्किंग, विद्युत, मनोरंजन जैसे प्रभार 33–35 प्रतिशत तक हो जाते हैं। ऐसे में उपभोक्ता ठगा महसूस करता है या फिर खरीद नहीं करता है। कई बार "अनफॉर सीन" का कारण देकर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं।

4) फाइनैंसरों की कम होती दिलचस्पी

यह शायद आने वाले दिनों में भवन निर्माताओं के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। एक तो रिजर्व बैंक का रियल इस्टेट के प्रति कड़ा रूख अपनाना और ऊपर से भवन निर्माताओं के प्राइवेट फंड मैनेजरों का हाथ खड़े कर लेना इनके लिए दोहरी मार का सबब बन सकता है। निजी ऋणदाता (प्राइवेट लेंडर्स) अब भवन निर्माताओं को 20 से 30 प्रतिशत के ब्याज पर लोन दे रहे हैं और बैंकों ने भी लोन देने के मानकों को और कड़ा कर दिया है। प्राइवेट इक्विटी फर्मों ने तो और भी मुंह मोड़ लिया है और इन्वेस्टर अपना हाथ पहले से ही जला कर बैठे हैं। उस पर भूमि अधिग्रहण नीति पर सरकार का ढुल–मुल रवैया और विभिन्न किसान आंदोलनों ने भी भवन निर्माताओं के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं जिसके कारण निवेशक एवं फाइनेंसर हाथ डालने की बजाय "वेट एंड वाच" की नीति अपना कर शांत बैठे हैं। नोएडा / ग्रेटर नोएडा इसके स्पष्ट उदाहरण है।

5) जमीन और कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ना

यह एक बारहमासी कारण है, जिसका हवाला देकर बिल्डर हर हफ्ते–महीने अपना रेट बढ़ाते रहते हैं। यो बात अलग बात है कि जमीन और दूसरी कीमतें जहां केवल 5–10 प्रतिशत बढ़ेगी तो बिल्डर का आउटपुट रेट 20–30 प्रतिशत रेट बढ़ जाता है। स्टील, सीमेंट, ईंट, मजदूरी जैसे घटक भवन निर्माण क्षेत्र को हमेशा से प्रभावित करते रहे हैं, मगर अबकी बार यह असर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। शायद मंहगाई एवं पट्रो पदार्थों की बढ़ती कीमतें भी इसका एक प्रमुख कारण है।

6) नेगेटिव होता मार्केट सेंटिमेंट

फिलहाल तो मुंबई सहित पूरे देश के अनेक महानगरों में पिछले एक साल से गजब की मंदी का माहौल चल रहा है और ऐसे में सबको लगता है कि कोई खरीददार फ्लैट खरीदने के लिए बड़ा जोखिम लेने की पोजिशन में नहीं है। खासकर तब, जबकि मुंबई शहर में 1,050 लाख स्क्वेयर फुट के रेडी स्थिति के फ्लैट्स अभी अनबिके हैं और इन्हें खरीदारों का इंतजार है। यहां तक कि दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं गुडगांव, फरीदाबाद, सोनीपत आदि में अनेक भवन निर्माता फ्लैट बना रहे हैं, पिछले दो सालों में देश भर में 50 प्रतिशत से ज्यादा बिक्री का आंकड़ा नहीं पार कर पाए हैं।

7) कम अनुभवी भवन निर्माताओं का अखाड़े में उतरना

आज की तारीख में अगर देश भर में करोड़ो स्क्वेयर फुट के रेडी पोजेशन के फ्लैट्स एवं अपार्टमेंट अभी अनबिके हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी

है कि कई ऐसे बिल्डर मार्केट में उतर चुके है, जिनके पास कोई अच्छा–खासा अनुभव नहीं है। ये सिर्फ इसलिए अपना करोड़ों रुपया लगा बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े भवन निर्माताओं को मोटा मुनाफा कमाते देखा। लेकिन अब नतीजा यह है कि बाजार में तैयार फ्लैट्स अधिक हैं और खरीददार कम हैं, क्योंकि कीमतें आसमान को छू रही हैं।

8) जरूरत से ज्यादा फ्लैटों का तैयार हो जाना

जब प्रॉपर्टी मार्केट में उफान (बूम) था तो बड़े–बड़े भवन निर्माताओं की कमाई की देखा–देखी उनके साथ छोटे भवन निर्माता भी बाजार में उतर पड़े। रातों रात प्रापर्टी की तेजी का फायदा उठाने के लिए, इन्होने बिना कोई सर्वे किए और मार्केट की नब्ज पहचाने फ्लैटों का निर्माण किया। गनीमत है कि पिछले कुछ महीनों से महानगरों में प्लान पास करने का सिलसिला कम हो गया है, नहीं तो आज मार्केट में 'सरप्लस' कुछ ज्यादा ही होता। मार्केट के पंडितों की माने तो इस साल नवरात्रि जैसे त्यौहारों के समय भी भवन निर्माताओं को कोई खास खुशी मनाने का मौका नहीं मिल पाया है। बस किसी तरह छोटी–मोटी बिक्री करके कंपनी की गाड़ी खींच रहे हैं और फाइनेंसरों का ब्याज चुका रहे है।

9) भवन निर्माताओं का नवाचारी (इनोवेटिव) न होना

जिस तरह से बीते एक साल में खरीदारी में इतनी कमी देखी गई है, उसके मद्देनजर यह उम्मीद की जा रही थी कि बिल्डर अच्छे से अच्छा ऑफर लाएंगे और वे अपने यहां अनबिके स्टॉक को बेच कर कुछ दाम वसूल कर जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। गुडी पाडवा एवं नवरात्रों जैसे त्योहारों पर उनकी ढंग से बोहनी तक नहीं हुई। कीमतों में बार्गेनिंग, फ्री कार पार्किंग, एक से ज्यादा फ्लैटों की बुकिंग में और भी ज्यादा डिस्काउंट, यहां तक की मुफ्त कार एवं 52" के टीवी कैश पेमेंट, में भी अलग से डिस्काउंट; जैसे ऑफर बिल्डर्स ने उतारे; मगर इनमें से कोई ऑफर इतना नया या आकर्षक नहीं था कि ग्राहकों को डील फाइनल करने के लिए राजी कर लेता।

10) फ्यूचर भी डांवांडोल

अगर बिल्डर अपना रेट कम नहीं करते हैं यानि कि फ्लैट/मकान/यूनिट की वास्तविक कीमत में कमी नहीं करते और इसके साथ ही बैंक/आवास वित्त कंपनियां ब्याज दरों में कमी एवं स्थिरता नहीं लाती तो मंदी का दौर लंबा खिंच सकता है। यदि ऐसी स्थिति निरंतर रही तो कोई शक नहीं कि मार्केट का नेगेटिव सेंटिमेंट आगे भी जारी रह सकता है। हाल ही में एक सर्वे में बताया गया है कि रियल एस्टेट से ग्राहकों का भटकाव आने वाले कुछ और महीनों में चालू रह सकता है यदि भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार महंगाई को काबू में नहीं करती तथा रेपो दर बढ़ाकर ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी तो ऐसे में महंगाई घटे न घटे, पर भू–संपदा बाजार में कम से कम एक–दो साल तक सच्चा खरीदार ऐसी सूरत में अपना पैसा नहीं लगाना चाहेगा। ऐसे में इंतजार तो किसी चमत्कार का ही है। जिससे निवेशक अपना पैसा सोने–चांदी और शेयर बाजार छोड़कर भू–संपदा में लगाएं।

मैं भारत की संसद हूँ

– सौरभ शेखर झा, पत्रकार एवं अनुवादक

मैं विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश भारत की संसद हूँ,
कभी लोकतंत्र का स्तंभ
तो कभी प्रजातंत्र का प्रतीक कहते हैं मुझे
लेकिन मैं तो बस तंत्रों के जाल में घिरी लगती हूँ,
और कामना है दिखने की स्वतंत्र।
मैंने देश को आजादों की स्वातंत्रता भी देखी है
डा. अंबेडकर व राजेन्द्र बाबू के सपनों का भारत देखा है
गांधी को देखा है, नेहरू व पटेल को महसूस किया है
मैंने कभी जनता के सेवकों को लड़ते देखा है।
और कभी निज स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए
मेरी सर्वोच्चता की दुहाई देते सुना है।
कभी रातोंरात देश पर आपातकाल देखा है, मैंने
तो कभी दलों को एक दूसरे से भिड़ते देखा है।
मैं वह संसद हूँ, जहां लोकप्रतिनिधि आते हैं
और न जाने किस अहं में कुछ भी कह जाते हैं
मैंने रात–रातभर लोक हित के मुद्दों पर बहसें देखी है
तो कभी निज स्वार्थ के साधनार्थ अपना चीरहरण भी देखा है।
मुझसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है
जिसके आंचल में ताकत तो है पर उसे इस्तेमाल करने का
अधिकार नहीं
मैंने जन को पीछे छोड़ नेताओं को सरकार बचाने के लिए
धन लेते देखा है
जनता को छलते देखा खुद को तड़पता महसूस किया है
मैंने भेड़ियों को उत्पात मचाते और देश को बदलते देखा है
मैं प्रजातंत्र का मठ हूँ,और अब मौन हूँ, क्योंकि मैं भारत की
संसद हूँ,

भारत में आवास की स्थिति

– सुश्री अंजली ठाकुर, फ्रीलांस पत्रकार

भारत एक स्वतंत्र एवं विकासशील देश से विकसित देश बनने की ओर प्रयासरत है, वह आज भी अनेक चुनौती पूर्ण समस्याओं से जूझ रहा है और उनमें एक है किफायती आवास की समस्या। भारत के करोड़ों लोग अपने मकान का सपना देखते हुए जी रहे हैं। लेकिन उनकी सारी उम्र बीत जाने के बाद भी उनका सपना हकीकत नहीं बन पाता। आज हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि शहरों में जहां –तहां सड़कों के किनारे, पुलों के नीचे, रेलवे स्टेशनों पर एवं रेलवे लाइन के किनारे झुग्गी बस्तियों तथा अनेक अवैध झोपड़पट्टी एवं स्लम बस्तियों में अपना नारकीय जीवन बिताने को मजबूर हैं।

जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं–रोटी, कपड़ा और मकान से कौन सा व्यक्ति अपना मुंह मोड़ सकता है। आज के युग में जहां एक ओर कुछ लोग बहुत आलीशान मकानों में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबों के लिए गंदी बस्ती में अपना सिर छुपाने की जगह पाना भी गर्व की बात है। जिस के लिये कुछेक गरीबों को हर महीने बहुत अधिक किराया भी देना पड़ता है। दिनोंदिन बढ़ती महंगाई ने उनका दैनिक गुजर–बसर ही मुश्किल बना दिया है, ऐसे में उनके लिए अपने मकान का सपना देखना भी असंभव लक्ष्य दिखता है।

भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में रहती है। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिये, फिर चाहे वह गांव की हो या शहर की सभी लोगों के लिए अपने मकान का अर्थ जीवन भर की कमाई को लगाना है। यह भी अधिकतर लोगों के लिये संभव नहीं है क्योंकि आमतौर पर परिवार में एक व्यक्ति की कमाई पर पूरा परिवार पलता है और इस मंहगाई के दौर में, जहां महंगाई सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ती जा रही है; वहां घर खरीदने के लिए बचत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि भारत में आज साक्षरता दर 65 प्रतिशत से ऊपर जाने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं लेकिन, अकुशल श्रमिक वर्गों और अनिश्चित आय वाले कई करोड़ शहरी एवं ग्रामीणों के लिये 'अपना घर' बनाना आज भी एक सपना मात्र ही है।

भारत में आवासीय समस्या को हल करने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि किसी स्पष्ट आवास नीति एवं योजना को संरेखित किया जा सके–

- शहरों एवं गांवों में कच्चे मकान और गंदी बस्तियां
- अनाधिकृत भूमि पर मकानों/स्लमों का निर्माण
- लगातार बढ़ता हुआ मकान किराया
- अपना मकान बनाते समय भूमि के क्रय से लेकर, निर्माण पूरा कराने तक हर वर्ग के द्वारा जटिलतापूर्ण परेशानियों का सामना करना
- धन के अभाव में एक कमरे के मकान में एक परिवार या कई सदस्यों का एकसाथ रहना
- गंदी बस्तियों और निम्न आय वर्ग के आवास क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं (यथा– पानी, बिजली, सफाई, व जल निकासी का अभाव
- निम्न आय एवं गरीब वर्ग के लिये ऋण सुविधाओं की अनुपलब्धता
- भूमि, निर्माण सामग्री एवं तैयार मकानों की ऊंची कीमतों के साथ बढ़ती महंगाई की मार
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा संवितरित आवास ऋणों की ब्याज दरों में लगातार बढ़ोत्तरी
- भवन निर्माताओं द्वारा 2 से अधिक कमरों के महंगे मकानों का निर्माण और बिक्री
- भवन निर्माताओं द्वारा बढ़ा–चढ़ाकर कर झूठे वादों द्वारा उच्च कीमत में वसूलना
- जहां तक उपरोक्त समस्याओं के समाधान का प्रश्न है, इसके लिये सरकार के विनियमन एवं पर्यवेक्षण के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज को पुरजोर प्रयास करने होंगे। इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।

भारत की साधारण जनता जहां एक ओर भावुक है, वहीं दूसरी ओर भाग्य और कर्म पर संपूर्ण आस्था रखती है। यहां के लोग परिश्रमी तो हैं किंतु, परिस्थितियों के शिकार भी हैं। 'इक बंगला बने न्यारा...' और 'छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में..' जैसे गीत शायद भारत के जन–मानस की तीन मूल आवश्यकताओं में से एक 'अपने घर' की प्राथमिकता की ओर ही इशारा करते हैं। भारत सरकार की ओर से आजादी के बाद से ही भारत के नागरिकों के लिये रहने लायक उपयुक्त आवासों की व्यवस्था करने के निरंतर प्रयास जारी हैं। 'इंदिरा आवास योजना', 'राजीव गांधी आवास योजना' 'स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास योजना' भारत के ग्रामों और शहरों में निर्धन जनता को आवास मुहैया कराने के लिये भारत सरकार की बहुत अच्छी पहलें हैं। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त कंपनियों, माइक्रो वित्त

संस्थानों और विभिन्न वित्त संस्थानों के माध्यम से से बहुत ही आसान शर्तों पर निर्धन जनता को वित्त सहायता उपलब्ध कराने के लिये धन मुहैया कराता है।

यदि भारत सरकार सच्चे अर्थों में लोगों के जीवन में खुशहाली और सुरक्षा लाने का अपना संकल्प पूरा करना चाहती है तो उसे देश के सभी वर्गों के लिये 'आवास' उपलब्ध कराना होगा। किसी विचारक ने ठीक ही कहा है "क्यों करे कोई इच्छा स्वर्ग की, अगर अपना घर ही स्वर्ग हो?"

हमारे देश में जहां वास्तुकला का विश्व-प्रसिद्ध सर्वोत्तम उदाहरण 'ताज महल' है, वहीं देश आज भी क्यों दुनिया भर में अपनी गंदी बस्तियों और कच्चे मिट्टी के मकानों के लिये भी जाना जाता है? यह भी सच है कि सरकार अकेले एक अरब से ज्यादा लोगों के लिये सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसे ऐसा सरल कानून और आवास नीतिया एवं प्रावधान बनाने होंगे जिससे एनजीओ (गैर-सरकारी संस्थान), निजी क्षेत्र एवं वैयक्तिक स्तर पर लोग इस दिशा में सहजता से काम कर सकें। अन्यथा घर के सपने को हकीकत में बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। आज प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक परिवार को भगीरथ प्रयास करने होंगे; ताकि वे अपने सपनों का घर बना सकें।

आज देश में एक ओर जहां कुछ प्रतिशत उच्च आय वर्ग के लोगों के लिये अपना मकान कोई समस्या नहीं है। वहीं दूसरी ओर निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के लोगों को अपनी पूरी बचत तथा आय के साधनों के उपयोग के साथ ही जीवन में कई प्रकार के अभावों और कमियों को सह कर अपने लिये एक मकान की व्यवस्था, प्रायः किराये पर, करनी पड़ती है। आज जहां एक ओर धनी लोगों के पास हर प्रकार की आधुनिक सुविधायुक्त आवास हैं, वहीं दूसरी ओर साधारण जनता पास किसी शहर अथवा महानगर में अपना 'जनता फ्लैट' है तो वह अपने आपको खुशकिस्मत समझने लगता है।

हमारे देश के शहरों व महानगरों से जुड़े कुछ ग्रामीण क्षेत्र आज आधुनिक भारत की सुंदर तस्वीर बन गए है। लेकिन आज भी भारत के दूर-दराज इलाकों में, वन क्षेत्रों में और विषम प्राकृतिक पर्यावरण तथा परिस्थितियों में टूटे-फूटे, कच्चे तथा पानी, बिजली और शौचालय रहित मकानों में असंख्य लोग जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिये भारत सरकार, विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों, गैर-सरकारी सामाजिक संगठनों तथा नीति निर्माताओं एवं योजनाकारों को आगे आना होगा और उन्हें मकान उपलब्ध कराने में अपना भरपूर रचनात्मक सहयोग देना होगा जिनमें अभावग्रस्त और निर्धन लोग भी सम्मान पूर्वक रह पायें। भले ही वह मकान उन लोगों की हैसियत और आय के अनुसार विलासपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त न हो, किंतु उस मकान में पानी, बिजली, रसोई, शौचालय खुली हवा एवं धूप जैसी मूल आवश्यकताएं उपलब्ध कराने का पूरा ध्यान रखा गया हो।

यदि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारें, वित्तीय संस्थान, बैंक आदि तथा निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्र एवं सूक्ष्म वित्त संस्थान तथा स्वयं सहायता समूह आदि सभी मिलकर ईमानदारी से इस दिशा में प्रयास करें तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं होगा, जब देश के हर परिवार का अपने घर का सपना हकीकत बनेगा। तब हम सभी गर्व से कह सकेंगे- "सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा"

अध्यापक- हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है?

विद्यार्थी- पता नहीं सर।

अध्यापक- पढ़ाई की तरफ ध्यान दो।

विद्यार्थी- सर सुरेश कौन है?

अध्यापक- पता नहीं।

विद्यार्थी- सर अपनी बेटी की तरफ ध्यान दो, पता चल जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों हेतु रिवर्स मॉर्टगेज ऋण

-बी प्रभु, सहायक प्रबंधक

राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में एक स्वायत्त वित्त संस्थान है, जिसने भारत में रिवर्स मॉर्टगेज ऋण (आरएमएल) की संकल्पना प्रारंभ की। वर्ष 2007–08 के केन्द्रीय बजट में रिवर्स मॉर्टगेज योजना की उद्घोषणा के जरिये इस संकल्पना को भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ। रा.आ.बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को रिवर्स मॉर्टगेज ऋणों (आरएमएल) को देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबीज) और आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) के द्वारा उपयुक्त रूप से अपनाये जाने वाले और अनुसरण किए जाने वाले परिचालनात्मक दिशानिर्देश तैयार किए। यह योजना वरिष्ठ नागरिक सदस्यों को अपने घर/आवास को बंधक(मॉर्टगेज) रखने पर मासिक आय प्राप्त करने के लिए पात्र बनाती है। केन्द्रीय सरकार ने रिवर्स मॉर्टगेज योजना को दिनांक 30 सितम्बर, 2008 की अपनी अधिसूचना सं. एस. ओ.2310(ई) द्वारा अधिसूचित किया।

रिवर्स मॉर्टगेज ऋण: संकल्पना

रिवर्स मॉर्टगेज ऋण के द्वारा अचल संपत्ति अर्थात् नकदी रहित आवास आस्ति का मुद्रीकरण किया और वरिष्ठ नागरिकों (उधारकर्ताओं) के लिए आय प्रवाह जारी रखने का साधन उपलब्ध कराया. रिवर्स मार्टगेज ऋण लेने पर अपने निजी स्वामित्व वाले मकान को गिरवी (मार्टगेज) कर के एक वरिष्ठ व्यक्ति अपने आवास में ही निरंतर रह सकता है। यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। वे किसी बैंक/आ.वि.कं. में अपनी आवासीय संपत्ति (घर मकान) बंधक रख सकते है। ऋणदाता बैंक उधारकर्ता(ओं) को उस/उन के जीवनकाल में आवधिक भुगतान करता है। प्रारंभ में यह अवधि 20 वर्ष की रखी गई।

इस योजना में विवाहित दंपति में से पति या पत्नी दोनों– को संयुक्त उधारकर्ताओं के तौर पर आवधिक भुगतान लेने के लिए अनुमति प्राप्त है। इस उत्पाद की एक अनुठी विशिष्टता यह है कि उधारकर्ता वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवनकाल के दौरान ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती और उन्हें ऋणदाता को मूलधन और ब्याज की मासिक वापसी चुकौती नहीं करनी होती है। योजना की समाप्ति पर, आवासीय संपत्ति की बिक्री के द्वारा संचित ब्याज के साथ ऋण वापस लिया जाता है। उधारकर्ता वरिष्ठ नागरिक/उनके उत्तराधिकारी (वारिस) भी संचित ब्याज के साथ ऋण की पूर्व–अदायगी अथवा वापसी–अदायगी कर सकते है

रिवर्स मॉर्टगेज ऋण समर्थकारी वार्षिकी (आरएमएलईए)

इस बैंकिंग उत्पाद के मूल विवरण का आगामी विकास–समर्थकारी वार्षिकी के संयोजन (बैंकिंग एवं बीमा उत्पाद) के रूप में किया गया था। आरएमएलईए को पूर्व की आरएमएल के तहत सीमाओं जैसे कि अधिकतम 20 वर्षों की भुगतान अवधि, भुगतानों की राशि एवं अवधि और संपत्ति के मूल्य में गिरावट के मामले में अनिश्चित भुगतान को दूर हटाने के लिए संकल्पित किया गया था। आरएमएलईए ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरोसेमंद जीवन–पर्यन्त वार्षिकी के भुगतान सुनिश्चित किये। यह बैंक/आ.वि.कं के माध्यम से किसी जीवन बीमा कंपनी से मकान के निजी स्वामित्व वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरोसेमंद जीवन पर्यन्त वार्षिकी सुनिश्चित करने के द्वारा संभव हुआ।

इसके अलावा, इस योजना ने विवाहित दंपतियों के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराया, इसमें पति एवं पत्नी दोनों ही अपने संपूर्ण जीवन काल में आवधिक वार्षिकी भुगतान प्राप्त करने के लिए संयुक्त उधारकर्ता हो सकते है अर्थात् यह भुगतान अंतिम उत्तरजीवी (पति या पत्नी) उधारकर्ता को मिलता रहेगा। नयी योजना ने वरिष्ठ नागरिक उधारकर्ताओं को आश्वासित (भरोसेमंद) जीवन–पर्यन्त अर्थात् 20 वर्ष की स्थिर अवधि समाप्त होने के बाद भी भुगतान प्राप्त होते रहना सुसाध्य बनाया। रा.आ.बैंक ने परिचालनात्मक संशोधित दिशानिर्देश तैयार किये है।

यह योजना वार्षिकी भुगतान जैसे कि "क्रय मूल्य की वापसी सहित" और "क्रय मूल्य की वापसी के बिना" और अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराती है। प्रत्येक विकल्प अनुपम है और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं की प्रकृति और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बनाया गया है।

वर्तमान स्थिति

रिवर्स मॉर्टगेज योजना अब संपूर्ण भारत में 23 बैंकों एवं 2 आ.वि.कं. द्वारा लागू की जा रही है। विभिन्न बैंकों एवं आ.वि.कं. द्वारा रा.आ.बैंक की प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2011 तक 8000 वरिष्ठ नागरिकों को 1700 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की जा चुकी है।

रा.आ.बैंक की संवर्धनात्मक भूमिका

सभी सहभागी बैंकों/वित्त संस्थानों को रा.आ.बैंक नवीकृत समर्थन दे रहा है। रा.आ.बैंक ने भारत के प्रमुख महानगरों एवं नगरों जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नै, दिल्ली (में दो), हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में बुजुर्गों के लिए वर्तमान में कार्यरत प्रसिद्ध गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से दस परामर्श केन्द्र स्थापित किये है। इस उत्पाद के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक वाणिज्यिक बैंकों और आ.वि.कं. की क्षमता बढ़ाने के लिए भी इन संस्थानों के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक आरएमएल एवं आरएमएलईए के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के एक वैकल्पिक उपाय के रूप में भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भी मिल कर कार्य कर रहा है तथा इस उत्पाद के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कार्यरत है।

प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय

श्री जी.एन.सोमदेवे, स.महाप्रबंधक

आचार्य रजनीश चन्द्र मोहन "ओशो" के नाम से प्रख्यात हैं जो अपने धार्मिक तथा आध्यात्मिक आंदोलन के लिए मशहूर हुए । रजनीश ने प्रचलित धर्मों की व्याख्या की तथा प्यार, ध्यान और खुशी को जीवन के प्रमुख मूल्य माना। ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के कुचवाड़ा गांव में 11 दिसम्बर 1931 को हुआ था। 1960 के दशक में वे आचार्य नजनीश के नाम से जाने गए। ओशो कहते है कि "धार्मिक व्यक्ति की पुरानी धारणा यह रही है कि वह जीवन विरोधी है। वह इस जीवन की निंदा करता है, इस साधारण जीवन की – वह इसे क्षुद्र,तुच्छ,माया कहता है। वह इसका तिरस्कार करता है। ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी, हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों, ऑडियो और विडियो कैसेट में उपलब्ध हैं। अपने क्रांतिकारी विचारों से उन्होंने लाखों अनुयायी और शिष्य बनाए। अत्यधिक कुशल वक्ता होते हुए इनके प्रवचनों की करीब 650 पुस्तकें उपलब्ध हैं। इन्हीं ज्ञान भंडार से ओशो की जीवनधारा संसार में बह रही है।

ओशो ने हर एक पाखंड पर चोट की। संन्यास की अवधारणा को उन्होंने भारत की ओर से विश्व को अनुपम देन बताते हुए संन्यास के नाम पर भगवा कपड़ा पहनने वाले पाखंडियों को खूब लताड़ा। ओशो ने सम्यक संन्यास को पुनर्जिवित किया है। ओशो ने पुनः उसे बुद्ध का ध्यान, कृष्ण की बांसूरी, मीरा के घुंघरु और कबीर की मस्ती दी है। शायद यह कहना गलत नही होगा कि भारत से बाहर संन्यास पहले कभी भी इतना समृद्ध ना था जितना ओशो के संस्पर्श से हुआ है। इसलिए यह नव–संन्यास है। उनकी नजर में संन्यासी वही है जो अपने घर–संसार,पत्नी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान और सत्संग का जीवन जिए। सामान्यतः भारतीय दृष्टि में संन्यास वह है जो इस देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है। उसका अभिप्राय कुल इतना है कि अपने घर–परिवार को छोड़ दिया, भगवा वस्त्र पहन लिए, चल पड़े जंगल की ओर। वह संन्यास तो त्याग का दूसरा नाम है, यह तो वस्तुतः जीवन से भगोड़ापन है, पलायन है। देखा जाए तो एक अर्थ में आसान भी है। भगवे वस्त्रधारी संन्यासी की पूजा होती थी। उसने भगवे वस्त्र पहन लिए, उसकी पूजा के लिए इतना पर्याप्त था। वह दरअसल उसकी नहीं, उसके वस्त्र की पूजा थी। वह संन्यास इसलिए भी आसान था कि आप संसार से भाग खड़े हुए तो संसार की सब समस्याओं से मुक्त हो गए। समस्याओं से कौन मुक्त नहीं होना चाहता ? लेकिन जो लोग संसार से भागने की अथवा संसार को त्यागने की हिम्मत न जुटा सके, मोह में बंधे रहे, उन्हें त्याग का यह कृत्य बहुत महान लगने लगा, वे ऐसे संन्यासी की पूजा और सेवा करते रहे और संन्यास के नाम पर परनिर्भरता का काम चलता रहा। संन्यासी अपनी जरूरतों के लिए संसार पर निर्भर रहा और तथाकथित त्यागी भी बना रहा। लेकिन संन्यास आनंद ना बन सका, मस्ती न बन सका। दीन–हीनता में कहीं कोई प्रफुल्लता होती है?धीरे–धीरे संन्यास पूर्णतः सड़ गया। सन्यास से वे बांसूरी के गीत खो गए जो भगवान श्रीकृष्ण के समय कभी गूंजे होंगे–संन्यास के मौलिक रूप में। राजा जनक के समय संन्यास ने जो गहराई छुई थी, वही संसार में कमल की भांति खिल कर जीने वाला संन्यास नदारद हो गया।

ओशो ने बताया कि प्रेम और प्रेम में बहुत भेद है, क्योंकि प्रेम बहुत प्रकार से अभिव्यक्त हो सकता है। जब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है तो मंदिर बन जाता है और जब प्रेम अपने अशुद्धतम रूप में प्रकट होता है, वासना की भांति, शोषण और हिंसा की भांति, ईर्ष्या–द्वेष की भांति, आधिपत्य की भांति, तब कारागृह बन जाता है। कारागृह का अर्थ है- जिससे तुम बाहर होना चाहो और हो ना सको। कारागृह का अर्थ है जो तुम्हारे व्यक्तित्व पर सब तरफ से बंधन की भांति बोझिल हो जाए, जो तुम्हें विकासित ना होने दे, छाती पर पत्थर की तरह लटक जाए और तुम्हें डुबाए। कारागृह का अर्थ है– जिसके भीतर तुम मुक्त होने के लिए तड़फड़ाओ और मुक्त ना हो सको, द्वार बंद हों, हाथ–पैरों पर जंजीर पड़ी हों, पंख काट दिए गए हों। कारागृह का अर्थ है: जिसके उपर और जिससे पार जाने का उपाय न सूझे। मंदिर का अर्थ है– जिसका द्वार खुला हो, जैसे तुम भीतर आए हो वैसे बाहर जाना हो तो कोई प्रतिबंध न हो, कोई पैरों को ना पकड़े, भीतर आने के लिए जितनी आजादी थी उतनी ही बाहर जाने की आजादी हो। मंदिर से तुम बाहर ना जाना चाहोगे, लेकिन बाहर जाने की आजादी सदा मौजूद हो। कारागृह से तुम हर क्षण बाहर जाना चाहोगे और द्वार बंद हो गया। और निकलने का मार्ग नहीं रहा।

ओशो कहते हैं कि मंदिर का अर्थ है:– जो तुम्हें अपने से पार ले जाए, जहां से अतिक्रमण हो सके, जो सदा और उपर, और उपर ले जाने की सुविधा दे। चाहे तुम किसी के प्रेम में पड़े हो और प्रारंभ अशुद्ध रहा हो, लेकिन जैसे–जैसे प्रेम गहरा होने लगे वैसे–वैसे शुद्धि बढ़ने लगे। चाहे प्रेम शरीर का आकर्षण रहा हो, लेकिन जैसे ही प्रेम की यात्रा शुरू हो, प्रेम शरीर का आकर्षण ना रहकर दो मनों के बीच का खिंचाव हो जाए और यात्रा के अंत–अंत तक मन का खिंचाव भी न रह जाए, दो आत्माओं का मिलन बन जाए। जिस प्रेम में अंततः तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो सके वही मंदिर है, और जिस प्रेम में तुम्हें तुम्हारे पशु के अतिरिक्त किसी की प्रतीति न हो सके वह कारागृह है। प्रेम दोनों हो सकता है, क्योंकि तुम दोनो हो। तुम पशु भी हो और परमात्मा भी।

सारी दुनिया में धर्मों ने सिखाया है–प्रेम से बचो। कारण क्या होगा ? कारण यही है कि देखा कि सौ में से निन्यान्वे तो प्रेम में सिर्फ डूबते हैं और नष्ट होते हैं। प्रेम की कुछ भूल नहीं है, डूबने वालों की भूल है। मैं तुमसे कहता हूँ जो प्रेम में नरक में उतर जाते थे वे प्रार्थना से भी नरक में ही उतरेंगे क्योंकि प्रार्थना प्रेम का ही एक रूप है। और जो घर में प्रेम की सीढ़ी से नीचे उतरते थे वे आश्रम में भी प्रार्थना की सीढ़ी नीचे ही उतरेंगे। असली सवाल सीढ़ी को बदलने का नहीं है, न ही सीढ़ीयों से भाग जाने का है, असली सवाल तो खुद की दिशा को बदलने का है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो– वह कोई भी हो, मां हो, पिता हो, प्रेयसी हो, मित्र हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो–प्रेम का गुण तो एक है; किससे प्रेम करते हो, यह बड़ा सवाल नहीं है। जब भी तुम प्रेम करते हो तो दो संभावनाएं हैं। एक तो यह कि जिसे तुम प्रेम

आचार्य रजनीश चन्द्र मोहन ''ओशो'' के नाम से प्रख्यात है जो अपने धार्मिक तथा आध्यात्मिक आंदोलन के लिए मशहूर हुए । रजनीश ने प्रचलित धर्मो की व्याख्या की तथा प्यार, ध्यान और खुशी को जीवन के प्रमुख मूल्य माना। ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के कुचवाड़ा गांव में 11 दिसम्बर 1931 को हुआ था। 1960 के दशक में वे आचार्य नजनीश के नाम से जाने गए। ओशो कहते हैं कि ''धार्मिक व्यक्ति की पुरानी धारणा यह रही है कि वह जीवन विरोधी है। वह इस जीवन की निंदा करता है, इस साधारण जीवन की – वह इसे क्षुद्र,तुच्छ,माया कहता है। वह इसका तिरस्कार करता है। ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखीं, हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों, ऑडियो और विडियो कैसेट में उपलब्ध हैं। अपने क्रांतिकारी विचारों से उन्होंने लाखों अनुयायी और शिष्य बनाए। अत्यधिक कुशल वक्ता होते हुए इनके प्रवचनों की करीब 650 पुस्तकें उपलब्ध हैं। इन्हीं ज्ञान भंडार से ओशो की जीवनधारा संसार में बह रही है।

ओशो ने हर एक पाखंड पर चोट की। संन्यास की अवधारणा को उन्होंन भारत की ओर से विश्व को अनुपम देन बताते हुए संन्यास के नाम पर भगवा कपड़ा पहनने वाले पाखंडियों को खूब लताड़ा। ओशो ने सम्यक संन्यास को पुनर्जिवित किया है। ओशो ने पुनः उसे बुद्ध का ध्यान, कृष्ण की बांसूरी, मीरा के घुंघरु और कबीर की मस्ती दी है। शायद यह कहना गलत नही होगा कि भारत से बाहर संन्यास पहले कभी भी इतना समृद्ध ना था जितना ओशो के संस्पर्श से हुआ है। इसलिए यह नव–संन्यास है। उनकी नजर में संन्यासी वही है जो अपने घर–संसार,पत्नी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान और सत्संग का जीवन जिए। सामान्यतः भारतीय दृष्टि में संन्यास वह है जो इस देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है। उसका अभिप्राय कुल इतना है कि अपने घर–परिवार को छोड़ दिया, भगवा वस्त्र पहन लिए, चल पड़े जंगल की ओर। वह संन्यास तो त्याग का दूसरा नाम है, यह तो वस्तुतः जीवन से भगोड़ापन है, पलायन है। देखा जाए तो एक अर्थ में आसान भी है। भगवे वस्त्रधारी संन्यासी की पूजा होती थी। उसने भगवे वस्त्र पहन लिए, उसकी पूजा के लिए इतना पर्याप्त था। वह दरअसल उसकी नहीं, उसके वस्त्र की पूजा थी। वह संन्यास इसलिए भी आसान था कि आप संसार से भाग खड़े हुए तो संसार की सब समस्याओं से मुक्त हो गए। समस्याओं से कौन मुक्त नही होना चाहता ? लेकिन जो लोग संसार से भागने की अथवा संसार को त्यागने की हिम्मत न जुटा सके, मोह में बंधे रहे, उन्हें त्याग का यह कृत्य बहुत महान लगने लगा, वे ऐसे संन्यासी की पूजा और सेवा करते रहे और संन्यास के नाम पर परनिर्भरता का काम चलता रहा। संन्यासी अपनी जरूरतों के लिए संसार पर निर्भर रहा और तथाकथित त्यागी भी बना रहा। लेकिन संन्यास आनंद ना बन सका, मस्ती न बन सका। दीन–हीनता में कही कोई प्रफुल्लता होती है?धीरे–धीरे संन्यास पूर्णतः सड़ गया। सन्यास से वे बांसूरी के गीत खो गए जो भगवान श्रीकृष्ण के समय कभी गूंजे होंगे–संन्यास के मौलिक रूप में। राजा जनक के समय संन्यास ने जो गहराई छुई थी, वही संसार में कमल की भांति खिल कर जीने वाला संन्यास नदारद हो गया।

ओशो ने बताया कि प्रेम और प्रेम में बहुत भेद है, क्योंकि प्रेम बहुत प्रकार से अभिव्यक्त हो सकता है। जब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है तो मंदिर बन जाता है और जब प्रेम अपने अशुद्धतम रूप में प्रकट होता है, वासना की भांति, शोषण और हिंसा की भांति, ईर्ष्या–द्वेष की भांति, आधिपत्य की भांति, तब कारागृह बन जाता है। कारागृह का अर्थ है: जिससे तुम बाहर होना चाहो और हो ना सको। कारागृह का अर्थ है जो तुम्हारे व्यक्तित्व पर सब तरफ से बंधन की भांति बोझिल हो जाए, जो तुम्हें विकासित ना होने दे, छाती पर पत्थर की तरह लटक जाए और तुम्हें डुबाए। करागृह का अर्थ है– जिसके भीतर तुम मुक्त होने के लिए तड़फड़ाओ और मुक्त ना हो सको, द्वार बंद हों, हाथ–पैरों पर जंजीर पड़ी हों, पंख काट दिए गए हों। कारागृह का अर्थ है: जिसके उपर और जिससे पार जाने का उपाय न सूझे। मंदिर का अर्थ है– जिसका द्वार खुला हो, जैसे तुम भीतर आए हो वैसे बाहर जाना हो तो कोई प्रतिबंध न हो, कोई पैरों को ना पकड़े, भीतर आने के लिए जितनी आजादी थी उतनी ही बाहर जाने की आजादी हो। मंदिर से तुम बाहर ना जाना चाहोगे, लेकिन बाहर जाने की आजादी सदा मौजूद हो। कारागृह से तुम हर क्षण बाहर जाना चाहोगे और द्वार बंद हो गया। और निकलने का मार्ग नहीं रहा।

ओशो कहते हैं कि मंदिर का अर्थ है:– जो तुम्हें अपने से पार ले जाए, जहां से अतिक्रमण हो सके, जो सदा और उपर, और उपर ले जाने की सुविधा दे। चाहे तुम किसी के प्रेम में पड़े हो और प्रारंभ अशुद्ध रहा हो, लेकिन जैसे–जैसे प्रेम गहरा होने लगे वैसे–वैसे शुद्धि बढ़ने लगे। चाहे प्रेम शरीर का आकर्षण रहा हो, लेकिन जैसे ही प्रेम की यात्रा शुरू हो, प्रेम शरीर का आकर्षण ना रहकर दो मनों के बीच का खिंचाव हो जाए और यात्रा के अंत–अंत तक मन का खिंचाव भी न रह जाए, दो आत्माओं का मिलन बन जाए। जिस प्रेम में अंततः तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो सके वही मंदिर है, और जिस प्रेम में तुम्हें तुम्हारे पशु के अतिरिक्त किसी की प्रतीति न हो सके वह कारागृह है। प्रेम दोनों हो सकता है, क्योंकि तुम दोनो हो। तुम पशु भी हो और परमात्मा भी।

सारी दुनिया में धर्मों ने सिखाया है–प्रेम से बचो। कारण क्या होगा ? कारण

यही है कि देखा कि सौ में से निन्यानवे तो प्रेम में सिर्फ डूबते हैं और नष्ट होते हैं। प्रेम की कुछ भूल नहीं है, डूबने वालों की भूल है। मैं तुमसे कहता हूँ जो प्रेम में नरक में उतर जाते थे वे प्रार्थना से भी नरक में ही उतरेंगे क्योंकि प्रार्थना प्रेम का ही एक रूप है। और जो घर में प्रेम की सीढ़ी से नीचे उतरते थे वे आश्रम में भी प्रार्थना की सीढ़ी नीचे ही उतरेंगे। असली सवाल सीढ़ी को बदलने का नहीं है, न ही सीढ़ीयों से भाग जाने का है, असली सवाल तो खुद की दिशा को बदलने का है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो– वह कोई भी हो, मां हो, पिता हो, प्रेयसी हो, मित्र हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो–प्रेम का गुण तो एक है; किससे प्रेम करते हो, यह बड़ा सवाल नहीं है। जब भी तुम प्रेम करते हो तो दो संभावनाएं हैं। एक तो यह कि जिसे तुम प्रेम

करना चाहते हो, या जिससे तुम प्रेम करते हो, उस पर तुम प्रेम के माध्यम से आधिपत्य करना चाहो, मालकियत करना चाहो। तुम नरक की तरफ उतरने शुरू हो गए। प्रेम जहां पजेशन बनता है, प्रेम जहां परिग्रह बनता है, प्रेम जहां आधिपत्य लाता है, प्रेम न रहा; यात्रा गलत हो गई। जिसे तुमने प्रेम किया उसके तुम मालिक बनना चाहो; बस भूल हो गई। क्योंकि मालिक तुम जिसके भी बन जाते हो, तुमने उसको गुलाम बना दिया। और जब तुम किसी को गुलाम बनाते हो तो याद रखना, उसने भी तुम्हें गुलाम बना दिया। क्योंकि गुलामी एकतरफा नहीं हो सकती; वह दोधारी तलवार है। जब तुम किसी को भी गुलाम बनाओगे, तभी उसके गुलाम बन जाओगे। यह हो सकता है कि तुम छाती पर ऊपर बैठे हो और वह नीचे पड़ा है; लेकिन न तो वह तुम्हें छोड़कर भाग सकता है, न तुम उसे छोड कर भाग सकते हो। गुलामी पारस्परिक है। तुम भी उससे बंध गए हो जिसे तुमने बांध लिया। बंधन कभी एकतरफा नहीं होता। अगर तुमने आधिपत्य करना चाहा तो दिशा नीचे की तरफ शुरू हो गई। जिसे तुम प्रेम करो उसे मुक्त करना, तुम पाओगे कि तुम मुक्त होते चले जा रहे हो, क्योंकि मुक्ति भी दोधारी तलवार है। तुम जब अपने निकट के लोगों को मुक्त करते हो तब तुम अपने को भी मुक्त कर रहे हो; क्योंकि जिसे तुमने मुक्त किया, उसके द्वारा तुम्हें गुलाम बनाए जाने का उपाय नष्ट कर दिया तुमने। जो तुम देते हो वही तुम्हें उत्तर में मिलता है। जब तुम गाली देते हो तब गालियों की वर्षा हो जाती है। जब तुम फूल देते हो तब फूल लौट आते हैं। संसार तो प्रतिध्वनि करता है। संसार तो एक दर्पण है जिसमें तुम्हें अपना ही चेहरा हजारों रूपों में दिखाई देता है।

जब भी तुम किसी पर आधिपत्य करना चाहोगे समझ लेना कि तुमने प्रेम की हत्या कर दी। प्रेम का शिशु पैदा भी न हो पाया, गर्भपात हो गया; अभी जन्मा भी न था कि तुमने गर्दन दबा दी। प्रेम खिलता है मुक्ति के आकाश में; प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता के परिवेश में। कारागृह में प्रेम का जन्म नहीं होता; वहां तो प्रेम की कब्र बनती है। और जब तुम दूसरे पर आधिपत्य करोगे तब तुम पाओगे, प्रेम तो न मालूम कहां तिरोहित हो गया और प्रेम की जगह ईर्ष्या जैसी बड़ी विकृतियां छूट गई। जब दूसरे पर आधिपत्य करोगे तब ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। अगर तुम्हारी पत्नी किसी से थोड़ा हंस कर बोल भी रही है; प्राण कंपित हो गए। यह तो पत्नी तुम्हारे कारागृह के बाहर जाने के लिए कोई झरोखा बना रही है। यह तो सेंध मालूम पड़ती है; दीवार तोड़कर बाहर निकलने का उपाय है। जब तुम एक स्त्री के सौंदर्य का गुणगान करते हो तब यह कैसे हो सकता है कि सौंदर्य को परखने वाली ये आंखें राह से गूजरती दूसरी स्त्री को, जब वह सुंदर हो, तो उसमें सौंदर्य ना देखें ?यह कैसे हो सकता है ?यह तो असंभव है। लेकिन इस सौंदर्य को देखने में कोई पाप नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि जब तुमने एक दीये में रोशनी देखी और आह्लादित हुए तो दूसरे दीये में रोशनी देख कर तुम आह्लादित ना हो जाओ। ?

लेकिन एक स्त्री कोशिश करेगी कि तुम्हें अब सौंदर्य कहीं और दिखाई न पड़े और एक पुरूष कोशिश करेगा, अब स्त्री के लिए यह संसार पुरूष शून्य हो जाए, बस मैं ही एक पुरूष दिखाई पड़ूं। तब एक बड़ी संकटपूर्ण स्थिति पैदा होती है। सौ में निन्यानबे मौके पर प्रेम फांसी बन जाता है; लेकिन प्रेम के कारण नहीं, तुम्हारे कारण। तुम्हारे धर्मगुरूओं ने कहा है, प्रेम के कारण। वहां मेरा फर्क है। और तुम्हारे धर्मगुरू तुम्हें ज्यादा ठीक मालूम पड़ेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे ऊपर से तुम्हारी जिम्मेवारी उठा रहे हैं। वे कह रहे हैं; यह प्रेम का ही उपद्रव है; पहले ही कहा था कि पड़ना ही मत इस उपद्रव में, दूर ही रहना। तो तुम्हारे गुरू प्रेम की निंदा करते रहे हैं। तुम्हें भी यह बात जंचती है; जंचती इसलिए है कि तुम्हारे धर्मगरू तुम्हें दोषी नहीं ठहराते, प्रेम को दोषी ठहराते हैं। मन हमेशा राजी है; दोष किसी और पर जाए; तुम हमेशा प्रसन्न हो। मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूँ, सौ प्रतिशत तुम्हें ही दोषी ठहराता हूँ। प्रेम की जरा भी भूल नहीं है और प्रेम अपने आश्वासन को पूरा कर सकता था। तुमने उसे पूरे नहीं होने दिए; तुमने गर्दन घोंट दी। सीढ़ी ऊपर ले जा सकती थी; तुम नीचे जाने लगे। नीचे जाना आसान है; ऊपर जाना श्रमसाध्य। प्रेम साधना है। और प्रेम को कारागृह बनाना ऐसे ही है जैसे पत्थर पहाड़ से नीचे की तरफ लुढक रहा हो; जमीन की कशिश ही उसे खींच लिए जाती है।

तो व्यक्ति प्रेम को ईर्ष्या, आधिपत्य, पजेशन बना लेगा, तो वही जल्दी ही पाएगा कि प्रेम तो खो गया; प्रेम की आग खो गई, आंखों को अंधा करने वाला धुआं छूट गया है। घाटी के अंधकार में जीने लगा, पहाड़ की ऊंचाई तो खो गई और पहाड़ की ऊंचाई से दिखने वाले सूर्योदय–सूर्यास्त सब खो गए। आंधी घाटी है; और रोज अंधी होती चली जाती है। तुम्हारे भीतर का पशु प्रकट हो जाता है सरलता से; उसके लिए कोई साधना नहीं करनी

गरीबों को आवास उपलब्ध कराना देश की प्राथमिकता

– नितिन अग्रवाल, सहायक प्रबंधक

कहा जाता है कि आदमी की मौलिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा व मकान होती हैं। जीवन भर एक आदमी इन चीजों को जोड़ने में लगा रहता है। पर गहनता से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल मकान तैयार करने में होती है। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति तंग है तो ये काम एक चुनौती से कम नहीं। मध्यम वर्गीय लोगों की स्थिति को देखते हुए निम्न पंक्तियां बरबस मुख पर आ रही हैं–

"एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में,
आबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है।"

अब बताइए जब आम आदमी की ये दशा है तो गरीबों की क्या कल्पना की जाए। क्या उन्हें आवास का अधिकार नहीं होना चाहिए?क्या खुला आसमान और फैली धरती ही उनके घरों की चारदीवारी हैं?नहीं, उन्हें भी सम्मानपूर्वक रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे नागरिकों को होता है। यह कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि दूसरे के मकान बनाने वाले मजदूर को अपनी पूरी जिंदगी एक झोपड़ी में गुजारनी पड़ती है क्योंकि उसके पास अपना घर जुटाने की पूंजी ही नही जुड़ पाती है। बामुश्किल वह दो जून की रोटी चला पाता है। गरीबों को आवास का अधिकार दिलाने के लिए आज एक सुचारू आवास नीति की परम आवश्यकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आवास नीति में क्या घटक रखें जाए ताकि गरीबों के लिए आवास एक वास्तविकता बन जाए। सर्वप्रथम हमें यह देखना चाहिए कि गरीबों की आवश्यकता और उनकी क्षमता क्या है।

आज के परिवेश में उपरोक्त मकान की लागत भी गरीबों की पहुंच से काफी परे है। वो बेचारे तो जैसे–तैसे परिवार को दो रोटी खिला दें तो अपने को धन्य मानते हैं। ऐसे में कर्ज लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचता। अतएव आवास नीति का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि किस प्रकार से गरीबों को सुलभ ऋण पहुंचाया जाए। ऐसे में आवास नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि ऋण देने वाली संस्थाएं गरीबों के घर–घर तक पहुंच कर उन्हें शिक्षित करें और ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए बैंकिंग अधिकारियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग बैंक परिसर में अपने आप यदि आते हैं तब ही उनके बारे में कुछ सोचेंगे। आज जरूरत है कि अधिकारियों को स्वतः टीम बनाकर गरीबी वाले इलाकों में जाना चाहिए जिससे की गरीबों को पता चले कि वो भी ऋण के माध्यम से आवास ले सकते हैं।

आज महंगाई बढ़ती जा रही है। आवास भी महंगाई की चरम सीमा पर हैं। ऐसे में आवास नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि गरीब अपना लिया हुआ कर्ज सफलता पूर्वक चुका सकें। इसे आसान करने के लिए कर्ज की दरों में कुछ छूट देनी पड़ेगी, ताकि ब्याज की दरों का बोझ गरीबों पर कम किया जा सके। इसके अलावा उन्हे आवास के मूल्य से 90 प्रतिशत तक ऋण मिले।

कर्ज चुकाने की समय सीमा को भी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि मासिक किस्तों के बोझ को कम किया जा सके। बैंकों की दृष्टि में कर्ज हेतु सबसे जरूरी चीज जो कि एक देनदार के सामने आती है वो होती है कर्जदार की साख। लेकिन यह सोच का विषय है कि क्या बेचारे गरीब की साख पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित होगा। मार्टगेज में देने के लिए उनके पास क्या हो सकता है। अब ऐसे में कौन सा बैंक अपना पैसा जोखिम में लगाएगा। बैंक चाहता है कि उसका अशोध्य ऋण कम से कम हो और इस लक्ष्य को पाने के लिए वो तमाम केवाईसी और गारंटी/मार्टगेज की आड़ लेकर गरीबों को कर्ज देने से बचा रहता है।

मैं यह नही कहता कि बैंक आँख बंद करके पैसा बांटें। पर गरीबों के दृष्टिकोण से एक विवेकपूर्ण और संवेदनशील आवास नीति की जरूरत है। आखिर साहूकार भी तो गरीबों को कर्ज देते हैं, पर क्या सरकारी बैंक ऋण जोखिम, अशोध्य ऋण एवं अधिक उधारी के बारे में सोचकर गरीब व निर्धनों को साहूकारों के चगुंल में फंसे रहने देगी क्या सरकार का यह दायित्व नहीं बनता कि वो आगे आये और उन्हें अपनाए। सरकारें एवं प्रशासन तंत्र साहूकारों से तो कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। सरकार एक ऐसी आवास नीति बनाए जो कागजी तौर पर समृद्ध न होकर वास्तविक रूप में प्रभावी हो।

(हिन्दी चेतना मास – 2011 में पुरस्कृत लेख)

राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यनिष्पादन के मुख्य विशेषताएं
वित्तीय विशेषताएं -2010-11

30 जून को समाप्त वर्ष	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
संस्वीकृतियां	13,362	15,729	12,715	14,293
संवितरण	9,036	10,889	8,160	12,035
निवल स्वाधिकृत निधि	1,999	2,230	2,230	2,770
बकाया ऋण एवं अग्रिम	17,671	16,851	19,837	22,581
सकल अनुपयोज्य अस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल अनुपोज्य आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर पश्चात लाभ	170	236	280	279
प्रति कर्मचारी कर पश्चात लाभ	2.13	2.62	3.15	3.21
सीआरएआर (प्रतिशत)	24	18	20	21

संस्वीकृतियां	रु.14,293 करोड़ / वर्ष दर वर्ष वृद्धि 12%
संवितरण	रु.12,035 करोड़ / वर्ष दर वर्ष वृद्धि 47%
बकाया ऋण एवं अग्रिम	रु.22,581 करोड़ / वर्ष दर वर्ष वृद्धि 14%
शुद्ध लाभ	रु.279 करोड़ / वर्ष दर वर्ष वृद्धि ...
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	रु.3.21 करोड़ / वर्ष दर वर्ष वृद्धि 2%

100 प्रतिशत समाहरण दक्षता बनाये रखी गई

ऋणों एवं अग्रिमों के प्रतिशत के रुप में अनुपोज्य आस्तियां: शून्य; निवल एनपीए: शून्य
निरंतर जारी उच्चतम ऋण दर– अल्पावधि एवं दीर्घावधि ऋण

नई व्यावसायिक पहलें

- सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय इलेक्ट्रानिक रिजस्ट्री की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान की।
- केन्द्रीय रजिस्ट्री के जरिये प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्निर्माण एवं भारत के प्रतिभूति हित (सीईआरएसएआई) के केन्द्र का रख रखाव एवं संचालन।
- निम्न आय आवास हेतु बैंकों एवं आवास वित्त कंपनियों (रा.आ. बैंक से पंजीकृत) द्वारा रू. 5 लाख तक प्रदत्त संपार्श्विक मुक्त / तृतीय पक्ष गारंटी मुक्त वैयक्तिक आवास ऋणों को ऋण गारंटी समर्थन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार, शहरी गरीबी उपशमन एवं आवास मंत्रालय की पहल के अधीन रा.आ. बैंक में ऋण गारंटी निधि न्यास स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया।
- केएफडब्ल्यू, जर्मनी के सहयोग से भारत में ऊर्जा दक्ष नये रिहायशी आवास पर संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया गया।
- एक आ.वि. कंपनी विकसित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और राजस्थान राज्य के साथ सहभागिता की गई जो राजस्थान राज्य में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की संयुक्त सहभागिता के जरिये निम्न एवं मध्य आवासों की जरूरतों को पूरा करेगी।
- उद्योग हेतु समरुप मूल्यांकन मानकों का विकास।

राष्ट्रीय आवास बैंक

ग्रामीण आवास

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सहायता और आवास वित्त हेतु पहुंच उन्नत करने के लिए वर्ष 1997–98 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) शुरु की गई। जीजेआरएचएफएस कार्यान्वित करने के लिए रा.आ. बैंक ने नोडल एजेंसी के रुप में वर्ष 1997–2011 तक 31.53 लाख आवास इकाईयों का वित्तपोषण किया।

वर्ष 2008–09 के बजट भाषण में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, 2,000 करोड रू. के वार्षिक आबंटन सहित, 'कमजोर वर्गों' को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये रा.आ.बैंक में ग्रामीण निधि (आरएचएफ) बनाई गई। तदन्तर, केन्द्रीय बजट 2011–12 में, वार्षिक आबंटन बढ़ाकर 3,000 करोड़ रू. कर दिया गया। ग्रामीण आवास निधि के तहत वर्ष 2008–11 में रा.आ.बैंक ने 5,780.96 करोड रु. की राशि संवितरित की, जिसके परिणामस्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों में 2.45 लाख आवास इकाईयों का वित्तीयन हुआ।

निम्न आय आवास

30 जून, 2011 तक, रा.आ.बैंक ने गरीबों के लिये निम्न आय आवास उपलब्ध कराने के लिये 5,997.45 करोड़ रुपये लागत वाली 434 परियोजनाओं को मंजूर किया जिनमें ऋण घटक 4,526.36 करोड़ रु. है तथा अन्य अनेक एजेंसियों को वित्त पोषण किया जिनमें सार्वजनिक आवास एजेंसियां, माइक्रो वित्त संस्थान, गैर सरकारी संगठन और सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाए शामिल हैं रा.आ.बैंक ने अपनी दीर्घकालीन वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देकर अनेक माइक्रो वित्त संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिये आवास वित्त कार्य में शामिल किया। अभी तक, बैंक ने 24,225 शहरी और ग्रामीण आवास इकाइयों को वित्त पोषण के लिये 11 राज्यों में 29 माइक्रो वित्त संस्थानों को 92.72 करोड़ रू. की मंजूरी दी। रा.आ.बैंक ने जल एवं सफाई कार्यक्रम व यूएन हैबिटेट को शुरु किया और तमिलनाडु व गुजरात राज्यों में स्व सहायता ग्रुपों/माइक्रो वित्त संस्थानों के सदस्यों के लिये लगभग 5,312 शौचालयों के निर्माण के लिये 1.75 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता दी

एनएचबी रेजीडेक्स

एनएचबी रेजीडेक्स देश में पहला सरकारी आवासीय संपति मूल्य सूचकांक है जिसमें आवासीय संपतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव को विस्तार से दर्शाया जाता है। यह बाजार प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए वास्तविक क्रय विक्रय मूल्यों पर आधारित होता है और अब इसे 2007 को आधार वर्ष मान कर तिमाही आधार पर अद्यतन किया जाता है। इसमें 15 शहरों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है– अहमदाबाद, बैंगलुरू, भोपाल, चेन्नै, दिल्ली, हैदराबाद, फरीदाबाद, जयपुर, कोलकाता, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई पटना, पुणे और सुरत। एनएचबी रेजीडेक्स में 5 और शहरों यथा लुधियाना, विजयवाडा, इंदौर, गुवाहटी और भुवनेश्वर को जनवरी, 2012 से शामिल किया जाएगा।

प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्निर्माण तथा भारत के प्रतिभूति हित (सीईआरएसएआई)

सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय रजिस्ट्री के परिचालन एवं अनुरक्षण के उद्देश्य हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक सरकारी कंपनी के रुप में रा.आ.बैंक ने सीईआरएसएआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका उद्देश्य उक्त अचल संपित्त पर विभिन्न बैंकों से बहुल उधारों को सम्मिलित करके ऋण मामलों में धोखाधड़ी को रोकना है। सीईआरएसएआई ने दिनांक 31.03.2011 से अपना परिचालन शुरु कर दिया है और 31.03.2011 को अथवा उसके बाद किये गये सभी लेनदेन सीईआरएसएआई से पंजीकृत किये जाने आवश्यक है जिसमें संपति का विवरण, ऋणभार की प्रकृति, संस्थान जिसके पास संपति बंधक रखी गई है आदि शामिल हैं। मध्य सितंबर, 2011 तक, केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ बैंकों/एचएफआई और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वत्व विलेखों को जमा कराने के द्वारा बंधकों के 3 लाख से अधिक पंजीकरण किये गये।

भू संपदा विकास के लिये मूल्यांकन मानक

संपत्ति के मूल्यांकन की बैंकों और आवास वित्त संस्थानों के लिये एक महत्वपूर्ण और तुरंत कार्यवाही के क्षेत्र के रुप में शुरुआत हुई। उपयुक्त मूल्यांकन नीतियों को यथोचित रखने के लिये, "भारत में बैंकों और एचएफआई द्वारा भू संपदा के मूल्यांकन हेतु नीति, मानकों एवं प्रक्रियाओं पर एक पुस्तिका" राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा उनके सामान्य स्वीकरण के लिये प्रकाशित की गई।

प्राप्त सम्मान

- ग्रामीण आवास में रा.आ.बैंक की पहल के लिये स्कोच फाइनेंशल इनक्लूजन अवार्ड 2011
- वर्ष 2011 के लिये वित्त प्रेरित गरीबी उपशमन विकास के लिये एशिया और प्रशांत में विकास वित्तीयन संस्थान संघ (एडीएफआईएपी) पुरस्कार।

लक्ष्यः सभी के लिए आवास

राष्ट्रीय आवास बैंक

मुख्य कार्यालयः कोर 5 ए, तृतीय– पंचम तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,नई दिल्ली– 110003

क्षेत्रीय कार्यालयः मुंबई

प्रतिनिधि कार्यालयः हैदराबाद, चेन्नै, बैंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, भोपाल

भूकंप

-रंजन कुमार बल्ल, क्षेत्रीय प्रबंधक

सिक्किम एवं अन्य सीमावर्ती राज्यों में आए 18 सितंबर, 2011 के भूकंप ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नागरिकों की जान माल को हुए नुकसान में आंकड़ों के अनुसार लगातार वृद्धि हो रही है एवं सरकार के विभिन्न विभाग एवं सेना सहायता कार्य में जुटी हुई है।

यह पहली बार नहीं है जब भूकंप से जान माल का इतना नुकसान हुआ है। इसके पहले भी उत्तरांचल, गुजरात एवं जम्मू-कश्मीर में आए भूकंप इस प्राकृतिक त्रासदी के अनेकों उदाहरण में से कुछेक है। अगर इतिहास पर नजर डाले तो यह साफ होता है कि 1990 के बाद से भूकंपों की संख्या लगातार बढ रही है एवं उनकी तीव्रता का पैमाना भी बढ़ रहा है।

आइए पहले जानें कि भूकंप क्या है एवं आता कैसे है–
भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की चार प्रमुख परतें होती है–
इनर कोर, आउटर कोर, मेंटर, क्रस्ट

क्रस्ट और मेंटर के ऊपरी भाग से पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण हुआ है इसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। 50 किमी की ये मोटी परतें कई प्लेटों से बनी होती है जिन्हें टैक्टोनिक कहा जाता है और यह टैक्टोनिक प्लेटें गतिशील होती हैं और अपनी जगह से हिलती रहती हैं। ये प्लेटें क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर, दोनों ही तरह से अपनी जगह से हिल सकती है, उसके बाद ये अपनी जगह तलाशती है और ऐसे में एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। इन प्लेटों के घर्षण या टकराहट के कारण ही भूकंप उत्पन्न होता है। स्लिप करने के स्थान को फाल्ट प्लेस कहते हैं। इन चलायमान प्लेटों की आपसी टकराहट से बडी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसे सिस्मिक तरंगे कहते हैं। पृथ्वी के सतह के भीतर भाग में जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे हाईपोसेंटर कहते हैं जबकि ठीक इसके ऊपर धरती की सतह को एपीसेंटर कहते हैं। भूकंप के आने के बाद भी झटके आते रहते हैं जिसे आफ्टरशॉक कहते हैं। ज्वालामुखियों के फटने से भी भुकंप आते है।

भूविज्ञानियों के अनुसार किसी भी एक हिस्से में भूकंप से विश्व के दूसरे क्षेत्रों में दबाव बढ जाता है। इसकी प्रमुख वजह एक क्षेत्र में भूकंप के बाद भूमि तनाव दूसरे क्षेत्रों की टैक्टोनिक प्लेटों पर असर डालता है। हालांकि यह विश्वास से अब तक नहीं कहा जा सकता है कि एक भूकंप से दूसरे भकंप के बीच संबंध रहता है।

सीस्मोग्राफ– जिस यंत्र से भूकंप को रेकार्ड किया जाता है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है और इसकी रिकार्डिंग को सीस्मोग्राफी कहा जाता है।

भूकंप प्रभावित क्षेत्र– अगर हम भूवैज्ञानिकों के आंकलन पर गौर करें तो विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर के आसपास है और इसे 'रिंग ऑफ फायर' कहा जाता है।

भूकंप मापन प्रणाली

भूकंप की तीव्रता का आकलन रिक्टर पैमाने के आधार पर किया जाता है। रिक्टर पैमाने को 75 साल पहले अमेरिकी भूकंप विज्ञानी चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था। रिक्टर कैलीफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी में 1927 से 1970 तक भूकंप विज्ञानी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 1935 में अपने सहयोगी बेनो गुटेनबर्ग के साथ मिलकर रिक्टर पैमाने का अविष्कार किया था। यह पैमाना तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है व इसे रिक्टर मैग्नीटयूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। यह एक लघुगणक आधारित स्केल होता है जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के अपने मापक पैमाने के आधार पर मापता है। 9 कोई अंतिम बिंदु नहीं है बल्कि यह इसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आज तक इससे तीव्रता का भूकंप नहीं आया है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति स्केल भूकंप की तीव्रता 10 गुणा बढ जाती है और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति स्केल 32 गुणा बढ जाता है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 3 रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता थी वह 4 स्केल पर 3 रिक्टर स्केल का 10 गुणा बढ जाती है। भूकंप की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते है कि 60 लाख टन विस्फोटक जितना विनाश कर सकता है उतना ही विनाश रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाला भूकंप कर सकता है

राज्य	सीस्मिक जोन	राज्य	सीस्मिक जोन	राज्य	सीस्मिक जोन
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	मिजोरम	5	सिक्किम	4
अरुणाचल प्रदेश	5	नागालैंड	5	आंध्र प्रदेश	2 एवं 3
असम	5	त्रिपुरा	5	दमन एवं दीप	3
बिहार	5	उत्तरांचल	2, 3, 4 एवं 5	गोवा	2 एवं 3
गुजरात	2, 3, एवं 5	पं बंगाल	3, 3, 4 एवं 5	कर्नाटक	2 एवं 3
हिमाचल प्रदेश	4 एवं 5	चंडीगढ़	4	केरल	2 एवं 3
जम्मू-कश्मीर	4 एवं 5	दिल्ली	4	लक्षद्वीप	3
दादर एवं नगर हवेली	3	हरियाणा	2, 3, एवं 4	मध्य प्रदेश	2 एवं 3
मणिपुर	5	महाराष्ट्र	2, 3, एवं 4	उड़ीसा	2 एवं 3
मेघालय	5	पंजाब	2, 3, एवं 4	पुडुचेरी	2 एवं 3
		राजस्थान	2, 3, एवं 4	तमिलनाडु	2 एवं 3

सिक्किम का भूकंप

18 सितंबर, 2011 को सिक्किम में जो भूकंप आया था उसके झटके पूर्वोत्तर भारत सहित नेपाल और तिब्बत में भी महसूस किए गए थे। प्रारंभिक विश्लेषणों के अनुसार यह भूकंप जटिल किस्म का था। यह घटना पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर नीचे प्लेटों के टकराहट का परिणाम थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्लेट, यूरेशियाई प्लेट की ओर हर साल उत्तर पूर्व दिशा में 46 मिमी खिसक रही है। इन्हीं दोनों प्लेटों में होने वाली इस प्रक्रिया के कारण दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमाचल की उत्पत्ति हुई है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में छोटे भूकंप आते रहे हैं। 18 सितंबर, 2011 को आए भूकंप के केन्द्र से 100 किमी की परिधि के भीतर पिछले 35 सालों में 18 बार भूकंप आ चुके हैं। नवंबर 1980 में इस स्थान से दक्षिण पूर्व में 75 किमी दूर इससे अधिक भयानक भूकंप आ चुका है। इस भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.1 आंकी गई थी।

सावधानियां

जब भूकंप से नुकसान होता है तो भारतीय परिवेश में यह देखा गया है कि जिस क्षेत्र में भूकंप आता है उसके ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान होता है। इसका कारण यह है कि शहरी क्षेत्रों में जो मकान बनाए जाते हैं उनमें आमतौर पर एक अनुभवी वास्तुकार या इंजीनियर का योगदान रहता है व इन मकानों में लगी निर्माण सामग्री जैसे लोहा, सीमेंट आदि मानक गुणवत्ता की होती है। जबकि इसके विपरीत ग्रामीण व दूर–दराज के इलाकों में जो

घर बनाए जाते हैं उनका निर्माण स्थानीय पद्धति के अनुसार लोगों द्वारा स्वयं ही करवा लिया जाता है व सामग्री भी अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती है। इसीलिए भूकंप आने पर ग्रामीण क्षेत्रों में मकान ढह जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, जिन मकानों की छत ढलवां होती है और जिनमें मिट्टी के गारे से चिनाई की जाती है उन मकानों में भूकंप से ज्यादा नुकसान होता है।

अगर आप घर बना रहे हैं तो कुछ छोटी–छोटी बातों का ध्यान रखकर भूकंप से अपने आशियाने को बचाने में मदद कर सकते हैं, वे हैं–

- मकानों के नींव को बनाते समय विशेष सावधानी बरतें तथा नींव के स्थान पर पेड़ की जड़ें व कोई नाली इत्यादि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
- ढलान वाले स्थान पर मकान न बनाएं।
- जिस दीवार में दरवाजे व खिडकियां नहीं होती वह बहुत मजबूत होती है। यह ध्यान रखें कि दरवाजे व खिडकियों की लम्बाई व ऊंचाई एक निश्चित सीमा में हो।
- दरवाजे व खिडकियां कोनों से दूर हों और दरवाजे अथवा खिडकी की ऊंचाई से यह दूरी कम से कम एक चौथाई होनी चाहिए।
- खिड़की व रोशनदान के बीच की दूरी भी सही होनी चाहिए।खिड़कियों व दरवाजें के चारों ओर कंक्रीट व सरियों का उपयोग भी किया जा सकता है।
- दीवारों के कोने, दीवार व छत के जोड़ ठीक होने चाहिए।

बहुत अधिक तीव्रता के भूकंप में अच्छे से अच्छा घर धराशायी हो सकता है, परंतु अगर आप उक्त सावधानियां बरतेंगे तो आपका घर ज्यादा देर तक भूकंप के झटके सहन कर सकता है।

प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र

भूगर्भीय आंकड़ों के अनुसार देश का 54 प्रतिशत भू–क्षेत्र भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। वर्तमान में देश को चार भूकंप क्षेत्र (सेस्मिक जोन) में बांटा गया है। 2000 से पहले इसको पांच क्षेत्रों में बांटा जाता था, लेकिन सेस्मिक जोन में संशोधन कर जोन–1 जोन–2 में मिला दिया गया। अब केवल चार सीस्मिक जोन (2,3,4, एवं 5) हैं

सेस्मिक जोन 5 में आने वाले भूकंप सबसे तीव्र और जोन 2 में आने वाले भूकंपों को सबसे कम तीव्र माना जाता है–

निम्न तालिका में देश के भूकंपीय सेस्मिक जोन (क्षेत्रों) को दर्शाया गया है–

पिछले दो सौ वर्षों में देश में आए कुछ बड़े भूकंप

वर्ष	स्थान		वर्ष	स्थान	
16.01.1819	कच्छ, गुजरात	8.0	10.12.1967	महाराष्ट्र	6.5
10.01.1869	असम	7.5	19.01.1967	हिमाचल	6.2
30. 05.1885	सोपोर, जे एंड के	7.0	6.08.1988	मणिपुर–म्यामार सीमा	6.6
12.01. 897	शिलांग	8.7	21.08.1988	बिहार, नेपाल सीमा	6.4
04.04.1904	कांगड़ा, हिमाचल	8.0	20. 10.1991	उत्तरकाशी, उत्तराखंड	6.6
08.07. 1918	असम	7.6	30.09.1993	लातूर, महाराष्ट्र	6.3
02.07.1930	असम	7.1	22.05.1997	जबलपुर, मध्यप्रदेश	6.0
15.01. 1934	बिहार, नेपाल सीमा	8.3	29.04.1999	चमोली, उत्तराखंड	6.8
26.06.1941	अंडमान	8.1	18.06.2000	दक्षिणी हिंद महासागर	7.9
23.10.1943	असम	7.2	26.01.2001	कच्छ, गुजरात	7.9
15.08.1950	अरुणाचल	8.5	24.07.2005	निकोबार आइलैंड्स	7.2
21.07.1956	गुजरात	7.0	10.08.2009	निकोबार,आइलैंड्स	7.5

गरीबों को आवास उपलब्ध करने वाली आवास नीति के जरूरी घटक

-जगदीश, सहा. प्रबंधक

भारत वर्ष में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश में गरीबो को आवास उपलब्ध कराना एक बहुत बडी चुनौती है। और यह चुनौती केवल भारत में ही नही, भारत जैसी सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान है। रोटी, कपडा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मानव के विकास के प्रथम चरण से ही आवास की आवश्यकता रही है। इसलिए मकान की समस्या आज की नहीं है यह तो अत्यंत पुरानी है।

यदि आकड़ों की ओर ध्यान दे तो भारत के शहरों में करीब 2 करोड़ 47 लाख मकानों की आवश्यकता है। अब यह संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। इसमें से 99 प्रतिशत आवासों की कमी आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लोगों में है। भारत में आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारें अपनी-अपनी आवास नीति बनाती हैं।

यदि मेरे विचार से आवास नीति के घटकों की बात की जाए तो इसमें कई घटक हो सकते हैं जैसे (1) जमीन का आबंटन (2) सस्ती निर्माण साम्रगी का प्रयोग (3) सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी (4) सस्ते वित्त ऋण उपलब्ध कराना (5) सस्ते मकानों के नये-नये मॉडल बनाना।

मेरे विचार से गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए जो भी नीति बनाई जाये उसमें सबसे अधिक यह ध्यान रखा जाये कि गरीबों की पहचान सही तरीके से की जाये; क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि गरीबों की स्कीमों से गरीबों को ही पूरा लाभ नहीं मिलता; बल्कि काफी पैसे वाले लोग, एवं सरकारी अधिकारी वर्ग इस तरह की स्कीमों में अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम पर आबंटन करवाते हैं।

मेरे विचार से आवास नीति बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बड़े शहरों में तो ऊंची इमारतें बनायी जाएं व छोटे शहरों मे प्लाट/बने बनाये मकानों का आबंटन किया जाये। यह आंकलन व्यक्तिगत स्तर व सामुहिक स्तर पर किया जा सकता है। जहां भी प्लाटों का आबंटन किया जाये, यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि अगले कुछ समय पर उस प्लाट पर मकान बनाया जायेगा व आबंटिती व्यक्ति उस मकान में रह रहा है। अन्यथा यह आबंटन रद्द कर दिया जायेगा। यदि आबंटन सामुहिक स्तर पर है, तो यह ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए कि उस सामूहिक आबंटन में ऐसे लोग हिस्सेदार न हों जो गरीब न हों, तथा आवास बनने व उसमें रहने की अवधि निर्धारित की जाये।

सस्ती निर्माण साम्रगी का प्रयोगः मेरी राय में केंद्रीय व राज्य सरकारें सस्ती निर्माण साम्रगी बनाने के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करें। जिनसे सस्ती एवं सामान्य उपलब्धता वाली निर्माण सामग्री पर ध्यान देकर, जनता को उसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए। जैसे कि विद्युत ताप गृहों से निकलने वाली राख से ईंटों का निर्माण करना (इस तरह की ईंटों की निर्माण लागत काफी कम होती है व वजन में भी हल्की रहती हैं), राजस्थान में कोटा विद्युत ताप गृह से निकलने वाली राख से ईंटें बनाई जाती है। जो राख से होने वाले प्रदुषण से तो बचाती ही हैं साथ ही साथ सस्ती निर्माण सामग्री भी उपलब्ध कराती हैं।

गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में सरकारी तंत्र पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, न ही यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अकेले उठा पा रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि आज के मौजूदा दौर में सरकारी एवं निजी क्षेत्र मिल कर भागीदारी करें व आवास बनायें। जैसे कि सरकारी क्षेत्र जमीनों का आबंटन करे व निजी क्षेत्र को सस्ते दामों पर जमीन प्रदान करे। ऐसी शर्तें लागू करे; जैसे कि कुल मकानों में से 35-40प्रतिशत मकान केवल आर्थिक रूप से पिछडे व निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सस्ते दाम पर उपलब्ध कराया जाएं। सरकारी तंत्र निजी क्षेत्र की सहायता से इस तरह काफी मकान बनवा कर गरीबों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवा सकता है। कई बार इसमें निर्माण सामग्री पर लगने वाले करों में भी छूट दी जा सकती है जिससे निर्माण लागत घट सकती है।

मकान के क्रय में एक बहुत बड़ी पूंजी एक साथ लगती है। गरीब तो क्या सामान्य एवं मध्यम वर्ग के व्यक्ति भी इतनी बडी रकम एक साथ नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे में जरूरत है तो आवास ऋण की जो गरीबों को सस्ते उपलब्ध कराये जाते हैं। केंद्रीय व राज्य सरकारें अपनी-2 स्कीम बनाकर ऐसे ऋण उपलब्ध करायें। ताकि गरीब व्यक्ति को आसानी से ऋण मिले। इसी तरह ऋणों पर पुंजी अनुदान व ब्याज अनुदान भी दिया जाये। ताकि मकान का ऋण चुकाने की समान मासिक किस्त कम हो सके। इस तरह की स्कीमें शहरी गरीबों को मकान उपलब्ध कराने में काफी सहायक हो सकती हैं।

मकानों के नये-नये मॉडल तैयार करना जो कि सस्ती लागत में बन सकें जिनमें दीवारों एवं प्लाट का अनुपात कम हो ताकि कम खर्चा हो और सस्ता मकान तैयार हो सके।

सरकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा निजी क्षेत्र के बैंक गरीब एवं निर्धन वर्ग को आवास ऋण देने में न के बराबर रूचि दिखाते हैं। इन सभी

का लक्ष्य नौकरी पेशा वर्ग या व्यावसायिक एवं कार्पोरेट जगत होता है क्योंकि इस वर्ग को दिए गए ऋण की वसूली में जोखिम न के बराबर होता है। गरीब एवं निर्धन वर्ग के पास जमानत देने के लिए न तो अपनी जमीन, जायदाद या मकान होता है और न ही कोई पक्की व सरकारी नौकरी, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों को ऋण वसूली जोखिम पूर्ण दिखता है। मेरे विचार से सरकार को एक ऐसा संस्थान खड़ा करना चाहिए जो आवास वित्त संस्थानों के जोखिम को घटाने में मददगार हो और वह संस्थान गरीब एवं निर्धन वर्ग के लिए एक जमानतदार के रूप में काम करे, (रा.आ. बैंक के नेतृत्व में जल्द ही एक ऐसा न्यास स्थापित करने की योजना है जो गरीबों एवं निर्धन वर्ग के लिए एक जमानतदार की भूमिका निभाएगा) ऐसा होने पर बैंक एवं आवास वित्त कंपनियां समाज के निचले वर्ग को आसानी से ऋण उपलब्ध करा सकेंगे, क्योंकि ऋण वसूली का भरोसा रहेगा। इससे आवास के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ सकती है।

हिन्दी चेतना मास – 2011 में पुरस्कृत लेख

युवा लोग मुख्य संसाधन

- प्राची सिंह, बीबीई, आर्मी कालेज, दिल्ली

भारत अपने जनसांख्यकीय पारगमन के एक महत्वपूर्ण चरण पर है। अपनी पूरी जनसंख्या के एक तिहाई से थोड़ा कम लगभग 33.1 करोड़ (331 मिलियन) युवा जनसंख्या है, जो 10–24 वर्ष की आयु समूह की है। पूर्व की पीढ़ी से ये कहीं बेहतर शिक्षित एवं बेहतर स्वस्थ जीवनचर्या वाले हैं और ये जहां देश की विशाल संपति (आस्ति) हैं, वहीं संभावित चुनौती भी, अगर इन्हें ठीक पोषित न किया गया। जहां एक तरफ इन्हें शिक्षा की पहुंच, इलैक्ट्रानिक मीडिया में खुलने के अवसर, एक विस्तृत वैश्विक नजरिया, व्यापक शैक्षिक एवं रोजगार के चुनाव इन्हें सक्षमतापूर्ण एवं संभावनाओं से भरपूर वातावरण प्रदान करते हैं, वहीं ये साधन इन्हें ये विशाल जोखिम–नाजुकता के लिए भी विगोपित करते हैं। विशेषरूप से स्वास्थ्य के बारे में उनके ज्ञान की पूर्णता में कमी एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की कमी उन्हें अक्सर जोखिम के घेरे में डाल देती है। यदि उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाए और उन्हें अपने देश की तथा विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक रूप से तैयार किया जाए तो वे एक जनसांख्यकीय लाभांश या एक संपति (आस्ति) सिद्ध हो सकते हैं।

यहां तक कि भारत जैसे देश में जनसंख्या स्थरीकरण के रूप में भी इस विशाल युवा वर्ग को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में संसूचित तथा शिक्षित करने की जरूरत है। उन्हें जिम्मेदारीपूर्ण यौन व्यवहार(आचरण) के लिए गर्भनिरोधक सेवाओं के साथ–साथ परामर्श उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत एक क्षेत्रीय (या फिर वैश्विक) शक्ति बनकर उभरेगा। जनसांख्यकीय लाभ भारत की जनसंख्या की आयु–संरचना से व्युत्पन्न होता है और इस तथ्य से भी पैदा होता है कि भारत विश्व का एक मात्र युवा देश है और संभवतः कुछ समय के लिए वह इस स्थिति में बना भी रहेगा। इसलिए युवा लोगों की शिक्षा, पोषण, कौशल, रोजगार एवं स्वास्थ्य में निवेश की महत्ता एवं शीघ्रता को मानता है। ऐसा न कर पाने की असफलता व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य प्रणाली, सुरक्षा, जनसांख्यकीय, आर्थिक प्रगति तथा विकास पर दीर्घकालिक अप्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा।

भारत में बाल विवाह एवं किशोरवय पार करते ही विवाह आदि होने से युवा लोग एवं किशोर बहुत ही कम उम्र में यौन सक्रिय हो जाते हैं। अब आधुनिक शिक्षा एवं पाश्चात्य जीवन शैली के प्रभाव के कारण शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अविवाहित युवा पुरूषों एवं स्त्रियों के बीच अंतरंग संबंध कोई दुर्लभ बात नहीं है। पापुलेशन काउंसिल आफ इंडिया के द्वारा पूना जिले में (2004–05) 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लड़के एवं लड़कियों के बीच कराए गए एक गहन सर्वेक्षण से यह सारांश निकला कि हर पांच में से एक पुरूष और हर 20 में से लगभग एक युवा स्त्री के विवाह पूर्व संबंध होते हैं। शहरी युवा लोग ग्रामीणों की अपेक्षा अधिक यौन सक्रिय होते हैं।

यह अध्ययन न केवल इस भ्रम को तोड़ता है कि यौन संबंध केवल वैवाहिक दायरे तक सीमित हैं, बल्कि यह तर्क देता है कि भारत के प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में विवाहितों के साथ–साथ अविवाहित युवा लोगों को शामिल किया जाए, और उनकी जरूरतों की सूचना एवं सेवाओं को भी शामिल किया जाए। फिलहाल गर्भनिरोधक एवं परामर्श सेवाएं व्यापक रूप से विवाहित युवा दंपतियों के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए इन्हें निश्चित रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के तथा जागरूकतापूर्ण तरीके से अविवाहित युवा वर्ग को भी उपलब्ध कराया जाए।

विवाह पूर्व की दोस्ती में यह अवसर स्पष्ट रूप से विद्यमान रहते हैं कि एक साथ घूमना–फिरना प्रायः शारीरिक अंतरंगता की ओर बढ़ जाते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि युवाओं के लिए बनी सही नीतियां एवं कार्यक्रम उन्हें सुरक्षित विकल्पों से संसाधित करने की दिशा में काम करते हैं। यौन शिक्षा निश्चित रूप से सार्वभौमिक बने और छोटी उम्र में ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसके साथ ही, युवाओं के बीच दिखते जेंडर संबंधी दोहरे मानकों एवं शक्ति असंतुलन को भी संबोधित किया जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दो लोगों के बीच अंतरंग संबंध इच्छित, संसूचित एवं सुरक्षित होने चाहिए।

यद्यपि भारत में जहां विवाह पूर्व यौन संबंधों में स्पष्ट रूप से वृद्धि हो रही है, वहीं बहुत कम आयु में या किशोरावस्था में विवाह हो जाते हैं। भारत में विवाह की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष है, लेकिन वास्तविकता में पूरे देश में बाल–विवाह की प्रथा जारी है। आश्चर्यजनक रूप से 45 प्रतिशत युवा लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले और 63 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 20 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाता है।

बाल विवाहों का अनुपात शहरी क्षेत्रों(12 प्रतिशत) की अपेक्षा बिहार, झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में (53 प्रतिशत) बहुत अधिक है। 15–19 वर्ष की आयु में 41 प्रतिशत लड़कियों और 15 प्रतिशत लड़कों के कम उम्र विवाह के साथ राजस्थान पहले नंबर पर है।

कम उम्र में विवाह का नतीजा कम आयु में शिशु जन्म के रूप में होती है। अपने प्रजनन अधिकार के हक एवं गर्भ निरोधकों के उपयोग की कमी या उन तक पहुंच की जानकारी के बारे में कमी के कारण, ये कम उम्र के जोड़े विवाह के पहले वर्ष में ही शिशु पैदा करने के दबाव का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, केवल कर्नाटक जैसे तथाकथित अग्रणी राज्य में 15 वर्ष से कम आयु की लगभग 3 लाख लड़कियों ने कम से कम एक बच्चे को जन्म दिया था।

भारत अपने जनसांख्यकीय पारगमन के एक महत्वपूर्ण चरण पर है। अपनी पूरी जनसंख्या के एक तिहाई से थोड़ा कम लगभग 33.1 करोड़ (331 मिलियन) युवा जनसंख्या है, जो 10–24 वर्ष की आयु समूह की है। पूर्व की पीढ़ी से ये कहीं बेहतर शिक्षित एवं बेहतर स्वस्थ जीवनचर्या वाले है और ये जहां देश की विशाल संपति (आस्ति) हैं, वहीं संभावित चुनौती भी, अगर इन्हें ठीक पोषित न किया गया। जहां एक तरफ इन्हें शिक्षा की पहुंच, इलैक्ट्रानिक मीडिया में खुलने के अवसर, एक विस्तृत वैश्विक नजरिया, व्यापक शैक्षिक एवं रोजगार के चुनाव इन्हें सक्षमतापूर्ण एवं संभावनाओं से

भरपूर वातावरण प्रदान करते हैं, वहीं ये साधन इन्हें ये विशाल जोखिम–नाजुकता के लिए भी विनोपित करते हैं। विशेषरूप से स्वास्थ्य के बारे में उनके ज्ञान की पूर्णता में कमी एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की कमी उन्हें अक्सर जोखिम के घेरे में डाल देती है। यदि उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाए और उन्हें अपने देश की तथा विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक रूप से तैयार किया जाए तो वे एक जनसांख्यकीय लाभांश या एक संपति (आस्ति) सिद्ध हो सकते हैं।

यहां तक कि भारत जैसे देश में जनसंख्या स्थरीकरण के रूप में भी इस विशाल युवा वर्ग को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में संसूचित तथा शिक्षित करने की जरूरत है। उन्हें जिम्मेदारीपूर्ण यौन व्यवहार(आचरण) के लिए गर्भनिरोधक सेवाओं के साथ–साथ परामर्श उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत एक क्षेत्रीय (या फिर वैश्विक) शक्ति बनकर उभरेगा। जनसांख्यकीय लाभ भारत की जनसंख्या की आयु–संरचना से व्युत्पन्न होता है और इस तथ्य से भी पैदा होता है कि भारत विश्व का एक मात्र युवा देश है और संभवतः कुछ समय के लिए वह इस स्थिति में बना भी रहेगा। इसलिए युवा लोगों की शिक्षा, पोषण, कौशल, रोजगार एवं स्वास्थ्य में निवेश की महत्ता एवं शीघ्रता को मानता है। ऐसा न कर पाने की असफलता व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य प्रणाली, सुरक्षा, जनसांख्यकीय, आर्थिक प्रगति तथा विकास पर दीर्घकालिक अप्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा।

भारत में बाल विवाह एवं किशोरवय पार करते ही विवाह आदि होने से युवा लोग एवं किशोर बहुत ही कम उम्र में यौन सक्रिय हो जाते हैं। अब आधुनिक शिक्षा एवं पाश्चत्य जीवन शैली के प्रभाव के कारण शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अविवाहित युवा पुरूषों एवं स्त्रियों के बीच अंतरंग संबंध कोई दुर्लभ बात नहीं है। पापुलेशन काउंसिल आफ इंडिया के द्वारा पूना जिले में (2004–05) 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लड़के एवं लड़कियों के बीच कराए गए एक गहन सर्वेक्षण से यह सारांश निकला कि हर पांच में से एक पुरूष और हर 20 में से लगभग एक युवा स्त्री के विवाह पूर्व संबंध होते हैं। शहरी युवा लोग ग्रामीणों की अपेक्षा अधिक यौन सक्रिय होते हैं।

यह अध्ययन न केवल इस भ्रम को तोड़ता है कि यौन संबंध केवल वैवाहिक दायरे तक सीमित हैं, बल्कि यह तर्क देता है कि भारत के प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में विवाहितों के साथ–साथ अविवाहित युवा लोगों को शामिल किया जाए, और उनकी जरूरतों की सूचना एवं सेवाओं को भी शामिल किया जाए। फिलहाल गर्भनिरोधक एवं परामर्श सेवाएं व्यापक रूप से विवाहित युवा दंपतियों के लिए उपलब्ध है, इसलिए इन्हें निश्चित रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के तथा जागरूकतापूर्ण तरीके से अविवाहित युवा वर्ग को भी उपलब्ध कराया जाए।

विवाह पूर्व की दोस्ती में यह अवसर स्पष्ट रूप से विद्यमान रहते हैं कि एक साथ घूमना–फिरना प्रायः शारीरिक अंतरंगता की ओर बढ़ जाते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि युवाओं के लिए बनी सही नीतियां एवं कार्यक्रम उन्हें सुरक्षित विकल्पों से संसाधित करने की दिशा में काम करते हैं। यौन शिक्षा निश्चित रूप से सार्वभौमिक बने और छोटी उम्र में ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसके साथ ही, युवाओं के बीच दिखते जेंडर संबंधी दोहरे मानकों एवं शक्ति असंतुलन को भी संबोधित किया जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दो लोगों के बीच अंतरंग संबंध

इच्छित, संसूचित एवं सुरक्षित होने चाहिए।

यद्यपि भारत में जहां विवाह पूर्व यौन संबंधों में स्पष्ट रूप से वृद्धि हो रही है, वहीं बहुत कम आयु में या किशोरावस्था में विवाह हो जाते हैं। भारत में विवाह की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष है, लेकिन वास्तविकता में पूरे देश में बाल–विवाह की प्रथा जारी है। आश्चर्यजनक रूप से 45 प्रतिशत युवा लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले और 63 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 20 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाता है।

बाल विवाहों का अनुपात शहरी क्षेत्रों(12 प्रतिशत) की अपेक्षा बिहार, झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में (53 प्रतिशत) बहुत

कंबोडिया के शिव मंदिर पर लटकता खतरा

- सुश्री उमा सोमदेवे

यदि भारत के पौराणिक ग्रंथों की मानें तो भगवान शिव को आदि देव माना गया है। भगवान शिव आर्यों एवं द्रविड़ों में समान रूप से पूज्य थे और आज भी हैं। यदि विद्वानों की मानें तो शिव अर्थात भगवान शंकर पहले ऐसे द्रविड़ों के भगवान थे जिन्होंने आर्यों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। उनका प्रथम विवाह दक्ष प्रजापति की बेटी सती से और दूसरा विवाह हिमालय राज की पुत्री पार्वती से हुआ। चाहे कश्मीर (तत्कालीन अलकापुरी) हो या काशी (बनारस) या फिर रामेश्वरम सर्वत्र भगवान शिव का एक समान प्रभाव था और आज तक है। इस बात का प्रतीक यह भी है कि आज भी मलयाली समाज में रामा लिंगम, कृष्णा लिंगम जैसे नाम रखे जाते है। समय गुजरने के साथ भारत के राजाओं ने समुद्र मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में विजय प्राप्त की और अपना शासन स्थापित किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि उन देशों में आज भी अनेक हिंदू मंदिर स्थित

हैं। यह देश बाली, सुमात्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया एवं थाइलैंड आदि हैं। आज कई मंदिर अच्छी स्थिति में है तो कई जर्जर एवं खंडहर बन रहे हैं। कंबोडिया का अंकोरबाट मंदिर इस बात का उदाहरण है जिसे प्रधानमंत्री इंदिरागांधी के नेतृत्व में भारत सरकार की पहल पर पुरात्वसर्वेक्षण विभाग के द्वारा पुनर्रुद्धार कर नया जीवन प्रदान किया गया है।

यह कितने खेद का विषय है हमारी भारत सरकार अपनी ही परंपराओं को निभाने में असमर्थ है। हम विकास के नाम पर एक ऐसी आंधी में उड़ रहे है जिसका कोई अंतिम छोर नहीं पता है। जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक विश्व भर में बिखर पड़े हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर नहीं दिखते। दुनियाभर के लोग कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद का विषय बने शिव मंदिर के संरक्षण के लिए भारत से पहल करने की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार का मौन एवं भारतीय संस्कृति के प्रति उपेक्षा पूर्ण रवैया आश्चर्य में डालने वाली है।

आज देश की राजनीति और भारतीयों की विश्व दृष्टि इतनी संकीर्ण हो गई है कि बारह सौ वर्ष पुराने एक शिवमंदिर पर हुई गोलाबारी के बारे में भारत से किसी ने न तो बयान दिया और न ही मीडिया में इसकी चर्चा हुई। यह शिव मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर स्थित इस मंदिर को दोनों देश अपना बताते हैं। फरवरी 2008 से अब तक इस मंदिर पर नियंत्रण करने की कोशिश में थाई सेना ने चार सौ से ज्यादा मोर्टार बम गिराए और इस युद्ध में अब तक थाईलैंड और कंबोडिया के 15 सैनिक मारे जा चुके हैं। 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने एक फैसले में मंदिर तो कंबोडिया का बताया था, लेकिन उसके आसपास की जमीन के बारे में भ्रम बना रहा। थाईलैंड ने बाद में मंदिर पर न्यायालय के फैसले को भी नामंजूर कर दिया। फरवरी 2008 में जब यूनेस्को ने मंदिर को विश्व विरासत घोषित किया और उसका प्रशस्तिपत्र कंबोडिया को दे दिया तो थाईलैंड ने इस बारे में अपना विरोध जताया और विश्व विरासत समिति का बहिष्कार कर दिया।

इस मंदिर का मूल नाम शिखरेश्वर शिव मंदिर है। यह कैलाश पर्वत के प्रतीक स्वरूप कंबोडिया के दंग्रेक पर्वत पर अत्यंत मनोहरी रूप में स्थित है। इसका निर्माण नौवीं शताब्दी में सम्राट जयवर्मन द्वितीय के पुत्र सम्राट इंद्रायुधवर्मन ने प्रारंभ कराया था। चार शताब्दियों तक कंबोडिया के हिंदू–राजाओं का इस मंदिर निर्माण को राज्य संरक्षण मिलता रहा और बारहवीं शताब्दी में सम्राट धरनींद्रवर्मन और सम्राट

सूर्यवर्मन के शासनकाल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ।

पुराणों के अनुसार भारत से गए कंबोज ऋषि द्वारा कंबोडिया बसाया

गया था। उन्होंने वहां की नाग जाति की राजकुमारी से विवाह कर खमेर जाति को आगे बढ़ाया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगकोरवाट वहां है और कम्युनिस्ट शासन होने के बावजूद वहां के राष्ट्रीय ध्वज पर इस मंदिर का रेखांकन उसी प्रकार शोभित है, जैस भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र अंकित है। इस पूरे दक्षिण पूर्व क्षेत्र में बुद्ध और शिव एक साथ सम्मान और अत्यंत श्रद्धा सहित पूजे जाते हैं। खमेर भाषा में संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में हैं। वहां प्रज्ञा

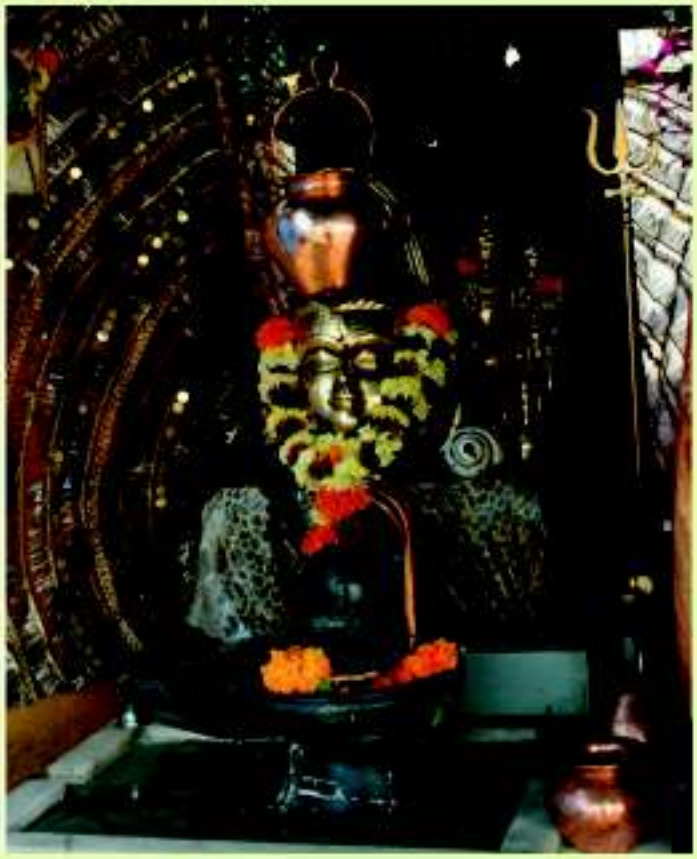

पारमिता महल है और खमेर राष्ट्रीय नृत्य का नाम है अप्सरा, जो भरतनाट्यम जैसा है। थाईलैंड के सम्राट का नाम है महाराजा अतुल्य तेज भूमिबल। उन्हें राम नवम की उपाधि से जाना जाता है, क्योंकि वह स्वयं को राम की परंपरा का मानते हैं। वहां के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है स्वर्णभूमि। इस हवाई अड्डे में प्रवेश करते ही सागर मंथन की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसके मध्य में विष्णु हैं। यह तथ्य पाठकों को अवश्य ज्ञात होना चाहिए, ताकि वे जान सकें कि प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के साथ हिंदू एवं भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के प्राचीन जुड़ाव की जानकारी हो जाए। यद्यपि आज इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव है तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी हिंदू धर्म के मूल एवं भारत से हुई है। इस क्षेत्र में यदि दो बौद्ध देश एक शिव मंदिर के लिए युद्धरत हों तो क्या यह हमारे लिए उपेक्षा का विषय होना चाहिए?

इस मंदिर की जानकारी के बारे में विश्व प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ प्रोफेसर सच्चिदानंद सहाय ने महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डाला है। उनके द्वारा इस शिव मंदिर पर किए शोध को यूनेस्को ने प्रकाशित किया है। इस मंदिर के लिए कंबोडिया के नगर सीएम रीप पहुंचना पड़ता है। वहां से सड़क मार्ग से तीन घंटे की दूरी पर देग्रेक पर्वत आता है। उसके बाद कुल दो हजार दो सौ पचास सीढ़िया चढ़नी पड़ती हैं। हालांकि एक सड़क मार्ग भी है, पर वह एक थाईलैंड के भाग से गुजरता है। इसलिए उस मार्ग से यात्रा सुरक्षित है, जो पूरी तरह कंबोडिया के अंतर्गत है।

यह मंदिर प्राचीन हिंदू खमेर वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है। इसमें पांच गोपुरम हैं। शिव राम, सीता, लक्ष्मण, इंद्र आदि की अत्यंत मनोहारी शिल्पकृतियां यहां देखने को मिलती हैं। एक किलोमीटर लंबे अक्ष पर मंदिर का निर्माण हुआ। विराट और भव्य प्रस्तर कला का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर आज विवाद का केन्द्र बन गया है और बड़े आश्चर्य की बात है कि केवल हिंदू बहुल भारत में ही उपेक्षा और अज्ञान का पात्र बना है। चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका भी इस मंदिर को बचाने के मामले में गहरी दिलचस्पी ले रहा है।

दुर्भाग्य से, एक विकृत सेक्युलरवाद का झंडा उठाकर चलने एवं वोट बैंक की राजनीति के कारण न तो भारत सरकार इस बारे में कोई भूमिका निभाने को तैयार है और न ही किसी भारतीय संगठन ने इस बारे में पहल की है। भारत सरकार यदि चाहे तो इस विषय में भारतीय समाज की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आशा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय, जिनकी पूर्वी एशिया में बहुत सम्मानित छवि है, इस विषय की गंभीरता समझेंगे और भारतीय पुरातत्व विभाग को इस मंदिर के संरक्षण के लिए जिम्मेदारी सौंपते हुए कंबोडिया एवं थाईलैंड से बात करेंगे और उस क्षेत्र में शांति के लिए भारत की ओर से विभिन्न सहायता परियोजनाओं एवं कार्यक्रम में भागीदारी कर दोनों देश के बीच भारत की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

"दुनिया में मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है और इंसान तेजी से घट रहे हैं। अपने स्वभाव की वजह से तुम पहचान लिए गए हो। अपने आप को सुधारने का मौका तुम्हारे पास है। देरी मत करो। शायद तुम में भगवत्ता का उदय हो जाए"

– "स्वामी तथागत भारती"

स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

-सुश्री डॉ0 वर्षा सोमदेवे,

मधुमेह का प्रभाव

हाल ही में, जापान में किए गए एक अध्ययन के अनुसार एक नयुरोजॉजी पत्रिका में लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि बढ़ती उम्र के साथ होने वाला अलजेमिनर्स बीमारी मधुमेह (डायबिटीज) के रोगियों में होने का अधिक जोखिम तो रहता ही है, बल्कि मधुमेह के कारण दिमागी संतुलन (विक्षिप्त) के अनेक रूप भी विकसित होने के अवसर बढ़ जाते हैं। इस अध्ययन में 60 वर्ष से ऊपर के एक हजार से अधिक लोगों पर 15 वर्षों तक अनुसंधान किया गया। अध्ययन अवधि के दौरान मधुमेह ग्रस्त लोगों में क्रमशः 232 में अलजेमिनर्स की बीमारी तथा 150 लोगों में मनोरोग के विभिन्न रूप विकसित हुए जबकि गैर मधुमेह लोगों में क्रमशः 115 एवं 41 लोगों में रोग के लक्षण विकसित हुए। अध्ययन में पाया गया कि मधुमेह को बढ़ाने वाले कारक इंसुलिन के प्रतिरोध से शरीर की सुरक्षा क्षमता प्रभावित होती है जिसके कारण अलजोमिनर्स एवं मनोरोग के कई स्वरूप के विकास में सहायता मिलती है।

उच्च रक्तचाप हृदयाघात के लिए खतरनाक

उच्च रक्तचाप को हृदयघात के जोखिम के रूप में जाना जाता है जो कि शत प्रतिशत सत्य है। उच्च रक्त चाप के लिए जहां, वसायुक्त आहार एवं जीवनचर्या (क्रोधित होना, झगड़ना, तनाव) आदि दोषी है, वहीं वसारहित एवं शाकाहारी आहार, व्यायाम, योग एवं भार में कमी लाना तथा प्रातःकाल में टहलना आदि इसके लिए लाभकारी है।

सवा पांच लाख लोगों पर अब तक लगभग 12 अध्ययनों से यह बात प्रकट हुई है कि थोड़ा उच्च रक्त चाप भी लोगों के लिए हृदयघात का कारण बन सकता है। जिन लोगों में रक्तचाप का दबाव 120–139 या कमदाब 80 से 89 रहता है ऐसे लोगों में सामान्य रक्तचाप वाले लोगों की तुलना में हृदयाघात होने के 50–55 प्रतिशत तक अवसर अधिक बढ़ जाते है। या जिन लोगों को उच्चरक्त चाप का इतिहास है, उन्हें उपरोक्त रक्त दाब की स्थिति में 79 प्रतिशत तक जोखिम बढ़ जाता है। रक्त दाब की आदर्श स्थिति 120 से नीचे एवं 80 से ऊपर मानी जाती है। अतः जिन लोगों के रक्त दाब (रक्तचाप) में असामान्यता है उन्हें खानपान एवं जीवन यापन में बदलाव अपनाना चाहिए।

विवाह की आवश्यकता क्यों?

हमारे प्रचीन शास्त्रों एवं संस्कृति में विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना है, जितना कि जन्म, यज्ञोपवीत एवं मृत्यु जैसे संस्कार है। कदाचित हमारे पूर्वजों ने इसकी महत्ता का वैज्ञानिक पक्ष भी हजारों वर्ष पूर्व समझ लिया था, जिसे अब पाश्चात्य देश भी समझने एवं मानने भी लगे हैं।

हाल ही में, एक लाख सैंतीस हजार विवाहित एवं अविवाहित पुरूषों में पिछले 50 वर्षों के दौरान किए गए अध्ययन से प्रकट हुआ है कि जिन पुरूषों के संतानें नहीं होती, उन्हें संतान वाले पुरूषों की अपेक्षा हृदयाघात से मरने का अधिक जोखिम होता है। अध्ययन से यह बात भी प्रकट हुई है कि विवाहित पुरूषों का औसत जीवन, अविवाहित पुरूषों की तुलना में (बिना हृदयाघात के जोखिम से औसतन) 10 वर्ष अधिक होता है। अनुसंधान कर्ताओं ने पाया कि एक या दो संतान वाले पुरूषों की तुलना में अविवाहित या निसंतान पुरूषों की हृदयाघात से 17 प्रतिशत अधिक मृत्यु का जोखिम पाया गया। यहां तक कि केवल एक संतान वाले पिता में भी निसंतान/अविवाहित की तुलना में ज्यादा जीवन क्षमता पाई गई। संतान युक्त पुरूषों को अपने आप बेहतर जीवन शैली गुजारने का प्रोत्साहन मिलता है

हंसों और हंसाओं, जीवन स्वस्थ बनाओ

जीवन में हास्य न केवल मानव की चिंताओं एवं तनाव को मिटाता है, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी बनाता है। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि खुलकर हंसना भी एक व्यायाम है और यह चेहरे एवं आंखों को स्वस्थ बनाने में सहायक है।

हाल ही में, ब्रिट्रेन में एक शोध से यह बात भी सिद्ध हुई है कि अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंसने में पीड़ा (दर्द) को घटाने में या महसूस करने में उतनी ही मदद मिलती है जितनी आइस पैक या बर्फ लगाने से मिलती है। यह प्रयोग प्रयोगशाला एवं फील्ड स्तर पर किए गए। अध्ययन से यह बात प्रकट हुई है कि केवल 15 मिनट तक अपने दोस्तों के बीच खुलकर हंसने से लगभग 10 प्रतिशत पीड़ा सहने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हंसो और हंसाओ, दर्द को भगाओ

क्या आप जानते हैं–

- कोस्टारिका के एक अध्ययन ने बताया है कि जो लोग अधिक मात्रा में श्वेत चावल (व्हाइट राइस) खाते है, उन्हें उच्च रक्त चाप, मधुमेह तथा हृदयाघात का जोखिम अपेक्षा से अधिक रहता है।
- डेनमार्क ने मोटापा जैसी समस्या से निजात पाने के लिए मक्खन एवं पिज्जा जैसे वसायुक्त खाद्य उत्पादों पर वसाकर (फैट टैक्स) लगाया गया है। (भारत जैसे देशों को भी सबक लेना चाहिए)।
- वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड का दावा है कि स्वास्थ्य पूर्णजीवन शैली, जैसे कि तंबाकू, धूम्रपान से बचाव तथा शराब सेवन में कमी लाकर और संतुलित भोजन एवं व्यायाम से प्रतिवर्ष 2.8 मिलियन केवल कैंसर के मामले टाले जा सकते है।
- जो महिलाएं दिन में 2 या 3 कप कैफीनयुक्त कॉफी पीती है वे एक कप या बिल्कुल न पीने वालों की तुलना में 15 प्रतिशत कम डीप्रेशन (अवसाद या निराशा) का शिकार होती है।

महंगाई की विभीषिका

– धीरज कुमार, सहायक प्रबंधक

देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीते दिनों यह बयान दिया था कि अभी महंगाई और बढ़ेगी और इसका सामना करने के लिए देश के नागरिकों को तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए उनके बयान के दो दिनों बाद ही रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने भी यह कहा कि लोग और अधिक महंगाई झेलने के लिए तैयार रहें।

काफी लंबे समय से महंगाई की मार से कराह रही जनता अब और किसी भी तरह के बोझ को ढोने के लायक नहीं बची है। यही वजह है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जैसे ही कंपनियों ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, विरोध स्वरूप आम जनता सड़कों पर उतर आई। नाराज लोगों ने जगह–जगह केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पुतले फूंके। यह सब देखकर प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बयान दिया कि पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण पेट्रोल उत्पादक कंपनियां करती है, सरकार नहीं।

तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई का ग्राफ सामान्य नहीं हो रहा और यह अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। मार्च में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 8.98 प्रतिशत बताई गई थी। खाद्य सामग्रियों और कच्चे तेल के मूल्यों को महंगाई का सर्वप्रमुख कारण माना जा रहा है। राजनीतिक दबाव में महंगाई कम करने को सरकार उच्चतम प्राथमिकता बता रही है और पूंजीवादी अर्थशास्त्र के परंपरागत नुस्खे में बाजार से नकदी घटाना एक प्रमुख औषधि है। एक साल पहले महंगाई दर के करीब 11 प्रतिशत पहुंचने के साथ रिजर्व बैंक ने बाजार से नकदी खींचने की नीति आरंभ की थी। अभी हाल ही में यह दर फिर से लगभग इसी स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले छह माह में सबसे अधिक है।

महंगाई के नाम पर कारोबारियों ने मनमाने तरीके से दाम बढ़ाने शुरू कर दिये हैं और दाम बढ़ाने का यह सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह सब तब किया जा रहा है जब देश के पास चावल और गेहूं का अतिरिक्त भंडार मौजूद है। दरअसल, इस महंगाई को जमाखोरों और कालाबाजारियों ने पैदा किया है। इन लोगों ने जानबूझ कर बाजार में बनावटी आपूर्ति संकट पैदा किया और उसकी आड़ में मनमाने तरीके से दाम बढ़ाए। इन्हें पता है कि नेताओं के वरदहस्त के रहते इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन जमाखोरों का मनोबल बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बयान ने किया। इन बयानों ने इन बाजारवादी ताकतों द्वारा माहौल को मजबूती देने का काम किया है। इनके जरिए अब आम लोगों को भी यह लगने लगा है कि जब प्रधानमंत्री ही खुद कह रहे हैं तो बात में कुछ दम है और महंगाई इस समय का सच है। इसका फायदा जमाखोरों को मिल रहा है और वे दामों में अनाप–शनाप बढ़ोतरी करते ही जा रहे हैं। अगर कोई उनसे सवाल उठाने का साहस करता है तो वे प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बयानों का हवाला देकर उसका मुंह बंद कर देते हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में भारत में खाद्य पदार्थों के थोक मूल्य सूचकांक में रिकार्ड 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी के साथ यह उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोलियम पदार्थों में हुई मूल्यवृद्धि से मुद्रास्फीति में मात्र 0.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान में मुद्रास्फीति की दर 10.2 प्रतिशत है। ऐसे में करीब एक प्रतिशत की वृद्धि का अर्थ समझना आवश्यक है। सरकार मूल्यवृद्धि को लेकर किए गए प्रत्येक निर्णय को एक 'अरुचिकर फैसला' कह कर बचने का प्रयास करती है।

मिस्र और ट्यूनीशिया में राजनीतिक उथल–पुतल तथा लीबिया में गृहयुद्ध के कारण तेल मूल्यों में वृद्धि हुई है। 120 डॉलर प्रति बैरल की दर से भारत को कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। जाहिर है, तेल के मूल्य यदि 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास नहीं रहा तो महंगाई में उछाल अवश्यंभावी है। इस समय भी इसका मूल्य 114 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। प्रति बैरल एक डॉलर की वृद्धि का असर 3,200 करोड़ हो जाता है। रिजर्व बैंक का सुझाव है कि सरकार डीजल एवं पेट्रोल के दाम बढ़ाए। अन्यथा, सब्सिडी के बोझ से राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो सकती है। अर्थव्यवस्था को एक शरीर मान लें तो उसके किसी अंग की गतिविधि उसी तक सीमित नहीं होती। उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।

भारत के राजनीतिक दलों की आम जनता, किसान और कृषि से तो जैसे उनकी शत्रुता है और ऐसा ही कुछ आदिवासियों के साथ भी है। कुपोषण और भूख से हो रही मौतें अब हमारे नेताओं को विचलित भी नहीं करतीं। सारे दल एक–दूसरे पर जुबानी दोषारोपण कर चुप बैठ जाते हैं; क्योंकि सभी दल किसी न किसी प्रदेश में सत्ता में हैं और हर राज्य में कमोबेश एक सी स्थिति है। केंद्र सरकार तो वैसे भी यह कहकर मुक्त हो जाती है कि यह तो राज्य का मामला है।

सरकार के सत्ता संभालने के बाद से महंगाई के मुद्दे पर संसद में कम से कम दस बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इन चर्चाओं का कुछ खास नतीजा नहीं निकला। हालांकि पिछले वर्ष भी दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के जरिए सरकार से कहा गया था कि महंगाई की मार से आम आदमी को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये।

भ्रष्टाचार और लूट खसोट की होड़ में सभी दलों के नेताओं ने अपनी तिजोरियां भरी हैं। विदेशी बैंकों के खातों में भारी रकमें जमा की, घोटाले पर घोटाले किये, अपनी भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित किया और जब देश दिवालियेपन की कगार पर आ खड़ा हुआ तो अपने खर्चे कम करने की बजाय राष्ट्र की अस्मत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ गिरवी रख दिया।

आम महंगाई के साथ ग्रामीण गरीबों के लिए मौसमी महंगाई और भूख एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यह मौसमी महंगाई वह अवधि है जब उनका फसल में जमा किया हुआ अनाज समाप्त हो जाता है और नई फसल आने में थोड़ा समय होता है। खाद्य पदार्थों के मूल्य में उतार–चढ़ाव, संस्थागत ऋण तक पहुंच का न होना और भंडारण की अपर्याप्त सुविधा के कारण किसानों को बाध्य होना पड़ता है कि वे पूर्व में लिए गए ऋण की अदायगी और फसल को कीट इत्यादि से बचाने के लिए अपनी पैदावार (फसल) को औने–पौने दाम पर बिचौलियों या आढ़तियों पर बेच देते हैं। इसलिए किसान को कुछ महीनों बाद बाजार में अधिक दाम चुकाकर पुनः अनाज खरीदना पड़ता है।

खाद्य असुरक्षा कृषक परिवारों को नुकसानदेह और स्थायी हानि वाले तरीके अपनाने को विवश करती है। जैसे संपत्ति या पशुओं को बेचना। ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना या अपनी भूमि और भविष्य की पैदावार को रेहन या गिरवी रखने का जोखिम उठाना। इस तरह से ग्रामीण गरीब अपने आज के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। इससे उसकी भविष्य की जीविका पर भी असर पड़ता है। अच्छी पैदावर के बावजूद उसकी सामान्य स्थिति में सुधार नहीं आता।

देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीते दिनों यह बयान दिया था कि अभी महंगाई और बढ़ेगी और इसका सामना करने के लिए देश के नागरिकों को तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए उनके बयान के दो दिनों बाद ही रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने भी यह कहा कि लोग और अधिक महंगाई झेलने के लिए तैयार रहें।

काफी लंबे समय से महंगाई की मार से कराह रही जनता अब और किसी भी तरह के बोझ को ढोने के लायक नहीं बची है। यही वजह है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जैसे ही कंपनियों ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, विरोध स्वरूप आम जनता सड़कों पर उतर आई। नाराज लोगों ने जगह-जगह केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पुतले फूंके। यह सब देखकर प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बयान दिया कि पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण पेट्रोल उत्पादक कंपनियां करती है, सरकार नहीं।

तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई का ग्राफ सामान्य नहीं हो रहा और यह अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। मार्च में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 8.98 प्रतिशत बताई गई थी। खाद्य सामग्रियों और कच्चे तेल के मूल्यों को महंगाई का सर्वप्रमुख कारण माना जा रहा है। राजनीतिक दबाव में महंगाई कम करने को सरकार उच्चतम प्राथमिकता बता रही है और पूंजीवादी अर्थशास्त्र के परंपरागत नुस्खे में बाजार से नकदी घटाना एक प्रमुख औषधि है। एक साल पहले महंगाई दर के करीब 11 प्रतिशत पहुंचने के साथ रिजर्व बैंक ने बाजार से नकदी खींचने की नीति आरंभ की थी। अभी हाल ही में यह दर फिर से लगभग इसी स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले छह माह में सबसे अधिक है।

महंगाई के नाम पर कारोबारियों ने मनमाने तरीके से दाम बढ़ाने शुरू कर दिये हैं और दाम बढ़ाने का यह सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह सब तब किया जा रहा है जब देश के पास चावल और गेहूं का अतिरिक्त भंडार मौजूद है। दरअसल, इस महंगाई को जमाखोरों और कालाबाजारियों ने पैदा किया है। इन लोगों ने जानबूझ कर बाजार में बनावटी आपूर्ति संकट पैदा किया और उसकी आड़ में मनमाने तरीके से दाम बढ़ाए। इन्हें पता है कि नेताओं के वरदहस्त के रहते इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन जमाखोरों का मनोबल बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बयान ने किया। इन बयानों ने इन बाजारवादी ताकतों द्वारा माहौल को मजबूती देने का काम किया है। इनके जरिए अब आम लोगों को भी यह लगने लगा है कि जब प्रधानमंत्री ही खुद कह रहे हैं तो बात में कुछ दम है और महंगाई इस समय का सच है। इसका फायदा जमाखोरों को मिल रहा है और वे दामों में अनाप-शनाप बढ़ोतरी करते ही जा रहे हैं। अगर कोई उनसे सवाल उठाने का साहस करता है तो वे प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बयानों का हवाला देकर उसका मुंह बंद कर देते हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में भारत में खाद्य पदार्थों के थोक मूल्य सूचकांक में रिकार्ड 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी के साथ यह उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोलियम पदार्थों में हुई मूल्यवृद्धि से मुद्रास्फीति में मात्र 0.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान में मुद्रा स्फीति की दर 10.2 प्रतिशत है। ऐसे में करीब एक प्रतिशत की वृद्धि का अर्थ समझना आवश्यक है। सरकार मूल्यवृद्धि को लेकर किए गए प्रत्येक निर्णय को एक 'अरुचिकर फैसला' कह कर बचने का प्रयास करती है।

मिस्र और ट्यूनीशिया में राजनीतिक उथल-पुतल तथा लीबिया में गृहयुद्ध के कारण तेल मूल्यों में वृद्धि हुई है। 120 डॉलर प्रति बैरल की दर से भारत को कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। जाहिर है, तेल के मूल्य यदि 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास नहीं रहा तो महंगाई में उछाल अवश्यंभावी है। इस समय भी इसका मूल्य 114 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। प्रति बैरल एक डॉलर की वृद्धि का असर 3,200 करोड़ हो जाता है। रिजर्व बैंक का सुझाव है कि सरकार डीजल एवं पेट्रोल के दाम बढ़ाए। अन्यथा, सब्सिडी के बोझ से राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो सकती है। अर्थव्यवस्था को एक शरीर मान लें तो उसके किसी अंग की गतिविधि उसी तक सीमित नहीं होती। उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।

भारत के राजनीतिक दलों की आम जनता, किसान और कृषि से तो जैसे उनकी शत्रुता है और ऐसा ही कुछ आदिवासियों के साथ भी है। कुपोषण और भूख से हो रही मौतें अब हमारे नेताओं को विचलित भी नहीं करतीं। सारे दल एक-दूसरे पर जुबानी दोषारोपण कर चुप बैठ जाते हैं; क्योंकि सभी दल किसी न किसी प्रदेश में सत्ता में हैं और हर राज्य में कमोबेश एक सी स्थिति है। केंद्र सरकार तो वैसे भी यह कहकर मुक्त हो जाती है कि यह तो राज्य का मामला है।

सरकार के सत्ता संभालने के बाद से महंगाई के मुद्दे पर संसद में कम से कम दस बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इन चर्चाओं का कुछ खास नतीजा नहीं निकला। हालांकि पिछले वर्ष भी दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के जरिए सरकार से कहा गया था कि महंगाई की मार से आम आदमी को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये।

भ्रष्टाचार और लूट खसोट की होड़ में सभी दलों के नेताओं ने अपनी तिजोरियां भरी हैं। विदेशी बैंकों के खातों में भारी रकमें जमा की, घोटाले पर घोटाले किये, अपनी भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित किया और जब देश दिवालियेपन की कगार पर आ खड़ा हुआ तो अपने खर्च कम करने की बजाय राष्ट्र की अस्मत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ गिरवी रख दिया।

आम महंगाई के साथ ग्रामीण गरीबों के लिए मौसमी महंगाई और भूख एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यह मौसमी महंगाई वह अवधि है जब उनका फसल में जमा किया हुआ अनाज समाप्त हो जाता है और नई फसल आने में थोड़ा समय होता है। खाद्य पदार्थों के मूल्य में उतार-चढ़ाव, संस्थागत ऋण तक पहुंच का न होना और भंडारण की अपर्याप्त सुविधा के कारण किसानों को बाध्य होना पड़ता है कि वे पूर्व में लिए गए ऋण की अदायगी और फसल को कीट इत्यादि से बचाने के लिए अपनी पैदावार (फसल) को औने-पौने दाम पर बिचौलियों या आढ़तियों पर बेच देते हैं। इसलिए किसान को कुछ महीनों बाद बाजार में अधिक दाम चुकाकर पुनः अनाज

efgykvksa d s fo :) vijk/kksa ij dkuu vkSj nMkRed dkjokbZ

& th-,u- lkeno]
lgk;d egkfuns'kd

/kkjk	vijk/k	lt+k	tekurh@xj&tekurh
Hkk-n-l 228&,	cykRdkj dh dkf'k'k ;k v'yhy Hkkok dk idVhdj.k ;k ,l gh dN vU; ekey	2 lky rd dkjkokl vkj tekuk	lK; vkj tekurh
Hkk-n-l 294	v'yhy xfrfof/k ;k xku	3 eghu rd dkjkokl ;k tekuk ;k nkuk	lK; vkj tekurh
Hkk-n-l 304&ch	'kknh d 7 lkyk d Hkhrj ikdfrd eR; d vykok fdlh vU; dkj.k l eR;	3 eghu rd dkjkokl ;k tekuk ;k nkuk	lK; vkj xj&tekurh
Hkk-n-l 306	vkRegR;k d fy, mdlku ij	10 lkyk rd dkjkokl vkj tekuk	lK; vkj xj&tekurh
Hkk-n-l 354	vR;kpkj ;k efgyk dh 'khyrk dk Hkx dju dh e'kk l ml ij vkijkf/kd geyk	2 lky rd dkjkokl vkj tekuk	lK; vkj tekurh
Hkk-n-l 366	fdlh efgyk dk 'kknh ;k vo/k lc/k cuku vkfn gr ck/; dju d fy, mldk vigj.k djuk ;k Hkxk y tkuk	10 lky rd dkjkokl vkj tekuk	lK; vkj xj&tekurh
Hkk-n-l 376	cykRdkj ;k tcju lHkkx djuk	de l de 7 lky dh ltk ;k vkthou dkjkokl vkj tekuk	lK; vkj xj&tekurh
Hkk-n-l 406	vkijkf/kd fo'okl?kkr d fy, ltk ¼L=h/ku okil uk fey iku lfgr½	3 lky rd dkjkokl vkj tekuk ;k nkuk	lK; vkj xj&tekurh
Hkk-n-l 498&,	,d 'kknh'knk efgyk dk ngt irkMuk d fy, ltk	3 lky rd dkjkokl vkj tekuk	lK; vkj xj&tekurh
Hkk-n-l 509	fdlh efgyk dh 'khyrk dk vieku dju dh e'kk d fy, 'kCn] HkkoHkfxek ;k xfrfof/k dk i;kx	1 lky dk l/kkj.k dkjkokl ;k ltk vkj tekuk nkuk	lK; vkj tekurh

uxs iko nkMuk lgr d fy, ykHkdkjh

uxs iko nkMuk tr igu dj nkMu l T;knk YkkHk dkjh g! ,d v/;;u d vulkj tr igudj nkMu l igy iko dh ,Mh tehu ij iMrh g tcfd uxs iko nkMu ij ijk iko tehu ij iMrk g ;k iko dk vxyk fgLlk tehu ij iMrk g! bl idkj {kfr dh lHkkouk de jgrh g vkj Vkxk ,o dYgk d tkMk ij n"iHkko ugh iMrk g!

एक गुमनाम हीरो

– अमर सिंह सचान, राजभाषा अधिकारी

हम सभी अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में जूझते हुए जीवन यापन करते हैं, प्रायः हमारी मुलाकात अधिकतर ऐसे लोगों से होती हैं जो स्वार्थी, धोखेबाज एवं दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले होते हैं। कईबार लगता कि दुनिया कितनी गिरती जा रही है। हर कोई लूट खसोट की राह पर चल रही है और चले भी क्यों नहीं। क्योंकि हम जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं जो हमारे नेतागण है और हमारे देश के भाग्य विधाता बने हुए हैं जब उस लोगों का आचरण ही विभिन्न विकृतियों से भरा हुआ है तो लोग क्या सीखेंगे। लोग खुलकर कहने लगे हैं कि जब हमारे नेता एवं अधिकारीगण ही खुलेआम बेइमानी और भ्रष्टाचार को गले लगाकर अपना घर भर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। आज आम आदमी भी बेटिकट यात्रा एवं बिजली चोरी एवं सार्वजनिक संपति के हरण जैसी हरकतें खुलकर करने लगे हैं। अब तो बात यहां तक बढ चुकी है कि सरकारी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि निजीक्षेत्र एवं गैर–सरकारी क्षेत्र, न्यासों, सामाजिक संगठनों एवं पंचायत संस्थानों में भी भ्रष्टाचार घुस चुका है।

ऐसे में जब आपको कोई समाज से बिलकुल अलग और भारतीय सेवाभाव के आदर्श गुणों से भरपूर व्यक्ति मिल जाता है तो आम आदमी अभिभूत हुए बिना नहीं रहता है। हमारे समाज में आज भी ऐसे न जाने कितने लोग है जो दुनिया की भेड़चाल से हटकर एक नई राह चलते हैं। सच ही कहा गया है कि–

लीक लीक गाड़ी चले, लीकै चले कपूत
लीक छोड़ तीनों चले, शायर, सिंह, सपूत।

मैं एक ऐसे ही बेनाम भारत के सच्चे सपूत के बारे में बता रहा हूं। हाल ही में मेरे एक दोस्त ने ईमेल भेजा, जिसे सभी से प्रकट कर पाने से मैं स्वयं को रोक नहीं पाया, जो मुंबई शहर के ऐसे गुमनाम हीरो के बारे में है, जिसे मैं उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूं।

"पिछले रविवार मैंने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बांद्रा से अंधेरी जाने की योजना बनाई। मैंने सड़क पर खड़े होकर तमाम ऑटो वालों को हाथ दिया, पर कोई न कोई बहाना बनाकर आगे निकल गया क्योंकि कुछ तो मीटर से जाने की बजाय एक मुश्त पैसे मांग रहे थे तो कुछ उस दिशा में जाना नहीं चाहते थे। वैसे दिल्ली की अपेक्षा मुंबई में ऑटो फिर भी आसानी से मिल जाते हैं, पर देखते–देखते इनमें भी दिल्ली वाला रंग चढ़ रहा है। वैसे सच तो यह है कि अब हर जगह के ऑटो वाले काफी नखरीले हो गए हैं।

खैर जब दो चार ऑटो गुजरने के बाद.....। मैंने पास से गुजरते हुए ऑटो रिक्शा को रूकने के लिए हाथ दिया, तब मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरे लिए यह ऑटोरिक्शे की यात्रा दूसरों से भिन्न एवं अविस्मरणीय होगी।

हम जैसे ही ऑटो रिक्शा में बैठे तो ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे वायुयान की नकल में बनी सीट के पीछे बनी थैली में कुछ पत्रिकाएं रखीं हुई नजर आईं। मैंने आगे की तरफ नजर डाली तो वहां पर एक छोटा–सा टीवी लगा हुआ था और उस पर दूरदर्शन चैनल चल रहा था।

मैं और मेरी पत्नी यह सब देखकर एक–दूसरे को कुतूहल पूर्ण नजरों से देख रहे थे, जिसमें थोड़ी अविश्वसनीयता एवं आश्चर्य का मिश्रण था। ठीक मेरे सामने ही एक छोटा–सा पारदर्शी फर्स्ट एड बाक्स था, जिसमें रूई, पट्टियां, डेटॉल और कुछेक दवाइंयों के पत्ते दिख रहे थे।

इन सारी चीजों को देखकर, मुझे यह समझने के लिए पर्याप्त था कि यह एक विशिष्ट वाहन है। इसके बाद मैंने आस–पास नजर दौड़ाई और मैंने देखा कि उसमें एक रेडियो–ट्रांजिस्टर, एक अग्निशामक, एक बड़ी सी घड़ी, एक कलैन्डर तथा सभी धर्मों के देवताओं/महापुरूषों की तस्वीरें या प्रतीक चिन्ह भी लगे थे, जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध आदि के चिन्ह थे। इसके साथ ही उसके ऑटो में एक तरफ जहां 26/11 के जांबाज शहीदों–कामत, सलास्कार, करकरे तथा उन्नीकृष्णन के फोटो भी लगे हुए थे। वही दूसरी ओर शहीद भगत सिंह एवं आजाद के चित्र भी लगे थे। यह सब देखकर मुझे जितना अधिक कुतूहल हो रहा था, उससे ज्यादा मेरा मन उससे बातें करने एवं अपनी जिज्ञासा को शांत करने की चाहत बढ़ रहा था।

हम सभी अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में जूझते हुए जीवन यापन करते हैं, प्रायः हमारी मुलाकात अधिकतर ऐसे लोगों से होती हैं जो स्वार्थी, धोखेबाज एवं दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले होते हैं। कईबार लगता कि दुनिया कितनी गिरती जा रही है। हर कोई लूट खसोट की राह पर चल रही है और चले भी क्यों नहीं। क्योंकि हम जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं जो हमारे नेतागण है और हमारे देश के भाग्य विधाता बने हुए हैं जब उस लोगों का आचरण ही विभिन्न विकृतियों से भरा हुआ है तो लोग क्या सीखेंगे। लोग खुलकर कहने लगे हैं कि जब हमारे नेता एवं अधिकारीगण ही खुलेआम बेइमानी और भ्रष्टाचार को गले लगाकर अपना घर भर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। आज आम आदमी भी बेटिकट यात्रा एवं बिजली चोरी एवं सार्वजनिक संपति के हरण जैसी हरकतें खुलकर करने लगे हैं। अब तो बात यहां तक बढ़ चुकी है कि सरकारी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि निजीक्षेत्र एवं गैर–सरकारी क्षेत्र, न्यासों, सामाजिक संगठनों एवं पंचायत संस्थानों में भी भ्रष्टाचार घुस चुका है।

ऐसे में जब आपको कोई समाज से बिलकुल अलग और भारतीय सेवाभाव के आदर्श गुणों से भरपूर व्यक्ति मिल जाता है तो आम आदमी अभिभूत हुए बिना नहीं रहता है। हमारे समाज में आज भी ऐसे न जाने कितने लोग है जो दुनिया की भेड़चाल से हटकर एक नई राह चलते हैं। सच ही कहा गया है कि–

लीक लीक गाड़ी चले, लीकै चले कपूत
लीक छोड़ तीनों चले, शायर, सिंह, सपूत।

मैं एक ऐसे ही बेनाम भारत के सच्चे सपूत के बारे में बता रहा हूं। हाल ही में मेरे एक दोस्त ने ईमेल भेजा, जिसे सभी से प्रकट कर पाने से मैं स्वयं को रोक नहीं पाया, जो मुंबई शहर के ऐसे गुमनाम हीरो के बारे में है, जिसे मैं उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूं।

"पिछले रविवार मैंने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बांद्रा से अंधेरी जाने की योजना बनाई। मैंने सड़क पर खड़े होकर तमाम ऑटो वालों को हाथ दिया, पर कोई न कोई बहाना बनाकर आगे निकल गया क्योंकि कुछ तो मीटर से जाने की बजाय एक मुश्त पैसे मांग रहे थे तो कुछ उस दिशा में जाना नहीं चाहते थे। वैसे दिल्ली की अपेक्षा मुंबई में ऑटो फिर भी आसानी से मिल जाते हैं, पर देखते–देखते इनमें भी दिल्ली वाला रंग चढ़ रहा है। वैसे सच तो यह है कि अब हर जगह के ऑटो वाले काफी नखरीले हो गए हैं।

खैर जब दो चार ऑटो गुजरने के बाद.....। मैंने पास से गुजरते हुए ऑटो रिक्शा को रूकने के लिए हाथ दिया, तब मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरे लिए यह ऑटोरिक्शे की यात्रा दूसरों से भिन्न एवं अविस्मरणीय होगी।

हम जैसे ही ऑटो रिक्शा में बैठे तो ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे वायुयान की नकल में बनी सीट के पीछे बनी थैली में कुछ पत्रिकाएं रखीं हुई नजर आई। मैंने आगे की तरफ नजर डाली तो वहां पर एक छोटा–सा टीवी लगा हुआ था और उस पर दूरदर्शन चैनल चल रहा था।

मैं और मेरी पत्नी यह सब देखकर एक–दूसरे को कुतूहल पूर्ण नजरों से देख रहे थे, जिसमें थोड़ी अविश्वसनीयता एवं आश्चर्य का मिश्रण था। ठीक मेरे सामने ही एक छोटा–सा पारदर्शी फर्स्ट एड बाक्स था, जिसमें रूई, पट्टियां, डेटॉल और कुछेक दवाइंयों के पत्ते दिख रहे थे।

इन सारी चीजों को देखकर, मुझे यह समझने के लिए पर्याप्त था कि यह एक विशिष्ट वाहन है। इसके बाद मैंने आस–पास नजर दौड़ाई और मैंने देखा कि उसमें एक रेडियो–ट्रांजिस्टर, एक अग्निशामक, एक बड़ी सी घड़ी, एक कलैन्डर तथा सभी धर्मों के देवताओं/महापुरूषों की तस्वीरें या प्रतीक चिन्ह भी लगे थे, जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध आदि के चिन्ह थे। इसके साथ

ही उसके ऑटो में एक तरफ जहां 26/11 के जांबाज शहीदों–कामत, सलास्कार, करकरे तथा उन्नीकृष्णन के फोटो भी लगे हुए थे। वही दूसरी ओर शहीद भगत सिंह एवं आजाद के चित्र भी लगे थे। यह सब देखकर मुझे जितना अधिक कुतूहल हो रहा था, उससे ज्यादा मेरा मन उससे बातें करने एवं अपनी जिज्ञासा को शांत करने की चाहत बढ़ रहा था।

मैंने जब ऑटो चालक से बातचीत की, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा यह ऑटो रिक्शा ही नहीं, बल्कि मेरा ऑटो चालक भी विशिष्ट इंसान था। शुरूआत में जो बातचीत मैंने हल्के मनोविनोद, जिज्ञासा एवं अविश्वास के साथ आरंभ की थी, वह बाद में धीरे–धीरे गहन होती गई। उसकी बातचीत से पता चला कि वह मुंबई में पिछले 8–9 सालों से ऑटो चला रहा है। इससे पहले वह एक प्लास्टिक फैक्टरी में काम करता था; किंतु कारखाने में आग लगने से काम ही बंद हो गया। उसने तब ऑटो चलाने का काम पकड़ा। उसके घर में पत्नी और दो बच्चे हैं। वह सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ऑटो

धैर्य व संयम का महत्व

– रामनारायण चौधरी, सहायक प्रबंधक

धैर्य व संयम, मानव की दो शक्तियां हैं जो बड़ा से बड़ा और कठिन से कठिन काम सरल बना देती हैं, जीवन में हमारी कई कठिनाईयों को सरल बनाती हैं तथा विषम परिस्थितियों में मानव को चट्टान की तरह मजबूत बनाती हैं। जिससे वे सफलता व महानता की छाप दूसरों पर छोड़ जाते हैं। इतिहास में झांककर देखें, तो ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे।

महाभारत लिखने के लिए व्यासजी को एक विद्वान लेखक की आवश्यकता थी जिसके लिए गणेश जी को चुना गया। व्यासजी धारा प्रवाह बोलते गए और गणेश जी चुपचाप लिखते गये और इस तरह से महाभारत पूरा हुआ। लेखन की समाप्ति पर व्यास जी ने गणेश जी से कहा, "महाभाग! मैंने लगभग 24 लाख शब्द बोलकर लिखवाये, किंतु आश्चर्य है कि इस बीच आप एक भी शब्द न बोले और चुपचाप लिखते रहे। उत्तर में गणेश जी ने कहा, "बादरायण! बड़े कार्य संपन्न करने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति का आधार है 'संयम'। संयम ही समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। यदि मैंने वाणी का संयम न रखा होता तो ये ग्रन्थ कैसे तैयार होता?"

इस प्रकार हमने देखा है कि जीवन में वाणी के संयम का क्या महत्व है। हम मानव होने के नाते घर, परिवार, समाज, हाट–बाजार एवं कार्य–स्थल जैसी जगहों पर प्रतिदिन अनगिनत लोगों से मिलते हैं तथा अपने विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। इस दौरान हम बहुत सारी आवश्यक तथा अनावश्यक बातें भी करते हैं। जिसके कारण मानव के बीच परस्पर कहा–सुनी एवं संघर्ष व विवाद आदि पैदा होते हैं।

यहां वाणी का संयम हमें महान तथा सफल बना सकता है। कभी–कभी चुप रहकर भी हम वो महान कार्य कर जाते हैं जो बोलकर भी नहीं कर सकते हैं। अधिकतर लोगों में संयम का अभाव होता है और वे अधीर हो जाते हैं। सामने वालों की बातें पूर्ण रूप से सुने बिना ही बक–बक करने लगते हैं। कई बार तो प्रश्न कुछ होता है और उत्तर पूर्ण भिन्न होता है। इस प्रकार हम कई अवसरों पर या तो असफल हो जाते हैं या फिर लोगों की निंदा के पात्र बन जाते हैं।

एक बार भ्रमण के दौरान भगवान बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने शिष्य आनन्द को समीपस्थ झरने से पानी लाने के लिए भेजा। लेकिन कुछ ही समय पूर्व वहां से गुजरने वाली बैलगाड़ी तथा बैल के कारण सारा जल गन्दा था। आनन्द यह देख कर वापस लौट आये और बुद्ध से बोले कि वहां पर जल गंदा है, मैं दूर की नदी से जाकर पीने योग्य जल लेकर आता हूं। बुद्ध ने पुनः कहा कि उसी झरने से पानी ले आओ, अब जल साफ हो गया होगा। शिष्य ने देखा कि अभी भी वहां जल गंदा है। शिष्य वापस लौट आता और बुद्ध पुनः झरने से ही जल लाने को कहते। यह प्रकरण तीन–चार बार चलता रहा। तब तक जल साफ हो चुका था। इस बार वे जल लेकर लौटे। तब बुद्ध बोले, "आनन्द हमारे जीवनरूपी जल को भी कुविचाररूपी बैल प्रतिदिन गंदा करते रहते हैं और हम जीवन से पलायन करते हैं। हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि इस झरने की तरह शांत होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है तभी सब कुछ स्वच्छ दिखाई देगा, ठीक झरने की तरह"।

हमारे जीवन में इस प्रकार की कई–घटनाएं दिन–प्रतिदिन घटित होती रहती हैं और हम अधीर होकर अपना नुकसान करते रहते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे ट्रैफिक, पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने जैसी स्थितियों में प्रायः होती रहती हैं।

एक अन्य उदाहरण देखें। एक बहुत बड़े वस्त्र विक्रेता तथा मिल मालिक को एक धैर्यवान व संयमी सेल्समैन/विक्रेता की जरूरत थी। ग्राहक की तरह खोजते–खोजते एक दिन कपड़े की दुकान पर पहुंचे तथा कपड़े के पचासों थान देख डाले। वे कभी यह दिखाओ, वह दिखाओ कहते रहे और वह दुकानदार बड़े धैर्य से करीब एक घंटे तक कपड़े दिखाता रहा। अंत में ग्राहक ने कहा कि इस थान से केवल आधा मीटर कपड़ा दे दो। दुकानदार के चेहरे पर क्रोध की एक शिकन तक न थी। उसने प्रसन्न होकर आधा मीटर कपड़ा दे दिया और जाते–जाते ग्राहक को दुकान पर आने के लिए धन्यवाद तथा पुनः सेवा का अवसर देने के लिए भी कहा। कुछ ही देर बाद वह ग्राहक लौट आया। उसने अपना परिचय दिया तथा उस दुकानदार के धैर्य एवं संयम की प्रशंसा की। इसके साथ ही उसे अपने मिल के विपणन विभाग का मैनेजर बना दिया। बाद में वह मैनेजर एक करोड़पति बन गया। यह उसके धैर्य व संयम का परिणाम था।

आज का युग तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक दौर से गुजर रहा है तथा ग्राहक सेवा का महत्व काफी बढ़ गया है। यहां पर भी धैर्य व संयम का अपना प्रभाव है। क्योंकि इनकी जरूरत हमें हर दिन और बार–बार पड़ती है। चाहे घर हो, दफ्तर हो, बाजार हो– आप कहीं हों, जीवन व्यवहार के हर क्षेत्र में धैर्य व संयम की जरूरत पड़ती ही रहती है। अब यह अलग बात है कि हम इनका महत्व न समझें और अधीरता तथा असंयम से काम लें। लेकिन सच मानें, अधीरता व असंयमित होने से हमें वांछित फल नहीं मिलता।

महाकवि वाल्मीकि जी ने लिखा है:–

व्यसने वार्थकृच्छे ना मये जीवितान्तगे।
विमृशंश्च स्वया बुद्ध्या धृतिमान्नावसीदति।।

अर्थात् शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुःख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता।

रूसो का कहना है कि धैर्य कड़वा तो होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। इसलिए बहुत से कामों में धैर्य तो करना ही पड़ता है। हम खेत में बीज बोते हैं तो अनाज पैदा होने तक प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। किसी कवि ने कहा भी है–

धीरे–धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय
माली सींचै सौ घड़ा रितु आए फल होय।।

इसका तात्पर्य है कि ऐ मन धैर्य धारण कर, धैर्य से बड़े–बड़े कार्य होते हैं। यदि एक पौधा लगाते हैं तो वह समय पाकर ही फल देगा, भले ही आप कितना भी सींचें। यह प्रकृति का नियम है तथा हमें मानना भी चाहिए। इसीलिए एमर्सन ने सही कहा है– "प्रकृति का अनुसरण करो– धैर्य उसका रहस्य है। सूर्योदय आपको रातभर सूर्योदय के लिए धैर्य रखना ही पड़ेगा। धैर्य ही होगा जीवन के व्यवहार की कुंजी है।

हमारे व्यक्तित्व के विकास में और परिपक्व विचारों के निर्माण में अधैर्य सबसे अधिक बाधक है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कि "चलना तो सीखा नहीं और दौड़ने की कोशिश में मुंह के बल गिर पड़े"। किसी ने ठीक ही कहा है, "अधीरता अव्यवस्थित मस्तिष्क की निशानी है"। अव्यवस्थित मस्तिष्क वाला व्यक्ति हर काम को चुटकी बजाते हुए पूरा कर लेना चाहता है तथा जल्दी से जल्दी अपने परिश्रम का फल पा लेना चाहता है।

यदि काम उसकी योजना के अनुसार नहीं चलता, तो वह उतावली में कुछ का कुछ करने लगता है या काम अधूरा ही छोड़ देता है। इस तरह धीरे–धीरे उसके मन में घोर निराशा और आत्म ग्लानि के दयनीय भाव घर कर जाते हैं। विडंबना की बात तो यह है कि मनुष्य धैर्य और संयम के गुणों को जानते हुए भी उनको अपना नहीं पाता। इसका कारण यह है कि हमने धैर्य और निष्क्रियता के अंतर को नहीं समझा है, सुदृढ़ कार्यशक्ति और अस्थिर क्रियाशीलता को एक ही वस्तु समझ लिया है। दूसरों के साथ धैर्य और संयम का विशेष रूप से प्रयोग करना होता है। यहां वाणी तथा व्यवहार दोनों में सयंम रखना पड़ता है।

किसी ने ठीक ही कहा है कि संयमहीन जीवन विपत्तियों का आगार बन जाता है। इसलिए रोमन दार्शनिक सेनेका ने कहा है "जो आत्मसंयमी है, वही सर्वशक्तिमान है"। अंग्रेजी निबंधकार हैजलित ने भी कहा है कि "जो अपने ऊपर शासन कर सकते हैं, वही दूसरों पर भी शासन कर सकते हैं" यह धैर्य व संयम से ही सम्भव है। इनका पालन करना थोड़ा कठिन अवश्य होता है, क्योंकि इसमें कभी–कभी सहनशीलता की परीक्षा भी देनी पड़ती है, किंतु इतना निश्चित है कि यदि एक बार हम इनका अभ्यास कर लें तो उससे अपने अंदर सही दृष्टिकोण तथा मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। धैर्य हमें तटस्थ भाव से सोचने की शक्ति देता है। दूसरों की बात को सहानुभूतिपूर्वक तथा शांति से सुनने की क्षमता देता है।

एक कहावत में सही कहा गया है कि "उतावला तो बावला"। धैर्य एवं संयम से रहित व्यक्ति चंचल होता है जिसके पास धैर्य है वह प्रगति की किसी सीढ़ी पर विपरीत परिस्थितियों में भी चढ़ सकता है क्योंकि धैर्य शब्द का अर्थ ही है– विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ना, मानसिक संतुलन व भावनात्मक संतुलन को हर स्थिति में बनाये रखना।

बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत हो।
धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खो।।

अर्थात्– धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, जिसने इससे दोस्ती की, उसे जीवन की सारी खुशियां हासिल हो सकती है। मनुष्य का पहला कर्त्तव्य व धर्म है कि वह अपने धैर्य को बनाये रखे।

किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जीवन में रात आती है, तो दिन भी आता है, रोग आता है, तो आरोग्य भी आता है, दुःख आता है; तो सुख भी आता है। इसलिए बस हमें धैर्य रूपी पारसमणी को हमेशा धारण करते रहना चाहिए।

धैर्य को जीवन की परीक्षा का एक मानदंड माना जाता है। जो पास हो गया, वह ऊपर बैठ गया, वह, जो नहीं, वह पीछे रह गया। चार्ल्स डार्विन ने पूरे उन्नीस वर्ष तक केंचुओं का अध्ययन किया था, तब जाकर कहीं विकासवाद का सिद्धांत उनके हाथ लगा था। आज वे मरकर भी अमर हैं।

कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाय।
टून एक के कारने, स्वान घरै घर जाय।

कबीर की वाणी का भी मर्म है कि हम धैर्य रखकर तो सब पा सकते हैं, लेकिन अधीर होने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए सदैव धैर्य और संयम को अपनाकर उन्नति के मार्ग पर बढ़ें।

यह एक ऐसा रहस्य है जिससे प्रत्येक व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित होती है। वास्तव में जब हम आत्मसंयमी हो जाते है, धैर्यवान बन जाते है तो उससे प्रेम और शक्ति की प्राप्ति होती है और तब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में भी सफल होते हैं– और अंततः यही हमारी सच्ची विजय कहलाती है।

'पहचान'

''रामायण के पात्र श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, भातृप्रेमी भरत, शबरी, दुष्ट रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, मारीच, कुलक्षिणी शुर्पनखा, कैकयी, मंथरा हिडिंबा, ताड़का; महाभारत के पात्र गांधारी का दुप्पट्टा आखों में बांधे धृतराष्ट्र, भीम दुर्योधन, दुशासन, पांचाली, संजय, शकुनी, शिखंडी, कर्ण, विकर्ण समाज में सर्वत्र मिल जाएंगे। सवाल है इनके आचरण को समझने का। जागो, होश में आओ, इंहे पहचानो।'

–स्वामी तथागत भारती

जीवन चलने का नाम

- रुचि वशिष्ठ, सहा. प्रबंधक

इक्कीसवीं शती के पहले दशक के उत्तरार्ध में अर्थव्यवस्था में आई मंदी के दुष्प्रभावों से हम में से कोई भी अछूता नहीं रहा। किसी को इस कारण आई महंगाई ने मारा तो किसी की शिक्षा पूरी होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। जिसे नौकरी मिली उसे अपनी क्षमता से कम की तनख्वाह से समझौता करना पड़ा। किसी का प्रमोशन रूका तो किसी को तो डिमोशन भी झेलना पड़ा। परंतु इस मंदी का सबसे अधिक भुगतान रमेश वर्मा के परिवार को देना पड़ा।

रमेश शर्मा एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे। वह अपने छोटे से परिवार, जिसमें उनकी धर्मपत्नी, एक सुपुत्र और सुपुत्री शामिल थे, के साथ बड़ी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश का वेतन काफी अच्छा था और इससे उसके परिवार का निर्वाह बड़े ही आराम से चल रहा था। आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों के बारे में रमेश आए दिन अखबारों में पढ़ता; परंतु वह यह सोच कर सुनिश्चित रहता कि उसकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी। इसलिए उसने अपने खर्चों पर कोई अंकुश नहीं लगाया और न ही अधिक बचत करने की कोशिश की। उसकी पत्नी सुजाता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की परंतु रमेश नहीं समझा और फिर वही हुआ जिसका डर था। रमेश की कंपनी ने भी इस वर्ष वेतन में कोई बढ़ौतरी नहीं की और न ही उस वर्ष कोई बोनस दिया। कंपनी के मालिक ने सभी कर्मचारियों की सभा बुलाकर इस बात का इशारा भी दे दिया कि यदि यही हालात रहे तो कुछ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इस चिंता के चलते रमेश चिड़चिड़ा सा रहने लगा। घर पर आए दिन वह अपने बच्चों को बिना किसी वजह डांटता रहता तथा सुजाता से भी उखड़ा रहता। सुजाता उसे समझाने की बहुत कोशिश करती कि वह नौकरी के साथ-साथ कोई और काम भी शुरू करने की कोशिश करे। इससे उसके मन को शांति मिलेगी और यदि नौकरी गयी तो आय का एक अतिरिक्त साधन भी हो जाएगा, परंतु रमेश को सुजाता की बात समझ में नहीं आ रही थी।

एक दिन जब रमेश ऑफिस गया तो उसे पता चला कि उसे भी नौकरी से निष्कासित कर दिया है। उसके ऊपर तो समझो जैसे दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर आया और फूट-फूट के रोने लगा कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद तथा इतनी अच्छी नौकरी होने के बाद भी उसके साथ ऐसा हो जाएगा। सुजाता ने उसे ढाढस बंधाने की कोशिश की और कहा कि वह दोनों मिल कर कुछ नया काम चालू करेंगे और धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात वो किसी को कुछ बिना बताए घर छोड़कर चला गया और अपने एक रिश्तेदार के पास रहने लगा। कुछ दिन वो वहीं रहा और सुजाता को भी कह दिया कि उसे घर आने के लिए मजबूर न करे।

एक रात रमेश को सपना आया कि वह एक बहुत ही सुंदर पक्षी पर बैठकर बहुत सुंदर वस्त्र पहने आकाश की ऊंचाई में उड़ रहा है और नीचे खड़े सब लोग उसे देख कर आश्चर्यचकित है और उसकी सराहना कर रहे हैं। अगले दिन सुबह उठते ही सीधे अपने घर आया और उसने सुजाता से अपने इस सपने का जिक्र किया तो सुजाता ने उसे कहा कि इस सपने का यही तात्पर्य है कि भगवान भी उसे यही संकेत कर रहे है कि वह जीवन से हार न माने। उसमें बहुत क्षमता है और यदि वह उसका सही उपयोग करे तो वो बहुत ऊंचाईयों तक पहुंच सकता है। सुजाता के बहुत समझाने के बाद रमेश ने यह निर्णय लिया कि वो परिस्थितियों से हार नहीं मानेगा और एक बार फिर जीवन में ऊपर उठने की कोशिश करेगा।

अगले ही दिन रमेश ने निर्णय लिया कि वह अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हुए स्कूल तथा कॉलेज के छात्रों को कंप्युटर के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देगा। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी उसे एकत्र करके उसने अपने घर में ही कंप्युटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय किया। सुजाता ने रमेश को अपने सभी आभूषण गिरवी रख कर ऋण लेने का सुझाव दिया। इस पर रमेश हिचकिचाया पर सुजाता के यह विश्वास दिलाने पर कि जब उनके पास फिर से काफी पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो आभूषण वापिस आ जाएंगा, तब रमेश मान गया।

धीरे-धीरे रमेश और सुजाता के निरंतर प्रयास और परिश्रम से उनका कंप्युटर सेंटर काफी चर्चित हो गया। अब उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। आज रमेश सुजाता के पुराने सारे आभूषण छुड़वा लाया है तथा साथ ही में उसके लिए कुछ नए आभूषण भी लाया है। अब उनका पूरा परिवार बहुत खुश है।

आज रमेश के कंप्युटर सेंटर से इतनी बढ़िया आमदनी होती है कि अपनी नौकरी जाने का गम नहीं है, बल्कि वह सोचता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज वह अपनी पत्नी सुजाता के साथ अपने काम का स्वयं मालिक है तथा कई और लोगों को भी रोजगार दिया हुआ है। वह जल्द ही एक दूसरा कंप्युटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने पर विचार कर रहा है। जिसमें सुजाता हेड होगी। उसने गरीब एवं जरूरतमंदों को फीस में छूट देने की परंपरा शुरू की हुई है। इससे छात्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वह दिल से अपनी पत्नी को प्रोत्साहन देने के लिए तथा ईश्वर को आभार प्रकट करता है।

दोनों ने ही जीवन के अपने इस अध्यवसाय से यही सीखा है कि आदमी को अपने अच्छे समय में भी उचित बचत करनी चाहिए जो कि बुरे समय में काम आती है। तथा बुरे वक्त का सामना एक साथ धैर्य तथा परिश्रम के साथ करना चाहिए। जिंदगी में इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर संभव कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है।

हिन्दी चेतना मास – 2011 में पुरस्कृत कहानी

लक्ष्य

सुश्री ममता विजय कुमार

आज फिर मां का खत आया है हर बार की तरह फिर से वही जिद, वही मनुहार कि मैं शादी के लिए हां कर दूं।

पहले की तरह अब मां फोन नहीं करतीं। जानती हैं न कि मैं अपने तर्कों से उन्हें अपनी बात कहने का मौका ही नहीं देती थी। इसलिए अब उन्होंने मुझे समझाने के लिए पत्रों का सहारा लिया है।

अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि शादी न करने का फैसला मेरा एक दिन में लिया गया हुआ फैसला नहीं बल्कि वर्षों से दबा आक्रोश है। पत्र पढ़ते–पढ़ते मैं बचपन में पहुंच गयी जहां मुझे आंखों में सूनापन लिए मां, डर से कोने में दुबकी नीलादी और ससुराल से लौटी या कहें लौटा दी गयी सुजाता दी, जिनकी गलती यह थी कि वो अपने साथ भारी–भरकम दहेज नहीं ले जा सकी थीं, की यादें आ गई। कहते हैं बचपन ढेर सारी मीठी यादें अपने साथ समेटे रखता है पर हमारे बचपन में पिताजी की गरजती आवाज़ दादी की तानाकशी और तानाशाही के अलावा रोती और पुचकारती मां के सिवा कुछ नहीं था। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है यह मैंने दादी और सुजाता दी की सास को देखकर ही जाना था। केवल लड़की जनने का ठीकरा दादी हरदम मां के सिर फोड़ा करती। शायद उन्हें यह ज्ञात कराने की हिम्मत मां या कहें किसी को नहीं थी कि विधाता ने बेटा या बेटी का निर्धारण बीज पुरूषों के हिस्से दिया है पर दोषारोपण तो सदियों से नारी के हिस्से ही आता है।

सुजाता की सास ने खुद दो बेटियों की मां होने के बावजूद कभी भी दी को मन से नहीं अपनाया। दीदी द्वारा उनके मन को जीतने की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें वापस मायके भेज दिया। जीजा जी भी मां के परम भक्त थे या कहें वश में थे। अग्नि को साक्षी मानकर जिसको अर्धांगिनी माना, उसका साथ वो कभी नहीं निभा पाए। घर आने के बाद, जो दादी के कथानुसार अब उनका नहीं रहा था; पूरे दिन दादी का कोप भाजन बनती। प्रकृति की कैसी विडंबना है जहां लड़की का जन्म हुआ पूरा बचपन बीता, वहीं लड़की शादी के बाद एकदम परायी हो जाती है। उसका उस घर पर कोई हक नहीं रह जाता। स्वागत सत्कार भी तभी तक होता है जब पति और ससुराल की छाया रहे, वरना वह एक अनचाहा बोझ बन जाती है।

दादी हर वक्त उन्हें कोसती रहतीं, कहतीं यहीं कहीं कुएं तालाब में डूब मरती। तेरी डोली वहां गयी थी अर्थी निकलती वहां से तभी तेरा जीवन सफल होता। रोज रोज के ताने मां के समझाने और बहनों के प्यार पर भारी पड़े और और..... फिर एक दिन दी ने सचमुच पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। हम बहनों और मां को संभलने में काफी वक्त लगा पर अब शायद पिताजी को थोड़ी समझ आ गयी थी। पिछली से सबक लेते हुए उन्होंने नीलादी के लिए खूब ढूंढ–ढांढकर एक सुपात्र वर जुटा ही लिया। भरसक अपनी औकात से बढ़कर दे ले कर नीलादी का ब्याह संपन्न किया। नीलादी खुशी–खुशी विदा हो गयी लगा चलो अब सब ठीक ही होगा।

परंतु यहां भी नीलादी अपने भाग्य से हार गयी। दो बेटियों के जन्म के पश्चात् शुरू हुआ अंतहीन गर्भपात का सिलसिला। उनकी सास का मानना था चूंकि जीजा जी एक मात्र वारिस थे, अतः खानदान को आगे बढ़ाने के लिए एक चिराग तो चाहिए ही, चाहे चिराग को देने वाला दीया ही बुझ जाए और हुआ भी यही। नीलादी ने वारिस तो दिया पर उसे अपने आंचल की छांव देने के लिए खुद न रहीं। मेरा हृदय चीत्कार कर उठा। अपनी दोनों मासूम बहनों की 'हत्या' से। हां! यह हत्या ही तो थी। एक औरत की दूसरी औरत के हाथों।

अचानक दरवाजे की घंटी से मेरी चेतना लौटी। शाम घिर आयी थी, लगता है कांता बाई आ गयी। उसकी आंखों से मेरी उदासी छिपी नहीं रही। इस परदेश में एक वहीं तो थी जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती थी। आज फिर मां जी का खत आया है न? कांता बाई ने पूछा। मैंने न चाहते हुए भी उसे बता ही दिया। एक लंबी सांस लेकर उसने कहा एक मां का दिल है ना फिकर तो करेगा ही। मेरा तन और मन भारी देखकर वह रसोई में चाय बनाने चली गयी और मैं पुनः एक बार तीन वर्ष पीछे लौट गयी।

अब मेरा मन उस घर में बिल्कुल भी नहीं लगता था। जहां कभी हम बहनों की हंसी हर वक्त गूंजा करती, वहां अब चारों तरफ मरघट–सा सन्नाटा पसरा रहता। मां तो पहले ही खामोश थी, अब तो एक जिंदा लाश बनकर रह गयी थी।

मैं उस शहर और घर से दूर यहां नैनीताल आ गयी। यहां मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गयी थी और जीवन एक ढर्रे पर चल पड़ा था। तभी मेरी मुलाकात मिसेज नैन्सी से हुई। मिसेज नैन्सी एक अनाथालय की ट्रस्टी थीं। मैं भी उनके साथ वहां जाने लगी। वहां छोटे–छोटे बच्चों के साथ समय कैसे बीत जाता, पता ही नहीं चलता। उनकी बाल सुलभ हरकतें, मीठी मुस्कान और मासूम सवाल दिल को बहुत ठंडक देते। उन अनाथ मासूमों को क्या चाहिए था? थोड़ा–प्यार थोड़ा–अपनापन। मुझे वहां जाने पर अजीब सा सुकून मिलता था। उन बच्चों में मैं अपना और अपनी बहनों का बचपन ढूंढती और जीती। लगता मेरे जीवन को एक नयी दिशा मिल गयी है। जीवन का अर्थ केवल शादी करना और बच्चे पैदा करने तक ही सीमित नहीं है, यह बात मैं मां को नहीं समझा पा रही थी और शायद कभी समझा भी नहीं पाऊंगी।

मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। अब मैं अपना सारा जीवन इन मासूम बच्चों की बेरंग जिंदगी में खुशियों के रंग भरने में लगा दूंगी। इनके सपनों को साकार करने में शायद मेरी छोटी सी कोशिश ही काम आ जाए। इसी निश्चय के साथ मैं मां को अपना जवाब या फैसला कह लें, एक बार फिर से लिखने बैठ गयी। शायद इस बार मैं मां को समझा पाऊं और शायद वो समझ जाएं.....।

काव्य सुधा

गरीबी की रेखा

- अमर सिंह सचान, राजभाषा अधिकारी

एक दिन बर्तन धोते हुए काम वाली ने मंहगी प्लेट तोड़ डाली,
पत्नी चिल्लाई जोर से उस पर और दी एक मोटी सी गाली।
कामवाली बोली-गाली मत दो मैडम प्लेट के पैसे काट लेना,
पत्नी बोली तुम गरीब, छोटे लोगों से पैसा क्या लेना।।
कामवाली बाई बोली मेमसाब, अपनी जुबान को लगाम दो
मैं अब गरीब नहीं रही, यह बात आप सभी जान लो।
क्या आपको पता नहीं, सरकार ने हमें गरीबी से ऊपर उठा दिया है,
अब हम गरीब लोगों को भी, आपके मध्यम दर्जे में ला दिया है।।
सरकार कहती है कि हमारे घर की औसत आय बढ़ गई है,
अब प्रति सदस्य प्रतिदिन रूपया तीस से ऊपर चढ़ गई है।
उसकी नजर में अमीर बनने हेतु प्रतिदिन 30रू. काफी हैं
''सरकार का हाथ-गरीब के साथ'' नारे की यह झांकी है।
इसलिए हम बाई लोग भी, अब गरीबी की रेखा से ऊपर हैं,
और हम भी ऊपर उठकर, निम्न मध्यम वर्ग की सीमा पर हैं।।
पत्नी ने पूछा प्रतिदिन छह जनों का काम 200रू. में कैसे चल जाता है,
सच-सच बताना तेरे यहां खाने-पीने में क्या-क्या सामान आता है
मैं कम पैसों में तुमसे घर चलाने की कला सीखना चाहती हूँ,
क्योंकि हजार रूपये प्रतिदिन खर्च करके भी पूरा नहीं कर पाती हूँ।।
वह बोली अरे मैडम, पढ़ी-लिखी होकर भी क्या मजाक करती हैं,
इतने पैसों से तो बामुश्किल, केवल शाम के वक्त की रोटी चलती हैं,
लेकिन जब सरकार ही हम लोगों को अब गरीब नहीं मानती,
तब मैडम मेरी क्या बिसात है गरीब रहने की, यह मैं नहीं जानती।।
शायद सरकार चाहती है कि गरीबी तो नहीं; गरीब ही मिट जाए,
यह दुनिया भर को दिखा सकें कि भारत में भी गरीब घट जाए।
सरकार गरीबों का कुछ भी भला, भले ही कभी न कर पाए
पर यह आंकड़ों के इस खेल में, एक नई ऊंचाई तो चढ़ जाए।।
मुझे खुशी है मेमसाब की अब मैं गरीब होकर भी गरीब नहीं हूँ,
जुट नहीं पाती है दो जून की रोटी, फिर भी मैं गरीब नहीं हूँ।
कम से कम सरकार की नजर में अब मैं गरीब के रूप में नहीं मरूंगी,
सोचा है कि अब मैं पैसे वालों से नहीं, केवल भगवान से ही डरूंगी।।

'आशियां'

- सुश्री ममता विजय कुमार

मैं हूं डाल से टूटी एक पात
जिसकी न कोई धर्म न जात
हाथ थाम कर तो देख मेरा
मैं निभाउंगी हर पल तेरा साथ
थाम ले मुझे
सहेज ले मुझे
वरना उड़ा के ले जाएगी मुझे धूल
माना कि मैं नहीं कोई फूल
पर इसमें मेरी क्या है भूल
डाल से टूटी
हर इक से लुटी
फिर भी जलता है मन के कोने में एक दिया
शायद कभी तो मिलेगा एक आशियां।

ईमानदारी का मूल्य

- सचिन शर्मा, स.प्रबंधक

घर आये तो श्रीमती जी की आंखें बिलकुल लाल थीं।
बच्चों के लिये तो घर में पहले ही ला चुकी भूचाल थीं।।
पानी का गिलास मेज पर ला जोर से पटका।
हाथ से ऑफिस बैग मेरे पूरी ताकत से ले झटका।।
बच्चे पीछे वाले कमरे में मन से पढ़ रहे थे।
दाल काली है कुछ हम यह समझ रहे थे।।
हमने शांति बनाने के लिए पूछा खाने में क्या बनाया है।
आटा खत्म हो गया है, इसलिए दलिया चढ़ाया है।।
हमने कहा कह देती तो खरीद कर ले आता।
एक वक्त तो गरम-गरम रोटी खा पाता।।
श्रीमती बोली इसके लिये ऑफिस से जल्दी आना होगा।
अब आटा लेने दुकानदार के घर जाना होगा।।
मैंने कहा क्या करता ऑफिस में काम ज्यादा था।
उच्च अधिकारी को आज ही जवाब जाना था।।
मैडम बोली बाकी स्टाफ तो तभी आ जाता है।
क्या आपकी टेबल पर काम 6 बजे के बाद ही आता है।।
हर शनिवार को भी तो ऑफिस जाते हो।
क्या इतने में भी काम खत्म नहीं कर पाते हो।।
कुछ घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाया करो।
थोड़ी बहुत अपने बच्चों के लिये ड्यूटी बजाया करो।।
हमने कहा चूंकि हमारी नौकरी सरकारी है।
इसलिए तुम्हारे मुंह पर यह बात आ रही है।।
कहीं प्राइवेट जॉब में लगे होते।
तो अभी भी ऑफिस में डटे होते।।
मैडम बोली कितना ज्यादा फर्क पड़ता।
पूरे वर्किंग ऑवर में अधिकतम एक घंटा पड़ता।।
पर तनख्वाह का काफी बड़ा अन्तर तो नजर आता।
काम के आधार पर प्रमोशन भी समय पर आता।।
फिलहाल तो नेकी कर दरिया में डाल आते हो।
इसीलिए तो ऑफिस में कार से नहीं स्कूटर से रेस लगाते हो।।
शर्मा जी को देखा, शनिवार-इतवार को आराम है।
वे दोनों दिन उनके लिये अपने परिवार के नाम है।।
मैं क्या बोलूं क्या न बोलूं सोचते-सोचते बोल पड़ा।
मन में दबा एक ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा।।
तिवारी, टण्डन को छोड़ो, कुमार को कभी काम करते देखा है।
शनिवार, इतवार को जंगपुरा के पीछे वाले नाले में फेंका है।।
वे सब दिन रात काम करते हैं बेशक मुझसे ज्यादा खपते हैं।
पर वे अधिकारी से तो क्या सहयोगियों से चूं तक नहीं करते हैं।।
इसी का यह परिणाम है कि भगवान ने उनको दिया आराम है।
बच्चे सैटल्ड हैं और अपनी फील्ड में कर रहे नाम है।।
क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने पिता को काम करते देखा है।
मेहनत का सच्चा पाठ हर रोज उन्होंने फेंटा है।।
कामचोरी भ्रष्टाचार का एक और रूप रहा है।
इसीलिए कुमार जी ने उसे अपने से दूर रखा है।।
बच्चों को हर रोज ईमानदारी का पाठ पढ़ाता हूं।
इसीलिए उन्हें भी काम करने की अहमियत समझाता हूं।।
जिन महापुरूषों की कर्मठता के उदाहरण उन्हें गिनाता हूं।
अपनी कामचोरी से उन्हें नहीं डुबोना चाहता हूं।
सोचो कि हर कर्मचारी अगर ईमानदारी से काम करे।
पूरा काम करे और उसके बाद ही आराम करे।।
तो प्राइवेट स्कूल से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ न रहेगा।
महीने की सरकारी तनख्वाह में भी खर्च आराम से चलेगा।
इसी प्रयास में ताउम्र पूरी लगन से काम करूंगा।
कोई चले या न चले मैं इस राह पर ही चलूंगा।।
ओ श्रीमती जी अब हड़ताल तोड़ो और कर्मठता दिखाओ।
जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाने को कुछ लाओ।।

नागरिक अधिकार - पत्र

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के नागरिक अधिकार पत्र पर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय ग्राहक/उपभोक्ता/स्टाकहॉल्डर्स (पणधारक)

राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपनी नीतियों के माध्यम से एक सुदृढ़, स्वस्थ, अर्थक्षम एवं लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली, जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए प्रबंध करेगी, के संवर्धन का समर्थन किया है। हम और हमारी गतिविधियां इस नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से इस उद्योग से जुड़े हमारे ग्राहकों, उपभोक्ताओं, अन्य ऋणधारकों व आभीदारों के और करीब आना चाहते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रदत्त अध्यादेश और हमारे दृष्टिकोण, मिशन व अन्य कई तत्व नागरिक अधिकार पत्र के लिए हमारी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारियों को प्रबलित करता है।

जनता की मांग और जरूरतों को पूरा करने हेतु हमसे की जाने वाली अपेक्षाओं से ही नागरिक अधिकार पत्र चलता है। सामाजिक व वित्त वर्ग की गतिशीलता और सदैव परिवर्तन होते बाजार को अनुकूल बनाने हेतु हमें पर्याप्त लचीलापन प्राप्त करने की जरूरतों को समझना होता है।

अधिकार पत्र को और अधिक सेवार्थ बनाने में सहायता हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के अध्यादेश के रूप में प्रतिष्ठापित है। हम जनता के प्रतिनिधि और अन्य पणधारकों के सुझावों को आमंत्रित करते हैं।

हम वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; लोक शिकायत एवं प्रशासनिक सुधार मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को इस अधिकार पत्र हेतु आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने इसे लाने में हमारी सहायता व मार्गदर्शन किया; जिससे हमारा दृष्टिकोण और अधिक परिपूर्ण हो गया है।

(आर.वी.वर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)
कोर 5–ए, 3–5 तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
Website : www.nhb.org.in

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

बेघरों के लिए घर सुनिश्चित कराने हेतु बदलाव को सुगम बनाना

राष्ट्रीय आवास बैंक आवास के लिए एक शीर्षस्थ विकास वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्य लक्ष्य देश में आवास की कमी को समाप्त करना है। इसकी स्थापना सन् 1988 में हुई और इस बैंक ने पिछले दो दशकों के दौरान पूरे देश भर में आवास वित्त के प्रभावी विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, विशेष रूप में निम्न आय समूह वर्ग के लिए।

राष्ट्रीय आवास बैंक आवास एवं आवास नीतियों, नए पारम्परिक उत्पाद, जोखिम न्यूनकारी अभियांत्रिकी, भवन जागरूकता तथा आवास वित्त प्रणाली को अधिक सक्षम, सुदृढ़ एवं ग्राहक अनुकूल बनाने के रूप में बदलाव को सहज बनाना चाहता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक मानता है कि संसार में केवल परिवर्तनशीलता ही सतत है।

राष्ट्रीय आवास बैंक का विजन

आवास वित्त बाजार में सुस्थिरता के साथ समेकित विस्तार को बढ़ावा देना

लक्ष्य

निम्न एवं साधारण आय वर्ग को केन्द्र में रखते हुए जनसंख्या के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बाजार की क्षमताओं का उपयोग एवं उन्नयन।

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

NATIONAL HOUSING BANK
(Wholly owned by Reserved Bank of India)

Website : www.nhb.org.in

मुद्रण तिथि : 31.03.2011